राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] षष्ठम् विधान सभा के प्रथम सत्र का बारहवां दिवस [संख्या 10

शुक्रवार

29 जुलाई, 1977

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सामान्य प्रशासन, वित्त, गृह, कृषि, भेड़ व ऊन तथा आयुर्वेद-विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री कुंजीलाल पटेल।

सवाई माधोपुर जिले में चरागाहों का आवंटन

114. श्री कुंजीलाल पटेल (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत आपातकालीन समय में सवाई माधोपुर आदि जिलों में प्रायः समस्त चरागाह बिना किसी वैधानिक तरीके से मनमाने लोगों को आवंटित कर दिए गए थे? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार चरागाहों की आवश्यकता के महत्व को देखते हुए आवंटित चरागाहों को पुनः चरागाह के रूप में सुरक्षित रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी नहीं।

(2) जी हां। यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री कुंजीलाल पटेल : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सवाई माधोपुर कलेक्टर को चरागाह कन्वर्ट करने के लिए आदेश 24 तारीख को पहुंचे जब कि उन्होंने 13 तारीख को ही चरागाह अलाट करना शुरू कर दिया था? क्या इस प्रकार का अलाटमेंट अवैध है? यदि हां, तो क्या कारण है?

श्री कैलाश मेघवाल : चरागाह आवंटित करने के आदेश कब पहुंचे, कब कन्वर्ट हुए और कब आवंटित किए गए, यह सूचना मेरे पास नहीं है। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि चरागाह की समस्या को भी ध्यान में रखा जा रहा है। उसको कन्वर्ट

(श्री कैलाश मेघवाल)
करके और कृषकों को जो भूमि आवंटित की गई है, उस सारी स्थिति पर पुनर्विचार किया जा रहा है। चरागाह एक आवश्यक अंग है। और पशुधन के बारे में हम चिंतित हैं। सारे प्रश्न को मुख्य मंत्री के ध्यान में लाया गया है। तुरन्त कैबीनेट इस पर विचार करेगी और सारी स्थिति से बाद में सदन को अवगत कराया जाएगा।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : कौनसी तारीख को आदेश पहुंचे, कब अलाटमेंट हुआ? जब इसकी जानकारी माननीय सदस्य ने दी, 13 तारीख को अलाट हुआ और उसके आदेश 24 तारीख को पहुंचे तो क्या बिना कन्वर्ट किए हुए चरागाहों को कोई कलेक्टर या कमेटी अलाट कर सकती है?

श्री कैलाश मेघवाल : जैसा मैंने निवेदन किया, यह जो सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछा जा रहा है, उस समय यह स्थिति सामने नहीं थी लेकिन सारे प्रश्नों पर पुनर्विचार हो रहा है। निश्चित रूप से चरागाह की भूमि पशुधन के लिए सुरक्षित रहे, इस बात के प्रयत्न किये जायेंगे। सवाई माधोपुर की समस्या को विशेष रूप से राज्य सरकार ने विचार के लिए लिया है।

श्री मूलचन्द सामरिया : प्रश्न स्पष्ट है। जो आवंटन हुआ वह वाजिब है या नहीं? आपको इस बात का पता नहीं कि सरकार ने इसको कन्वर्ट किया या नहीं। यह जिस समय अलाट हुआ उस समय चरागाह था या कन्वर्ट हो चुका था? सरकार किसी भी चरागाह को जमीन किसी को अलाट नहीं कर सकती सिवाय उन केसेज में जिन पर रैगुलेराइज्ड कब्जा हो? उसको देखे बिना आपने अलाट किया; इसका मतलब स्थिति आपके सामने स्पष्ट नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : यह जो मैंने 'जी नहीं' जवाब दिया है; सही आधार पर दिया है। चरागाह भूमि जो अलाट की गई उसका कन्वर्शन हुआ है उसके बाद ही अलाटमेंट हुआ है। अब नया सवाल पूछा गया है उसके लिए मैं जांच करवा लूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजखेड़ा) : बहुत से ऐसे जिले हैं जहां बड़ी जाति के लोगों ने कब्जा कर लिया उनका कब्जा नहीं होगा। लेकिन ऐसे भी बहुत से केसेज हैं जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों ने एक एक, दो दो बीघा जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर कब्जा किया हुआ है 7—8 साल से। तो क्या सरकार शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए कोई विशेष सुविधा देगी? क्या चरागाह रैगुलेराइज करने के नियम बनाये जा रहे हैं?

श्री मूलचंद सामरिया : कोई एक एक या दो दो बीघा जमीन चरागाह को लेकर मुकदमा अपने बरतनों को बेच कर लड़ें, क्या यह न्याय की बात है?

श्री अजीत सिंह (टोंक) : जिस समय यह अलाटमेंट का मामला चल रहा था चरागाह का, उस समय मैं मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री से मिला था। उन्होंने 3—4 दिन के बाद स्टे कर दिया था, चरागाह के अलाटमेंट्स बंद कर दिए थे। यदि उसके बाद अलाटमेंट्स हुए हैं, वह तो आप बता सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है?

श्री कैलाश मेघवाल : जहां पर चरागाह की जमीन आवंटित कर दी गई है और उस जमीन पर अभी तक अलाटीज का कब्जा नहीं हुआ है, वहां पर आदेश दे दिए गए कि अब कब्जा न दिलाया जाए। रहा सवाल अनुसूचित जाति व जन जाति का, जहां जहां चरागाह की जमीन आवंटित की गई है····

श्री प्रद्युम्न सिंह : नाजायज कब्जे हैं उनके।

श्री कैलाश मेघवाल : जहां जहां भी आवंटित किया गया है और इस वर्ष काश्त कर ली है उनको अब बेदखल नहीं किया जाएगा। इस बारे में निर्णय लिया जा रहा है कि उनको दूसरी जमीन निकाल कर उसका कब्जा देने के बाद बेदखल किया जाए। जो आपने प्रश्न रखा है उस बारे में सारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में विचार हो रहा है। जो भी स्थिति होगी उससे अवगत कराया जाएगा।

श्री अजीत सिंह : अलाटमेंट्स गलत हुए हैं उनके लिए ?

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : जिन अधिकारियों ने गलत अलाटमेंट्स किए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, नहीं तो गलतियां होती जायेंगी और हमें बदनामी मिलती रहेगी। गलत काम के लिए दण्ड देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं सरकार का ध्यान-आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बड़ी गंभीर समस्या है और दिन प्रतिदिन यह गंभीरता व्यापक रूप ले रही है। मैं आशा करता हूं कि नयी सरकार इस सम्बन्ध में ठोस और उचित कदम उठाएगी।

श्री करतारसिंह ।

ग्राम सेवक परीक्षण, केन्द्र ग्राम तिलोनिया

115. श्री करतारसिंह (किशनगढ) : क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम तिलोनिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में ग्राम सेवक परीक्षण केन्द्र के लिए जो आवास भवन राज्य सरकार द्वारा लिया गया था वह अब किसी अन्य स्वयं सेवी संस्था को हस्तान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किस आधार पर ?

(2) क्या राज्य सरकार इस आवास भवन को किसी अन्य राजकीय प्रयोजन में लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक ?

राज्य मंत्री, पंचायत एवं सामुदायिक विकास (श्री कैलाश मेघवाल) : इसकी सूचना अभी तक एकत्रित नहीं हुई है, इसको स्थगित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री करतार सिंह : इस प्रश्न में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए स्थगित किया जाए। जो भवन है यह विकास विभाग की भूमि पर है जिसे किराए पर दे रखा है। क्या राज्य सरकार वापिस लेना चाहती है या नहीं ?

(५)

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा।

आपातकाल में सेवामुक्त किए गए कर्मचारी

116. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

आपातकाल के दौरान राजनैतिक कारणों से कितने राज्य कर्मचारियों को सेवा मुक्त, स्थानांतरित अथवा अन्य प्रकार से दंडित किया गया? उनका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री महबूब अली) : इस प्रश्न की भी सूचना अभी तक पूरी नहीं मिल पाई है, इसे कृपया स्थगित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

माननीय श्री टीकमचन्द कान्त।

राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध दर्ज मामले

117. श्री टीकमचन्द कान्त (जालोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पुरानी सरकार द्वारा राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर सार्वजनिक कार्य हेतु प्रदर्शन इत्यादि करने पर झूंठे मुकदमे दर्ज किए गए थे व उनके अदालतों में चालान किए गए थे? यदि हां, तो क्या इन मुकदमों को विथड्रा करने की घोषणा मौजूदा राज्य सरकार ने की है?

(2) जालोर जिले में उक्त कार्यकर्ताओं के विरुद्ध किस किस पुलिस स्टेशन व किस किस अदालत में मुकदमे चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उन मुकदमों को राज्य सरकार विथड्रा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

गृह मंत्री (श्री केदारनाथ) : मुझे अफसोस है कि पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है, इसलिए इसको स्थगित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री शंकर लाल।

भूतपूर्व सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का स्थगन

118. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार ने भूतपूर्व सरकार द्वारा लिए गए कई निर्णय और स्वीकृतियां स्थगित कर दी हैं अथवा रद्द कर दी हैं? यदि हां, तो क्यों? ऐसे निर्णयों एवं स्वीकृतियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री महबूब अली) : इसकी भी सूचना पूरी नहीं आ सकी है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थगित कराना चाहते हैं?

श्री प्रद्युम्नसिंह : चार सवाल तो स्थगित करा चुके हैं। इससे ज्यादा निकम्मापन क्या हो सकता है ?

श्री महबूब अली : समय के अभाव के कारण आधी सूचना एकत्रित हो सकी है।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : यह स्थगित करने का प्रश्न नहीं है, यह महत्व-पूर्ण प्रश्न है। पिछली सरकार ने 250 स्कूल खोलने के आदेश दिए थे, इस सरकार ने उन आदेशों को बदला है। इनके पास यथोचित उत्तर नहीं है, उन स्कूलों को बदल कर नए स्कूल क्यों खोले ? इससे सरकार पर लांछन लगता है। आप स्कूल खोल रहे हैं राजनैतिक कारणों से। ये जिन जगहों पर खोले गये हैं उनका न कोई मापदंड है न और कुछ है। इसलिए इस प्रश्न के उत्तर को स्थगित किया है। कारण इनके पास नहीं है।

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। पिछली सर-कार ने मनमाने ढंग से स्कूल खोल दिये थे। राज्य सरकार उन पर अब विचार कर रही है। चूंकि सूचना उपलब्ध हो नहीं पा रही है और उसमें थोड़ा समय लगेगा इसलिए स्थगित किया गया है।

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं से रिकार्ड मंगाने की बात हो या कहीं बाहर से सूचना मंगानी हो और वह नहीं आयी हो तब तो कोई बात है, आप स्थगित करने के लिए मंत्री महोदय की दरख्वास्त मान सकते है। पहले की सरकार ने कौन कौन से निर्णय लिये थे, वह रिकार्ड तो राज्य सरकार के पास है। फिर इसमें कहां से रिकार्ड मंगाने की जरूरत पड़ गयी है। इसमें जानकारी कहां से मंगानी थी, मेरी समझ में नहीं आता।

इसी प्रकार बिजली के बारे में भी राज्य सरकार ने निर्णय लिए थे चाहे सन् 75 के पहले के थे या बाद के थे। इसमें तो सिर्फ रीजन ही बताने की बात थी। नयी कोई बात है नहीं फिर भी मंत्री महोदय स्थगित करने को कह रहे हैं।

इसके साथ ही मेरा यह निवेदन है कि चूंकि सदन अब साइने डाई एडजोर्न हो रहा है तो प्रश्न का जवाब हमें कब मिलेगा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय को ताड़ना दीजिए कि यह स्थगित कराने का क्या रवैया बना रखा है ?

श्री अध्यक्ष : जब मंत्री महोदय कह रहे हैं कि सूचना उपलब्ध नहीं है तो क्या करें ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय को ताड़ना दीजिए।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड है या नहीं है की बात नहीं, मंत्री महोदय उत्तर देना ही नहीं चाहते हैं। जो पिछली सरकार ने अच्छे निर्णय लिए थे वे इस सरकार ने आकार बदल दिये हैं। यह सारा निर्णय राजनैतिक कारणों से ही किया गया है। अब यह आपके सामने प्रश्न स्थगित करने के लिये निवेदन कर रहे हैं। सूचना सब इन्हीं के सचिवालय में मौजूद है

(श्री शंकरलाल)
कहीं बाहर से थोड़े ही मंगानी है। मेरा निवेदन है कि सिर्फ रीजन्स बताने की बात है। लेकिन मन्त्री महोदय प्रश्न को स्थगित कराना चाहते हैं, यह कहां तक उचित है ?

एक माननीय सदस्य : प्रश्न तो पहले भी स्थगित हुए हैं, पिछली सरकार के वक्त भी।

श्री शंकरलाल : पर इतने एक साथ नहीं होते थे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामसिंह विश्नोई।

पीपाड़ शहर से पाली वाया भावी मार्ग पर चलने वाली बस

119. **श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी)** : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पीपाड़ शहर से पाली बस रूट वाया भावी का परमिट कितने वर्षों से किस बस मालिक को दिया हुआ है व इस रूट पर कितनी बसें किस किस समय चलती जाती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस रूट पर बस परमिट मिलने के बाद से बस मालिक ने आज तक कोई बस नहीं चलाई ? यदि हां, तो बस मालिक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या विभाग अब इस रूट पर पुराना परमिट रद्द कर नया परमिट देना उचित समझता है ? यदि हां, तो कब तक ?

यातायात मंत्री (श्री केदारनाथ) : अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करेंगे इस प्रश्न को भी आप स्थगित करें क्योंकि इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि मन्त्री महोदय इस प्रश्न को भी स्थगित करवा रहे हैं।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, क्या करें उत्तर मिल नहीं पा रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय गृह मन्त्री होकर यह कह रहे हैं कि उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है हम क्या करें।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह गृह मन्त्री का काम क्या करेंगे। सूचना ही उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हमें जवाब कब मिलेगा ?

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, यह कोई इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। इसमें थोड़ा समय लग जाये तो जनता को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई जा रही है। समय कम था इसलिये सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। मैं जल्दी कोशिश करके उत्तर मंगवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)
श्री गंगासहाय।

ट्रकों की चेसिसों की खरीद

120. **श्री गंगा सहाय (कठूमर)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग, अलवर में गत मार्च, 1977 में ले लेण्ड व अन्य ट्रकों के चेसिस खरीदे गये थे ? यदि हां, तो कितनी राशि के खरीदे गये तथा विभाग को सप्लाई किस तारीख को हुए ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ट्रकों के चेसिस की सप्लाई करने वाली फर्म को 8 लाख रुपये का भुगतान गत मार्च माह में ही कर दिया गया ?

श्री शंकर लाल : आप भी इस प्रश्न को स्थगित करा लीजिये। आप क्यों पीछे रहते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सदस्य महोदय को मालूम होना चाहिये कि जब मन्त्री महोदय जवाब देने को खड़े होते हैं तो आपको नहीं बोलना चाहिये।

सिंचाई मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (1) जी हां। 6 नग ले लेण्ड ट्रक चेसिस व 2 नग हिन्दुस्तान ट्रक चेसिस क्रय किये गए थे। इस क्रय की कुल राशि रुपये 7,28,693.94 थी। विभाग को यह चेसिस क्रमशः 18–4–1977 व 28–4–1977 को प्राप्त हुए।

(2) केवल 7,10,508.46 रुपये का भुगतान गत माह मार्च, 1977 में किया गया। वह भुगतान कुल भुगतान का 98 प्रतिशत था जो कि डी. जी. एस. डी. के रेट कांट्रेक्ट की शर्तों एवं राज्य सरकार के संबंधित नियमानुसार सप्लाई आर्डर के साथ देय था।

श्री गंगासहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब माल की सप्लाई अप्रेल में हुई तो किन कारणों से बिना सप्लाई हुए उस पार्टी को पेमेन्ट कर दिया गया क्या ? यह फाइनेन्स के रूल्स का वायलेशन नहीं है ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, फाइनेन्स के रूल्स का कहीं भी वायलेशन नहीं हो रहा है। जो पेमेन्ट हुआ है वह डी. जी. एस. डी. के रेट कान्ट्रेक्ट के अनुसार किया गया है। ऐसे नियम हमारे यहां पर हैं, जो सन् 1975 के फाइनेन्स के बने हुए हैं। अगर डी. जी. एस. डी. की एप्रूव्ड रेट पर कोई माल लिया गया हो तो उस आर्डर के तहत 98 पर्सेन्ट तक पेमेन्ट एडवान्स किया जा सकता है। इसीलिये जो भी पेमेन्ट किया गया है वह रूल्स के मुताबिक हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह सिंघवी।

कोटा जिले में चरागाह की भूमि

121. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में राज्य सरकार ने व कलेक्टर कोटा ने चरागाह की जमीन बदल कर काबिलए काश्त में कन्वर्ट की है ? यदि हां, तो कौन-

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)
कौन सी तहसीलों में कितनी कितनी जमीन चरागाह से निकाल कर बंजर घोषित की है ?

(2) क्या यह सही है कि छबड़ा तहसील में भी इस प्रकार से चरागाह की जमीन कन्वर्ट करके कुछ लोगों को अलाट की गई है ? यदि हां, तो कौन कौन से गांवों में किस किस को तथा यह भूमि किसने कन्वर्ट की थी ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां। तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है:—

1.	रामगंज मंडी	40 बीघा 10 बिस्वा
2.	सांगोद	142 बीघा 6 बिस्वा
3.	लाडपुरा	216 बीघा 17 बिस्वा
4.	छबड़ा	77 बीघा 6 बिस्वा
5.	छीपा बड़ौद	167 बीघा 14 बिस्वा
6.	बारां	816 बीघा 3 बिस्वा
7.	किशनगंज	3796 बीघा 14 बिस्वा

(2) जी हां। विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट—1 देखिये)

(विराम)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि आपने जो सांगोद में अलाटमेन्ट किया है वह किस किस तारीख को और कब कब तथा कितना कितना किया है ?

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक तारीखों का सवाल है वह तो इस सवाल से संबंधित है नहीं। यह तो पूछा ही नहीं गया था कि किस किस तारीख को कितना कितना और कब कब अलाटमेंट हुआ है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे प्रश्न (2) में यह स्पष्ट पूछा है कि छबड़ा तहसील में भी इस प्रकार से चरागाह की जमीन कन्वर्ट करके कुछ लोगों को अलाट की गयी है ? वह कौन कौन से लोग हैं और उन्हें कहां कहां जमीन अलाट की गई है ? कौनसी तारीख को की गयी है ?

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, तारीख की जानकारी मेरे पास अभी नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, सांगोद में भी चरागाह की जमीन अलाट करके लोगों को दी गयी है। आज स्थिति ऐसी है कि चरागाह के लिये कोई जमीन पर्याप्त वहां पर नहीं है। पहले की सरकार ने अपने लोगों को जमीन अलाट कर दी। आज स्थिति ऐसी है कि वहां पर मवेशी के खड़े होने तक की जगह नहीं है। सारे गांव वाले वहां पर परेशान हो रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि आपने सूची में बताया है कि चमार को जमीन अलाट की

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

गयी है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसके साथ में एक श्रीवास्तव भी हैं जिनको भी जमीन अलाट की गयी है। यह श्रीवास्तव काश्तकार नहीं है। श्रीवास्तव कहां के रहने वाले हैं और इनका पेशा क्या है? मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि वहां पर पशुओं के चरने के लिये जमीन नहीं है तो क्या सरकार इन गलत अलाटमेन्ट्स को कैन्सिल करके उस जमीन को वापस चरागाह में बदलने का आदेश देगी ताकि वहां पर पशुओं के चरने के लिये वापस चरागाह स्थापित किये जा सकें? और जनता को वहां पर राहत पहुंचे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 122।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का कोई जवाब नहीं आया है। क्या यह सही है कि श्री रामदयाल श्रीवास्तव को अलाटमेंट हुआ है क्या वह काश्तकार है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या श्रीवास्तव काश्तकार नहीं हो सकता है? यह कहां का तर्क है?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दीजिये, मंत्री महोदय। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि शायद मंत्री महोदय अभी उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, अगर अभी मंत्री महोदय जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं तो इस प्रश्न को आप स्थगित क्यों नहीं करवा देते। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो सारा कनवर्शन वहां हुआ है वह सब राजनैतिक आधार पर अपने आदमियों की जेब भरने के लिये हुआ है। मेरा निवेदन है कि इन अलाटमेन्ट्स को कैन्सिल किया जावे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो सभी जगह हुआ है और ऐसा ही हुआ है। आप मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, करें। क्या करूं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति है कि वहां पशुओं के चरने को कोई जगह नहीं है। सारा रास्ता बन्द कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास कोनसा रास्ता है, कोनसी तलवार है आपके सिवाय। हम तो आपसे ही कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

बाड़मेर नगर की जल प्रदाय योजना

122. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बाड़मेर नगर की संशोधित जल प्रदाय योजना कब स्वीकृत हुई और उक्त योजना के लिये कितनी राशि का विभिन्न वर्षों में क्या क्या प्रावधान रखा गया और कब तक योजना को सम्पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया?

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(2) वर्ष 1977-78 में उक्त योजना के लिये कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है ? क्या उक्त राशि से सम्पूर्ण योजना क्रियान्वित हो सकेगी ? यदि नहीं, तो क्या बाड़मेर नगर की बढ़ती हुई जन संख्या को देखते हुए इस वर्ष और राशि का प्रावधान कर उक्त योजना सम्पूर्ण कर दी जायेगी ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) योजना वर्ष 1974-75 में स्वीकृत की गई एवं योजना के लिए निम्न प्रकार धनराशि वर्षवार आवंटित की गई :—

वर्ष	राज्य अंश लाख रुपये में	जीवन बीमा निगम से ऋण लाख रुपये में	कुल आवंटन लाख रुपये में
1974-75	5.00	20.00	25.00
1975-76	5.00	20.00	25.00
1976-77	8.30	17.00	25.30
1977-78	6.33	13.67	20.00

योजना को वर्ष 1978—79 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

(2) वर्ष 1977—78 में 20.00 लाख रुपये का प्रावन्टन किया गया है एवं इससे योजना का कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है। फिलहाल प्रावधान बढ़ाने के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत जो नयी 12 इंची पाइप लाइन का विस्तार हो रहा है वह कहां तक पहुंची है ? क्या 1977—78 में बाड़मेर तक आप पहुंचा सकेंगे ?

श्री महबूब अली : 1977—78 में जिस प्रकार के साधन उपलब्ध होंगे, 20 लाख की राशि में जितनी दूर जा सकेगी। उतनी दूर जा सकेगी। धन का कोई प्रावधान अभी तक नहीं किया जा सका है इसलिए यह बताना संभव नहीं है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मेरा निवेदन यह है कि जब तक 12 इंची पाइप लाइन नहीं ले जायी जायेगी, और बाड़मेर नगर तक नहीं पहुंच सकेगी तब तक इस योजना का जनता को लाभ नहीं पहुंच सकेगा। बाड़मेर तक पहुंचाने के लिये आप खर्च कीजिये ताकि इस योजना का लाभ लोगों को मिल सके।

श्री महबूब अली : इसके लिये कोशिश की जा सकती है लेकिन फिलहाल यह नहीं कह सकते कि इस वर्ष कितनी धनराशि उपलब्ध करायी जा सकती है। पाइप लाइन वहां तक पहुंचाने के लिये धन की उपलब्धि बहुत आवश्यक है। जब तक इसका प्रावधान नहीं होगा, मैं निश्चित उत्तर नहीं दे सकता।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्टेटमेन्ट्स दिये हैं और सदन में भी स्टेटमेन्ट दिया है कि पानी के पानी के लिये अधिक से अधिक धनराशि खर्च करेंगे। यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है। बाड़मेर में पानी की स्थिति यह है कि जनता को आल्टरनेट डे भी पानी उपलब्ध नहीं होता है,

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
तीन दिन तक भी नहीं उपलब्ध होता है। यदि यह 12 इंची पाइप लाइन वहां तक नहीं जावेगी तो गर्मी में और भी दिक्कत रहेगी। 12 इंची पाइप लाइन का विस्तार कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? यह जानना चाहता हूं।

श्री महबूब अली : मैं कहने में बिल्कुल असमर्थ हूं कि इस वर्ष कितनी ले जायी जा सकेगी। 1977-78 तक जालिया तक यह पहुंचायी जा सकेगी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जालिया तक पहुंचायी जा सकेगी तो जालिया से बाड़मेर 10 किलोमीटर है। उतनी और व्यवस्था कर दीजिये तो इस योजना का लाभ हो सकता है वरना लाभ नहीं होगा। धनराशि की व्यवस्था करेंगे या नहीं?

श्री महबूब अली : माननीय सदस्य के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई विचार नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 123।

भूतपूर्व विधायक के कमरे से गिरफ्तार किया गया डाकू

123. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि एक भूतपूर्व विधायक के कमरे में, जो कि विधायक निवास में स्थित है, एक श्री जनमेघ नामक डाकू गिरफ्तार किया गया था?

(2) क्या यह सही है कि उक्त डाकू का उक्त विधायक के साथ सम्बन्ध होने का मामला राज्य सरकार के पास काफी दिनों से विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या उस पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है? यदि निर्णय ले लिया है, तो उसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो क्यों? भविष्य में कब तक निर्णय ले लिया जावेगा?

गृह मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) जी हां। दिनांक 4-4-75 को रात्रि के समय 1.15 ए. एम. पर श्री जनमेघ डकैत को श्री रामकुमार, विधायक के कमरा नं. 75 विधायक निवास, जयपुर में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

(2) इस मामले की जांच करायी जा रही है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जावेगा।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालोर) : यह कौनसी पार्टी के विधायक थे?

श्री केदारनाथ : कांग्रेस पार्टी के।

श्री रंगजी मीणा : अध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेस दल के नेता श्री परसरामजी मदेरणा जी को यह कहना चाहता हूं आप कहते हैं कि जनता पार्टी और जनता पार्टी का नाम लेकर राज्य चला रहे हैं लेकिन हमारे भूतपूर्व विधायक श्री रामकुमारजी के कमरे में डकैत पकड़ा जाता है, जो भरतपुर का डाकू है और जिसको चार साल की सजा हो चुकी है। विधान सभा में यह भी कहा गया था कि डकैत को सजा हो जाती है तो भी हमारे विधायक के खिलाफ

(श्री रंगजी मीणा)
आरोप लगाते हैं। उसकी जांच सी. बी. आई. के द्वारा की जा रही थी, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो जांच अब तक हुई है उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री केदारनाथ : सी. बी. आई. का तो मालूम नहीं। हमारे यहां जांच हो रही है और जांच डी. आई. जी., सी. आई. डी. कर रहे हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : जुर्म को प्रोत्साहन देने वाला भी जुल्मी होता है। उसके लिये आप क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन नं. 124।

बिजली की दरें

124. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों के लिए बिजली की दरें क्या क्या हैं ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या कृषि कार्य के लिये दी जा रही बिजली की दरें घटाने के लिए राज्य सरकार सोच रही है ? यदि हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) पूरे राज्य में 30 जून, 1977 तक बन्द व खराब मीटरों को बदलने की कितनी दरख्वास्तें मण्डल को प्राप्त हुई थीं जिन्हें निपटाया जा सका तथा इसके क्या कारण रहे ?

(4) क्या देहाती उपभोक्ताओं की रोजमर्रा की बिल मीटर एवरेज व वाल्टेज की कमी की शिकायतों के उपखण्ड स्तर पर स्थायी निपटारे की कोई प्रणाली तय करने का राज्य सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो क्या ?

(5) न्यूनतम व औसत चार्जेज का क्या आधार है ? मण्डल की गलतियों से भी उपभोक्ताओं को औसत बिल क्यों दिये जाते हैं तथा औसत बिल अधिकतम कितने समय के लिए दिये जा सकते हैं ?

विद्युत् मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (1) पूरे प्रदेश में बिजली की दरें समान हैं। विद्युत् दरों की सूची संलग्न है।

(2) कृषि कार्यों के लिए दी जा रही बिजली की दरें घटाने का कोई विचार नहीं है। यद्यपि मिनिमम चार्जेज कम करें या नहीं, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(3) वांछित सूचना काफी विस्तृत है इसलिए उसको एकत्र करने में काफी समय लगेगा।

(4) उपभोक्ताओं की रोजमर्रा की शिकायतें दूर करना मण्डल के उपखण्ड अधिकारी (सहायक अभियन्ता) का कर्त्तव्य है और यथासम्भव ये अधिकारी प्रयास करते हैं। एवरेज बिलों के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की अपील सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता व मुख्य अभियन्ता को करने का प्रावधान है। वाल्टेज शिकायतें दूर करने के संदर्भ में मण्डल अतिरिक्त 33 के. वी. लाइनें व 33/11 के. वी. के सब स्टेशन बनाने व वर्तमान सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए धन की उपलब्धि के अनुसार प्रयत्न करता है। इसी

(श्री सम्पतराम)
प्रकार छोटे ट्रान्सफार्मर्स की क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न किये जाते हैं ।

(5) विद्युत् मण्डल द्वारा उपभोक्ताओं को बिजली प्रदाय करने हेतु पूंजीगत खर्चा करना पड़ता है । अतः इन पूंजीगत खर्चों पर ब्याज तथा विद्युत् सप्लाई की मेन्टीनेन्स (रख रखाव) पर होने वाले खर्चे के लिए न्यूनतम चार्जेज लिये जाते हैं । मीटर के बन्द होने या खराब होने की स्थिति में जिन महीनों में मीटर बन्द या खराब पाया जाता है, उन महीनों के विद्युत् चार्जेज उन तीन महीनों के, जिनमें मीटर ठीक था, औसत आधार पर लिये जाते हैं । इसी प्रकार विद्युत् की चोरी वाले मामलों में औसत बिल विभिन्न लोड फैक्टर्स के आधार पर दिये जाते हैं। साथ ही यह भी देखा जाता है कि मीटर की रीडिंग में कमी कब से है। इसके लिए चैक करने की तिथि से पिछले तीन साल का उपभोग देखा जाता है तथा जब से मीटर की रीडिंग में लगातार गिरावट महसूस होती है, तब तक का एरियर का बिल दिया जाता है, किन्तु यह औसत बिल चैकिंग की तिथि से पिछले तीन साल के लिये उन उपभोक्ताओं के लिए दिये जा सकते हैं जो बिजली की चोरी के मामलों में पकड़े जाते हैं । इसके अलावा मीटर के बन्द एवं खराब पाये जाने पर जितने महीनों में मीटर बन्द एवं खराब रहे हैं उन महीनों के औसत बिल दिये जा सकते हैं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट—2 देखिये)

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़): क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि मिनिमम चार्ज लागू होने के बाद जब किसान आधी बिजली जलाते हैं तो एवरेज क्या आता है ? मिनिमम चार्जेज तक बिजली जलती ही नहीं। बिजली जलती है 500 रुपये की और मिनिमम चार्जेज होते हैं 1500 रुपये तो उस पर औसत की क्या जरूरत है ?

श्री सम्पतराम : सारा का सारा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के दिमाग में और मेरे दिमाग में भी काफी बार आया है । मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी समस्या सरकार के विचाराधीन है। हम जल्दी ही निर्णय लेंगे ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना पूछना चाहता हूं कि आपने फर्माया कि 3 साल का एवरेज निकालकर बिल भेज देते हैं। विद्युत् मण्डल ने 6 महीने पहले आदेश निकाले थे कि 3 साल के बजाय 6 महीने का एवरेज निकाल कर बिल भेजा जायेगा। जब आपने निर्णय लिया तो उसकी क्रियान्विति अब तक नहीं हो रही है, उसका क्या कारण है, यह बता दें ?

श्री सम्पतराम : जिस निर्णय की सूचना माननीय सदस्य दे रहे हैं वह तो मेरी जानकारी में नहीं है। मैं इतना कह सकता हूं कि पिछले जो भी निर्णय हुए उन निर्णयों से किसी भी किसान या गरीब तबके को फायदा होता था। उसके विपरीत इस सरकार ने कोई फैसला नहीं किया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय कृपया यह बताने का कष्ट करें कि पिछली कांग्रेस सरकार ने कुछ रिबेट के लिए घोषणा की थी, क्या इस सरकार ने उसे वापस ले लिया और राष्ट्रपति शासन के दौरान यह छूट वापस ली गई थी ? यह सरकार उस बारे में अपना क्या विचार रखती है ? छूट वापस देगी या नहीं देगी, इस बारे में आपकी क्या नीति है ?

श्री सम्पतराम : हमारी नीति बहुत स्पष्ट है कि गरीबों और किसानों के लिए जो भी छूट दी गई है वह हम देंगे और यदि सम्भव हुआ तो हम उससे भी आगे बढ़ेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि मीटर भी अवेलेबल नहीं हैं और मीटर अवेलेबल नहीं होने के कारण लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है ?

श्री सम्पतराम : यह बहुत बड़ी, लम्बी-चौड़ी दिक्कत विरासत में मिली है। मैंने पहले ही निवेदन किया कि सारी डिटेल में सरकार विचार करेगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मीटर का सवाल है, मीटर नहीं मिलते हैं।

श्री सम्पतराम : हम विचार करेंगे और इन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करेंगे। मीटरों का भी सवाल है और ट्रांसफार्मरों का भी सवाल है। सब सवालों को हम देखेंगे।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मीटर उपलब्ध नहीं होने से जो कनेक्शन देने चाहिये थे वह नहीं दिये गये इसलिए मिनिमम चार्जेज उनसे अभी भी लिये जा रहे हैं। गलती राज्य सरकार की है, उपभोक्ता की नहीं है। तो क्या ऐसे केसेज में मिनिमम चार्जेज हैं उनको एडजस्ट करेंगे या क्या करेंगे ?

श्री सम्पतराम : इस तरह का कोई उदाहरण मेरी नजर में नहीं आया। नोटिस दे दिया जाता है। बोर्ड एक कामर्शियल कन्सर्न है। वह बहुत बड़ा एक्सपेन्डिचर कर देता है और सब खर्चा कर देता है लेकिन जब नोटिस दे दिया जाता है उसके बाद भी रुपया जमा नहीं कराते हैं तो इसमें बोर्ड की गलती नहीं है। जो भी कामर्शियल कन्सर्न की परिभाषा और परम्परा है उसके अनुसार जिसको बिजली दी जाती है वही खर्चे को वहन करता है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है मेरे प्रश्न से वह बिल्कुल भिन्न है। क्या यह सही है कि इसलिए कनेक्शन नहीं दिये गये कि बोर्ड के पास मीटर नहीं थे ? ऐसे केसेज में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री सम्पतराम : यदि बोर्ड की गलती से ऐसा काम हुआ और जिस केस में बोर्ड की गलती हुई है और उसको ध्यान में लाया जायेगा तो हम कार्यवाही करेंगे।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : मैं मन्त्री महोदय से सवाल पूछना चाहूंगा कि डिमांड

(श्री माधोसिंह)
नोटिस जारी करने के बाद कितने अर्से में कनेक्शन दिया जाना चाहिये ?

श्री सम्पतराम : 15 दिन या महीने का टाईम है।

श्री माधोसिंह : जो व्यक्ति पैसे जमा करा देता है बोर्ड के डिमांड नोटिस पर उसके बाद में कितने अर्से में आपके विभाग के द्वारा कनेक्शन दे दिया जाना चाहिये ? मेरा सवाल यह है।

श्री सम्पतराम : यह मेरी जानकारी में अभी नहीं है।

श्री माधोसिंह : पैसे जमा कराये जाने के आठ दस महीने तक भी कनेक्शन नहीं दिया जाता है, ऐसी समस्या सिरोही जिले के रेवदर में है। लोगों को पैसे जमा कराये आठ, दस महीने हो गए, ऐसी शिकायतें करीब 25–30 कनेक्शन के बारे में हैं, उनको कनेक्शन अभी नहीं दिये हैं।

श्री सम्पतराम : मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं। सरकार की मन्शा नहीं है कि दोषी व्यक्तियों को शील्ड करे। आप मेरे नोटिस में लायेंगे और यह साबित हो जायेगा कि बोर्ड की गलती से किसानों के रुपया जमा कराने के बावजूद ड्यू कोर्स में कनेक्शन मिलना चाहिए था वह नहीं मिला तो हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री माधोसिंह : अच्छा, धन्यवाद।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (वनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं, वह कृपया मुझे एक सूचना दें। यह जो बिजली राजस्थान में सप्लाई की जा रही है यह किस रेट पर राजस्थान सरकार को घर में पड़ती है ? किस रेट पर किसानों को दी जाती है और किस रेट पर डी. सी. एम., सीमेन्ट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ और जे. के. सिन्थेटिक, कोटा को दी जा रही है ? यह जरा बताने की कृपा करें।

श्री सम्पतराम : यह मैंने अभी वर्क आउट नहीं किया है। यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह सवाल सिद्धान्त का है इसलिए इसका जवाब नहीं आ रहा है। इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को बिजली तीन पैसे और पांच पैसे यूनिट दी जाती है और किसानों को 25 पैसे यूनिट दी जाती है। यह काफी बड़ा फर्क है और किसानों के साथ बड़ा अत्याचार है। उनको लूटा जा रहा है और बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनके साथ सांठगांठ करके उनको कम रेट पर बिजली दी जा रही है इसलिए मंत्री महोदय इसका जवाब टाल रहे हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : यह तालियां पीट रहे हैं, इन्होंने ही तो यह सब कुछ किया है। यह आपसे ही विरासत में मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिलिंग होता है वह एल.डी.सी. या यू.डी.सी. द्वारा किया जाता है और फार्मेलिटी के रूप में ए. ई. एन. के दस्तखत हो जाते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि क्लेरिकल गलती है तो ए.ई.एन. ही करेक्शन कर दें और

Page No 16

(1६

(श्री मूलचन्द सामरिया)
डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले किसान को एक्स. ई. एन. के पास नहीं जाना पड़े। किसान को एक्स.ई.एन. के पास तक जाने में बड़ी दिक्कत होती है। क्या प्राप ए.ई.एन. को ऐसी पावर्स डेलीगेट करेंगे कि एपरेन्ट मिस्टेक प्रान दी रिकार्ड है या क्लेरिकल मिस्टेक है तो वह करेक्शन कर दें? करेक्शन की पावर्स आप ए. ई. एन. को डेलीगेट करेंगे?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत चर्चा हो गयी।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही आवश्यक प्रश्न करना चाहूंगा। तालाबों में जिनके कुए डूबे हुए हैं और वह बिजली नहीं काम में ले रहे हैं उनसे भी मिनिमम चार्जेज लिये जा रहे हैं तो क्या मंत्री महोदय कहेंगे कि उनसे मिनिमम चार्जेज नहीं लिये जायेंगे?

श्री अध्यक्ष: जो भी स्थिति है वह है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : अध्यक्ष महोदय, 7 पैसे यूनिट और 25 पैसे यूनिट में तो बहुत बड़ा अन्तर है। यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब है सो तो है।

श्री चिरंजीलाल गर्ग : कई कुए तालाबों में डूब गये हैं और मेरे क्षेत्र में उटडा गांव है उसमें ऐसा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रघुनाथ बिश्नोई।

ग्राम कूडा में पानी का होज

125. **श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) :** क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि सांकड--पालडी--पुर वगैरह ग्रामों की जल प्रदाय योजना द्वारा सब ग्रामों में पानी सप्लाई शुरू करवा दिया गया है? अगर हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत बने ग्राम कूडा के होज में नियमित ढंग से पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है? अगर हां, तो कब से एवं क्यों? उक्त होज में पानी सप्लाई करने में क्या कठिनाई आ रहा है और कठिनाई को कब तक एवं कैसे दूर किया जायेगा?

(3) क्या विभाग ग्राम कूडा के होज में नियमित ढंग से पानी सप्लाई करने के लिए पानी सप्लाई का समय बढ़ाने का विचार रखता है? अगर हां, तो कितना एवं कब तक? क्या इससे उक्त कठिनाई दूर हो जावेगी? क्या सरकार कूडा ग्राम के होज में पानी को बीच में रोकने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना उचित समझेगी? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, अब तो उत्तर पढ़ना शुरू कीजिये।

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली): (1) जी हां। योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 12 ग्रामों में से 4 ग्रामों को सन् 1974--75, 5 ग्रामों को 1975--76 एवं 3 ग्रामों को नवम्बर, 1976 तक जल वितरण प्रारम्भ कर दिया गया था।

(श्री महबूब अली)

(2) ग्राम कूड़ा में वर्तमान में सुचारु रूप से जल वितरण किया जा रहा है। गर्मियों में जल की मांग बढ़ाने के कारण ग्राम कूडा तक कभी-कभी जल नहीं पहुंचता है। अब एक और नलकूप चालू किया जा कर यह कठिनाई शीघ्र दूर कर दी जावेगी।

(3) जी हां। तीसरा नलकूप चालू होने पर ग्राम कूडा में 7,000 गेलन जल प्रतिदिन दिया जा सकेगा। जी हां। राह में पानी रोकने वालों के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट की गई थी। किन्तु व्यक्ति विशेष पर अपराध साबित न होने के कारण अभी तक कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अभी तो बरसात चल रही है। पानी ही पानी पड़ रहा है। पानी रास्ते में खत्म हो जाता है। क्या आप कार्यवाही करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है?

श्री महबूब अली : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं सूचना दे रहा हूं। पानी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। गर्मी के 3 महीने में 8-10 दिन पानी मिलता हो तो पता नहीं, पानी बीच में ही खत्म हो जाता है।

श्री महबूब अली : पानी तो देते हैं। रास्ते में तोड़कर पानी का उपयोग कर लेते हैं, इसकी शिकायत पुलिस को बहुत बार की जा चुकी है। किसी व्यक्ति को पिन पाईंट नहीं किया जा सका इसलिए कार्यवाही नहीं की जा सकी। एक और नलकूप बढ़ा रहे हैं इसके अन्तर्गत पानी पहुंचने लग जायेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नलकूप से हल नहीं होगा। इस समय घंटे दो घंटे छोड़ देते हैं। क्या राज्य सरकार इसका समय बढ़ा कर इस होज पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी? ट्यूब वैल शुरू करने से पानी नहीं पहुंचेगा।

श्री महबूब अली : समय बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। पानी की मिकदार रहेगी तो उसका उपयोग हो सकता है वरना समय बढ़ाने से अगर पानी का प्रेशर नहीं है तो उसका उपयोग नहीं होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पानी तो है। डिफिकल्टी यह है कि बीच में अन-आथोराइज्ड होज बना दिये, टूटियां लगा दीं। यह जो कुछ हुआ, हो गया परन्तु फिर भी जो हर्डल है उसको मिटाकर नियमित रूप से क्या पानी की व्यवस्था करेंगे?

श्री अध्यक्ष : स्पैसिफिक क्वेश्चन है, सरकार के पास जवाब हो तो दे।

श्री महबूब अली : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है कि उसके अन्दर टूटियां लगा दी गई हैं और पानी लिया जा रहा है। इसके बारे में पूछताछ की जायेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : व्यवस्था कर दी जायेगी, यही बात है न?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन!

श्री राम प्रसाद लड्ढा!

माही प्रोजेक्ट के मेन बंधे का निर्माण कार्य

126. **श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) माही प्रोजेक्ट के मेन बन्धे का निर्माण कार्य किन शर्तों पर राज्य सरकार ने देने का निर्णय लिया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्य के लिये गुजरात स्टेट कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा 10 प्रतिशत बिलो रेट में टेन्डर दिये गये थे किन्तु उक्त टेन्डर को स्वीकार न कर पुरी व शर्मा कन्सट्रक्शन को 50 प्रतिशत अधिक रेट पर उक्त निर्माण का टेन्डर पास किया ?

सिंचाई मंत्री (श्री सम्पत राम) : (1) माही परियोजना के मुख्य बांध के निर्माण का कार्य माही नियंत्रण मण्डल द्वारा निविदा लेखों की शर्तों एवं माही नियंत्रण मण्डल द्वारा नियुक्त निविदा जांच समिति द्वारा समय-समय पर निविदाओं को आपस में तय करने हेतु की गई बातचीत के दौरान कुछ अन्य शर्तें जो विभाग/समिति को मान्य थीं एवं निविदादाताओं द्वारा भी स्वीकार की गई, के आधार पर माही नियंत्रण मण्डल द्वारा इन शर्तों की स्वीकृति पर निर्णय लिये जाने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा निविदा स्वीकृत हेतु निर्णय लिया गया। शर्तों का विवरण अनुबन्ध-पत्र में उपलब्ध है।

(2) यह सत्य नहीं है कि उक्त कार्य के लिए गुजरात स्टेट कन्सट्रक्शन कं. द्वारा 10 प्रतिशत बिलो रेट पर निविदा दिया गया। गुजरात स्टेट कंसट्रक्शन कं. द्वारा उक्त कार्य के लिये कोई निविदा नहीं दिया गया न ही जो निविदा इस कार्य के लिए प्राप्त हुए उनमें कोई निविदा 10 प्रतिशत बिलो प्राप्त हुआ। प्राप्त निविदाओं में से माही नियंत्रण मण्डल द्वारा इस कार्य के निविदाओं की जांच कर अपनी सिफारिश देने हेतु नियुक्त निविदा जांच समिति द्वारा, विभाग द्वारा निर्धारित निविदा लेख एवं विभाग को कुछ अन्य मान्य शर्तों पर समय-समय पर बातचीत कर उनसे सहमत होने वाले निविदादाताओं में से जिन दो निविदादाताओं मैसर्स पुरी कन्सट्रक्शन कं. लि. दिल्ली व मेसर्स आर. एस. शर्मा एण्ड कं. दिल्ली को उनकी न्यूनतम निविदा राशि 1972 के माही बेसिक शिड्यूल आफ रेट्स से क्रमश: 44.87 प्रतिशत अबोव व 44.51 प्रतिशत अबोव है। अत: यह सत्य नहीं है कि इन ठेकेदारों को 50 प्रतिशत अधिक रेट पर उक्त निर्माण का कान्ट्रेक्ट पास किया।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पुरी व शर्मा कन्सट्रक्शन कं. का तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी से संबंध था ? निविदा द्वारा जो आवास भवन बनाया गया था उसी आवास भवन में पुरी और शर्मा कन्सट्रक्शन ठेकेदार रहते थे जब कि उसका उपयोग करने का इनको कोई अधिकार नहीं था ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार के भवन के उपयोग की व्यवस्था सरकार के पास है ? अगर नहीं है, तो पुरी, शर्मा कन्सट्रक्शन कं.

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)
को यह सुविधा हरिदेव जोशी की मिली भगत से दी गई ?

श्री सम्पत राम : माननीय अध्यक्ष जी वहां पर रैस्ट हाउस बना यह सूचना मेरे पास नहीं है। इस प्रश्न से बिल्कुल सम्बन्धित नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो इस सम्बन्ध में अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : इस संबंध में मेरा अलग से प्रश्न भी है लेकिन आज की तारीख में वह नहीं है। उस भवन को पुरी और शर्मा कन्सट्रक्शन कं. को दिया गया। इससे स्पष्ट है कि बांसवाड़ा की उक्त कम्पनी को तत्कालीन मुख्य मंत्री की विशेष मिली भगत के कारण सुविधा दी गई है।

श्री सम्पत राम : माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नों के द्वारा संसदीय परम्पराओं के अनुसार सूचनायें ली जाती हैं, दी नहीं जातीं।

प्रश्न संख्या 127।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनन्दन व्यास!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

अनुपस्थित

स्थगित प्रश्न

एक माननीय सदस्य : एक प्रश्न रह गया।

श्री अध्यक्ष : कौन सा रह गया ?

प्रश्न संख्या 128। श्री श्रवण लाल!

सवाई माधोपुर जिले की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं

128. श्री श्रवण लाल (हिन्डोन) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का योजना के अनुसार सर्वे किया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त जिले में किस-किस जगह का सर्वे किया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं में से राज्य सरकार इस वर्ष कहां-कहां पर जल प्रदाय योजना चालू करने जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) जिला सवाई माधोपुर में सर्वेक्षण की गई योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस वर्ष जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री श्रवण लाल : यह विचाराधीन कब तक रहेगा ?

श्री महबूब अली : विचाराधीन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह!

Page No 20

(२०)

कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिये साक्षात्कार

129. श्री मदनसिंह (लक्ष्मणगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आपातकाल के दौरान निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर में 30—1—77 को कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु टंकण परीक्षा, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार लिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री डी. पी. माथुर अतिरिक्त निदेशक, 30—1—77 से लम्बे अवकाश पर चल रहे थे, परन्तु अपने किन्हीं स्वार्थों से प्रेरित होकर साक्षात्कार एवं परीक्षा के समय उपस्थित रहे और सारी प्रक्रिया में पूर्ण सक्रिय भाग लिया ? यदि हां, तो उन्होंने अवकाश के दौरान व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु राजकीय कार्य में हस्तक्षेप, साक्षात्कार में एवं नियुक्तियों में अनियमितताएं कीं, यह कहां तक ठीक है ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर के किसी परिचारक ने इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए उच्चाधिकारियों से नामजद शिकायत की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त परिचारक को जयपुर में बीकानेर से स्थानान्तरण होकर आये एक वर्ष भी नहीं हुआ था कि श्री माथुर ने बदले की भावना से प्रेरित होकर एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी का स्थानान्तरण झुन्झुनूं जिले में कर दिया ?

(5) आपातकाल के दौरान भ्रष्ट कार्यवाही करने वाले ऐसे अधिकारी के विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या राज्य सरकार ऐसे अधिकारी के खिलाफ जांच करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्रीमती विद्या पाठक) : इस प्रश्न के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है इसलिये इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहूंगी। इसे स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

स्थगित प्रश्न। श्री रामसिंह विश्नोई।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26 जुलाई, 1977)

सेल्समैन-वेमैन्स को बकाया वेतन का भुगतान

8. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1969 के अकाल में जोधपुर तहसील में सरकारी सस्ते धान की दुकानें खोल कर सेल्समैन व वेमैन वेतन पर नियुक्त किये थे ? अगर हां, तो ऐसे कितने सेल्समैन व वेमैन नियुक्त किये थे ? उनकी सूची मय नियुक्ति तारीख एवं कार्यकाल व उनके वेतन दर्शाते हुये सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) क्या यह भी सही है कि बार-बार तकाजा करने के बावजूद भी आज

(श्री रामसिंह विश्नोई)
तक उन कर्मचारियों को वेतन व यात्रा भत्ता नहीं मिला ? अगर हां, तो क्यों ? और अब कब तक उन्हें वेतन आदि का भुगतान कर दिया जायेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री आदित्येन्द्र): (1) जी हां। सन् 1968 के अकाल में जोधपुर तहसील में सरकारी सस्ते धान की दुकानों पर कुल 28 सेल्समैन व 28 वेमैन-कम-चौकीदार नियुक्त किये गये थे। इनका कार्यकाल 6 माह के लिये था। इन कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक 16-7-69 के आदेश द्वारा निम्न वेतनमान पर की गई थी :—

[1] सेल्समैन वेतन 110)रु. मासिक अतिरिक्त भत्ता 98) रु., कुल 208)रु.।

[2] वेमैन-कम-चौकीदार,वेतन 98) रु. अतिरिक्त भत्ता 71)रु., कुल 169) रु.।

(2) जी हां। 18 सेल्समैन एवं 18 वेमैनों के बिल तैयार किये जाकर महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को प्री-आडिट हेतु भेजे गये थे, परन्तु महालेखाकार ने उन पर कुछ आक्षेप लगाकर वापस लौटा दिये थे। इन आक्षेपों की पूर्ति की जाकर उन्हें शीघ्र ही महालेखाकार को भेजा जा रहा है तथा प्री-आडिट होने पर उनका भुगतान कर दिया जावेगा। शेष 10 सेल्समैन एवं वेमैन द्वारा इनडेमनिटी बान्ड प्रस्तुत न किये जाने के कारण उनका बिल तहसील जोधपुर के विचाराधीन है तथा वांछित कार्यवाही पूर्ण होने पर उनका भुगतान भी कर दिया जावेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, 10 सेल्समैन का मामला पुराना है। मंत्री महोदय कोई तारीख बता दें, दो महीने, 6 महीने या अपने कार्यकाल तक, जिसमें इसका भुगतान हो सके।

एक माननीय सदस्य : कार्यकाल में ?

श्री आदित्येन्द्र : 18 सेल्समैन और 18 वेमैनों के केस ए.जी. आफिस भिजवाये जा चुके हैं। ए.जी. आफिस से आने के बाद तीन महीने में भुगतान हो जायगा। बाकी जो रह गये हैं 10 सेल्समैन के उनके इनडेमनिटी बान्ड प्रस्तुत करने के बाद उनके भी बिल तैयार किये जायेंगे। उसके लिये प्रयास किया जा रहा है। अभी तक उनके पतों का पता नहीं चला है। जैसे ही मालूम हो जायगा कहां पर हैं, उनके बिल भी तैयार करवा कर भिजवा दिये जायेंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : 18 सेल्समैन और 18 वेमैनों में कितना समय लग जायगा ?

श्री आदित्येन्द्र : तीन महीने लग जायेंगे और उनका पेमेंट हो जायगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : तीन महीने में सारी फार्मेलिटी पूरी करके पेमेन्ट हो जायेगा ?

श्री आदित्येन्द्र : तीन महीने में पेमेंट पूरा हो जायगा। उनके भी पते पूछे जा रहे हैं। यह मालूम होने पर उनको भी पेमेंट कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

समय सारणी के अनुसार बसों का आवागमन

127. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से सम्बन्धित बस मार्गों पर बसों का आवागमन समय सारणी के अनुसार हो रहा है ? क्या आबू रोड़ जवाई बांध से बसें समय पर रवाना होती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जवाई बांध व फालना से जालोर तक की दूरी तय करने में प्राइवेट बसों के चालन के समय 2–30 घन्टे लगते थे जहां आज निगम की बसें चार घण्टे लेती हैं ? आबूरोड से राणीवाड़ा जाने वाली बसें भी चार घण्टे लेती हैं जब कि समय 2–30 घण्टे ही लगना चाहिये ? क्या ये बसें खेदर, मंडार, बड़गांव पर तीस-तीस मिनट रुकती है ?

(3) क्या निगम के बस अड्डों पर टाइम टेबल उपलब्ध हैं ? विभागीय व जिला केन्द्रों पर वे अंकित नहीं हैं ?

(4) क्या सवारियों की बढ़ोतरी पर विशेष बसें उपलब्ध होती हैं ? क्या यह भी सही है कि कई बार बसों की छतों पर तीस-तीस सवारियां बैठाई जाती हैं ? इसके डिपो मैनेजर कहीं नहीं दिखलाई पड़ते ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या ऐसी स्थिति में जनहितार्थ राज्य सरकार प्राइवेट बस ओपरेटर्स को इन्हीं मार्गों पर बसें चलाने की अनुमति देने को तत्पर है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं । जवाई बांध (ऐरिनपुरा) से जालोर की दूरी के लिए तीन घंटे एवं फालना से जालोर की दूरी के लिए 2–30 घंटे लगते हैं । आबूरोड से रानीवाड़ा की दूरी चार घन्टे में पूरी की जाती है । इस मार्ग पर खेदर, मण्डार व बड़गांव पर क्रमशः 15 मिनट, 30 मिनट एवं 5 मिनट साधारण सेवा वाहन रुकती है ।

(3) जी हां । निगम के सभी बुकिंग कार्यालयों पर भी समय सारिणी अंकित है ।

(4) यात्रीभार बढ़ने पर निगम द्वारा अतिरिक्त बस उपलब्ध कराई जाती है । कभी-कभी अत्यधिक सवारियां हो जाने पर यात्री बसों की छतों पर परिचालक के मना करने पर भी बैठ जाते हैं ।

(5) जी नहीं । राष्ट्रीयकृत मार्ग पर निजी वाहनों को संचालन की अनुमति देना संभव नहीं है ।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

विधेयक में हिन्दी में संशोधन

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष, व्यवस्था का प्रश्न है । हमारे यहां आने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में हमने कुछ

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
अमेंडमेंट्स प्रस्तुत किये थे। वे हिन्दी में थे। उनको स्वीकार नहीं किया, इस सम्बन्ध में··

श्री अध्यक्ष : वह अभी आयेगा··

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आयेगा नहीं। कल हिन्दी अनुवाद के रूप में अमेंडमेंट शामिल नहीं किये गये जबकि अन्य माननीय सदस्यों के··

(व्यवधान)

शामिल किये गये हैं। सरकार सदस्यों के साथ भी पक्षपात करती है। यह अन्याय सदस्यों के साथ क्यों किया जा रहा है? विधेयक हिन्दी में भी हैं अंग्रेजी में भी हैं।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : आप 'अमेंडमेंट' शब्द को भी अच्छा हो हिन्दी में ही बोलें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हां। मैं हिन्दी में ही कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं सूचित करता हूं कि जो एक्ट पहले अंग्रेजी में थे, उनके अमेंडमेंट आदि अंग्रेजी में ही लिये जाते हैं। अब सब हिन्दी में ही कार्यवाही होती है और नये एक्ट जितने होते हैं, वे हिन्दी में ही होते हैं। उनकी सारी कार्यवाही हिन्दी में ही की जाती है। मैंने कल भी माननीय सदस्यों को जानकारी देने की चेष्टा की थी, मगर उनके समझ में नहीं आया। मैं समझता हूं मेरा स्पष्टीकरण पर्याप्त होगा।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो वितरण किया गया, उसमें हिन्दी में संशोधन दिये गये थे, उनको कहीं भी छापा नहीं गया। सिर्फ अंग्रेजी के जो संशोधन थे, उनको ही छापा गया है। आज जो सरकार का संशोधन है, वह अंग्रेजी में भी है और हिन्दी में भी है।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह अनुवाद है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह किसी सदस्य का है तो उसमें पक्षपात क्यों?

श्री अध्यक्ष : भविष्य में आपकी इच्छानुसार ही काम होगा और सारा काम हिन्दी में ही होगा। आपकी व्यवस्था पर रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट से नहीं प्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से कार्यवाही की जा रही है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : पर, अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कह रहा हूं कि सब सदस्यों के साथ अलग-अलग वर्ताव क्यों?

श्री अध्यक्ष : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा ही होगा भविष्य में।

माननीय विधि मंत्री जी।

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य सलाहकार समिति के निर्णय के बिना विधेयक पर विचार-तिथि में परिवर्तन

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल इस हाउस में···

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। निवेदन यह है कि आज का बिजनेस हमको सरक्यूलेट हुआ है, कल जो दो यूनिवर्सिटी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

के बिल पारित नहीं हो सके थे, उन्हें आज बिजनेस में ले लिया गया है । कल हमें पालियामेंट्री अफेअर्स मिनिस्टर महोदय ने इनको न लेने का विश्वास दिलाया था और कहा था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायगा कि बिलों पर कब विचार होगा । पालियामेंट्री अफेअर्स मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया था फिर उस आश्वासन से मुकर करके यह बिल बिजनेस में कैसे आ गये । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं हो जाती तब तक यह कैसे आ सकते हैं ? स्पष्टतया सदन में कहा गया था, इसलिये मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि विधायी कार्य प्रारम्भ होने से पहले ही विधि मंत्री जी इस सम्बन्ध में उचित प्रस्ताव लायेंगे और सदन को अधिकार है कि उसको स्वीकार करे या नहीं करे ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सर्वश्री जगतार सिंह व शंकर लाल, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला गंगानगर के करणपुर कस्बे में कुछ दुकानों के अनियमित रूप से आवंटित करने के विरोध में मण्डी के व्यापारियों द्वारा की गई हड़ताल की घोषणा के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है ।

इस प्रस्ताव को मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जगतार सिंह (करणपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि आपने स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है यह बिलकुल ठीक नहीं है । वहां अवैध दुकानों के निर्माण को लेकर एक व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठा है । उसकी हालत चिन्ताजनक है । दुकानें अपने रिश्तेदारों के नाम से और अपने सगे सम्बन्धियों के नाम से आवंटित हो रही हैं सारी । . . .

(व्यवधान)

पशुओं को हांकने की जगह नहीं है । वहां के जमींदार अपने पशुओं को कहां रखेंगे ? सर्दी में उनके लिये कोई जगह नहीं बचेगी ।

(व्यवधान)

जेठमलजी ने सरकार के समक्ष काफी एतराज पेश किया और एतराज के होते हुये भी उन दुकानों का अवैध आबंटन जारी रखा और स्थिति दबा दी गई । कलेक्टर को भी जानकारी दी गई । कलेक्टर ने एस. डी. एम. को कहा है । एस. डी. एम. ने पुलिस को ले जाकर देखा लेकिन उन्होंने दुकानों के आगे अपने बोर्ड लगाने बन्द कर दिये और दुकानों में काम रातों रात पूरा कर लिया । श्री किशन छाबड़ा आमरण अनशन पर बैठे हैं । अगर इन पूरी दुकानों की नीलामी की जाती तो वहां प्रति दुकान 10 हजार रुपये देने को तैयार थे । माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ओर तो नगरपालिकाओं की जितनी यह दुकानें अलाट की गई हैं उनमें कितने ही पैसे का

(श्री जगतार सिंह)

दुरुपयोग हुआ है। अपने रिश्तेदारों के नाम से चोरी से दुकानें अलाट कराई हैं।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

दूसरी तरफ एक व्यक्ति का सवाल है। मैं सरकार का ध्यान दिला कर यह विश्वास लेकर चलता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेगी।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वक्त मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जैसा कहा है और राजस्थान पत्रिका में भी समाचार प्रकाशित हुआ है कि किशन छावड़ा का 23 जुलाई से अनशन चल रहा है आमरण अनशन, जिसको छः सात दिन हो गए हैं। दूसरी ओर व्यापारियों ने हड़ताल कर रखी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि जो आमरण अनशन और हड़ताल चल रही है तो अब तक सरकार ने इस पर क्या ध्यान दिया है और माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है उसके बारे में सरकार क्या कर रही है?

श्री अध्यक्ष : सरकार शायद इस पर विचार करेगी।

श्री शंकरलाल : अभी तो मौन है।

श्री अध्यक्ष : मैं सरकार की ओर से कह रहा हूं, विचारार्थ है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव कल पेश किया था जो भरतपुर हास्पिटल के बारे में था। मैंने समय पर वह प्रस्ताव आपके कार्यालय में पहुंचा दिया था···

श्री अध्यक्ष : मुझे मालूम है, माननीय सदस्य। पांच मिनट के लिए बोल लीजिए। अभी तो सरकार को रैफर किया गया है, उत्तर तो अभी नहीं आएगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ऐसे मामले में भी सरकार का उत्तर नहीं आएगा तो क्या होगा। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं···

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्ताव आदि, जिन पर अध्यक्षीय व्यवस्था न हो, पर चर्चा

श्री जयकृष्ण शर्मा : पोइन्ट आफ आर्डर, सर। हाउस में जब सवाल ही नहीं आया तो माननीय सदस्य बोल क्या रहे हैं? पहले आप हाउस को बतलाइये कि भरतपुर हास्पिटल में क्या हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह तो बिल्कुल गलत परिपाटी होगी कि कोई भी सदस्य एक छोटा मोटा प्रस्ताव दे दे और आप कह दें कि पांच मिनट बोल लीजिए। यह हाउस की परम्परा के लिए अच्छी चीज मालूम नहीं देती। आखिर हमें पता तो चले कि क्या दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे सूचना मिल चुकी है। सरकार की ओर से उत्तर नहीं आने की दिशा में मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करता हूं कि दो मिनट बोल कर सदन को अवगत करायें। बहुत से माननीय सदस्यों की यही

(श्री अध्यक्ष)
भावना है और यही परम्परा के अनुकूल मैंने व्यवस्था दी है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कि भरतपुर के अस्पताल में जो मरीजों को दूध दिया जाता है उसके अन्दर सिर्फ पानी ही मिला हुआ नहीं होता बल्कि कितनी ही ऐसी चीजें मिली हुई होती हैं जिसको स्लो पायजन कहा जा सकता है। यह मेरे पास वहां के डाक्टरों के द्वारा सील बन्द एक बोतल भेजी गई है। इस पर डाक्टर के दस्तखत भी हैं। वहां पर जो ठेकेदार है और जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी है उन दोनों की मिली भगत से मरीजों को, जो कि खास तौर से गरीब हैं, यह दूध पिलाने के लिए दिया जाता है। अगर सरकार इस तरह के जो हमारे विचार हैं, जो हमारी सूचनाएं हैं उन पर भी मौन रहना चाहती है, तो क्या मैं यह समझूं कि यह स्लो पायजन से गरीबों को मारने वाली सरकार है? मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए, आपकी आज्ञा से सीलबन्द बोतल, जिसके अन्दर हास्पिटल में दिया जाने वाला दूध भरा है, सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। आपकी यह व्यवस्था चाहता हूं कि इस मामले की जांच किसी कमेटी के द्वारा करवाई जाय और स्वास्थ्य मंत्री से कहें कि इतने गम्भीर मसले के ऊपर कार्यवाही करें। दो आदमी—ठेकेदार और जिला स्वास्थ्य अधिकारी मिल कर मरीजों के साथ इस तरह की बात करते हैं उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह बोतल मैं आपकी आज्ञा से सदन की मेज पर रखना चाहता हूं।

(बोतल सदन पटल पर रखी गई)

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं श्रवणलाल जी? आप स्थान ग्रहण करें।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री वंशीलाल सारस्वत (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इससे पूर्व निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने नागौर में बाढ़ से उत्पन्न विषम स्थिति के बारे में ...

श्री अध्यक्ष : दो मिनट।

श्री वंशीलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, सन् 1975 से नागौर शहर में करीब करीब बाढ़ का प्रकोप है। और हमें पता है कि इस सम्बन्ध में नागौर शहर की तरफ से आवेदन पत्र पेश किए थे। इस सम्बन्ध में स्थायी हल निकालने के लिए राज्य सरकार ने कुछ एक्सपर्ट भी भेजे थे। मगर पिछले तीन दिनों से जो पानी शहर में स्थानीय और बाहर की बाढ़ से आया है उसके कारण से नागौर शहर और उसके पास के, समीप के गांवों में करीब तीन चार फुट पानी करीब पांच सात मोहल्लों में बहना शुरू हो गया है। उसके फलस्वरूप करीब एक तिहाई हिस्सा शहर का जल से

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

प्रभावित है और वहां से निकलना मुश्किल है। मकानों की स्थिति इतनी दयनीय है कि सरकार के द्वारा तुरन्त कार्यवाही किया जाना बहुत आवश्यक है। जिला प्रशासन प्राय: निष्क्रिय है। उसकी अकर्मण्यता के कारण कोई भी सहारा या जो लाभ पहुंचना चाहिए लोगों को वह नहीं पहुंच रहा है। जो उनकी मांग है उस पर सुनवाई होनी चाहिए लेकिन वह नहीं हो रही है। इसलिए मैं······

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करें और पानी को बाहर निकलवाने की व्यवस्था करें।

श्री श्रवणलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय,····

श्री अध्यक्ष : नहीं माननीय सदस्य, आपको कोई सूचना नहीं है।

श्री श्रवणलाल : मैं सूचना के बारे में ही अर्ज करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे कक्ष में आकर मुझ से मिल कर चर्चा कर सकते हैं, यहां नहीं।

माननीय परिवहन मंत्रीजी !

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र प्रतिवेदन

श्री केदारनाथ (परिवहन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 1975-76 को सदन की मेज पर रखता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सरकारी तथा मान्यता प्राप्त शालाओं में शुल्क वृद्धि

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव,

श्री गुल मोहम्मद !

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान सरकारी स्कूलों के अन्दर जो गैर सरकारी स्कूलों की फीस ली जा रही है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, स्कूलों के अन्दर पिछले वर्ष जो फीस ली जाती थी उन फीसों के अन्दर अब और बढ़ोतरी कर दी गई है। उस बढ़ोतरी के अन्दर इतनी फीस बढ़ा दी गई है कि कोई भी गरीब व्यक्ति का बच्चा स्कूल के अन्दर दाखिला करवाने से महरूम रहता है। मैं आपसे यह विनती करता हूं कि जो फीस गत वर्ष से ज्यादा इस साल बढ़ाई गई है, मेहरबानी करके उस फीस को समाप्त कर दिया जावे। इसके कारण जो हम अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने वाली बात कहते हैं, गरीब व्यक्ति के बच्चों के लिए, खास तौर से वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। वे फीस की वजह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। बड़े बड़े व्यक्तियों के जो बच्चे हैं वे तो प्राईवेट स्कूलों में जाकर शिक्षा प्राप्त कर

(श्री गुल मोहम्मद)
लेते हैं और जो गरीब तबके के बच्चे हैं वे शिक्षा से महरूम रह जाते हैं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह से कालेजों के अन्दर और पत्राचार पाठ्यक्रम के अन्दर भी फीस बहुत बढ़ा दी है। पत्राचार पाठ्यक्रम के अन्दर ढाई सौ, तीन सौ रुपये पहले लेते थे। इस साल से आठ सौ, नौ सौ रुपये लिये जाते हैं जो कि गैर वाजिब है। इस तरह से एक ही बार वर्ष के अन्दर फीस ले लेना यह अशोभनीय बात है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से, अध्यक्ष महोदय की मार्फत कहना चाहूंगा कि इस पर तुरन्त कार्यवाही करें और सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराने की महरबानी करें।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री जी !

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक फीस में वृद्धि का प्रश्न है, राज्य सरकार के आदेश से सत्र 1976–77 से सामान्य विज्ञान स्कूल व कार्यानुभव स्कूल की उच्च कक्षा में एक एक रुपया प्रति माह तथा बड़ी कक्षाओं में कार्यानुभव के लिए 75 पैसे प्रति माह के हिसाब से लिया जा रहा है ताकि विज्ञान एवं कार्यानुभव का प्रेक्टिकल कार्य सुचारु रूप से किया जा सके और विज्ञान के पठन-पाठन का स्तर ऊंचा हो सके। सारे राजस्थान की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में छात्र कोष में स्कूल की दरों में कुछ भिन्नता है। यह भिन्नता कुछ तो छात्रों को दी जाने वाली विशेष सुविधाओं जैसे साईकिल स्टेण्ड, फीस, विद्यार्थी परिचय पत्र व डायरी, परिषद सदस्यता शुल्क, टाइप शुल्क अथवा अन्य ऐच्छिक शुल्क जैसे अध्यापक अभिभावक संघ शुल्क आदि के कारण है जो विभिन्न स्कूल अपने यहां चलने वाली प्रवृत्तियों के आधार पर लेते हैं। जहां यह प्रवृत्तियां नहीं चलतीं, वहां ये शुल्क नहीं लिए जाते। इस प्रकार प्रकट में यह प्रतीत होता है कि स्कूल अलग अलग प्रकार से शुल्क ले रहे हैं। कुछ भिन्नता ट्यूशन फीस की दरों में भिन्नता के कारण है। जो आय कर देने वाले हैं उनसे उनकी आय के अनुसार अधिक दर से और आयकर न देने वालों से कम दर से ली जाती है। इसी प्रकार विकास शुल्क की दर भी कुछ स्कूलों में भिन्न है। जहां अध्यापक अभिभावक संघ की स्वीकृति है वहां अधिक विकास शुल्क भी लिया जा सकता है।

जहां तक गैर सरकारी स्कूलों का प्रश्न है, वे अवश्य ही विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक दर से फीस लेते हैं। यह भिन्नता इसलिये भी है कि गैर सरकारी स्कूल कुछ सरकार से अधिक सहायता प्राप्त करते हैं, कुछ कम सहायता प्राप्त करते हैं तथा कुछ बिल्कुल सहायता प्राप्त नहीं करते। अतः उनके द्वारा ली जाने वाली फीसों में तथा सरकारी स्कूलों में ली जाने वाली फीसों में भिन्नता है।

जहां तक फीस में वृद्धि का प्रश्न है राज्य सरकार के आदेश से सत्र 1976-77 से सामान्य विज्ञान शुल्क व कार्यानुभव शुल्क उच्च कक्षाओं में एक रुपया प्रति मास तथा मिडिल कक्षाओं में कार्यानुभव शुल्क पचहत्तर पैसे प्रति मास है, इस हिसाब से ली जा रही है ताकि विज्ञान व कार्यानुभव में

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

प्रेक्टिकल कार्य सुचारु रूप से किया जा सके और विज्ञान के पठन पाठन का स्तर ऊंचा हो सके।

राज्य सरकार शीघ्र ही छात्र कोष की फीस की दरों मे स्कूलों में एकरूपता हो इस दिशा में आवश्यक कदम उठा रही है।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, अभी अभी शिक्षा मंत्री जी ने बताया है कि कार्यानुभव और विज्ञान की फीस में वृद्धि की गई है किन्तु वह उन्होंने सही नही बताई है। इस साल के अन्दर कार्यानुभव में 12/- रुपये कक्षा 9 और 10 में और सामान्य विज्ञान विभाग में 12/- रुपये बढ़ाये हैं। कक्षा 5 से 8 क्लास तक की फीस बढ़ाई है। नौ नौ रुपये कार्यानुभव और सामान्य विज्ञान में बढ़ाये गये हैं। इस तरह से एक रुपया फीस नहीं बढ़ाई गई है जैसा कि मंत्री महोदय ने यहां पर सदन को बताया है। कृपया इस बढ़ी हुई फीस को कम करने का कष्ट करें। मंत्री महोदय को यह सूचना गलत दी गई है। मंत्री महोदय कृपया इस की भी जांच करें कि यह गलत सूचना कैसे दी गई है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने प्रति मास का बताया है और आपने प्रति वर्ष का बताया है। यही अन्तर है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मकासर !

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नमेंट से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गैर सरकारी स्कूल चलते हैं उनके लिए सरकार की ओर से नियम बने हुए हैं कि जितने भी गैर सरकारी स्कूल फीस लेते हैं, वे इससे कम नहीं ले सकते। यही नहीं उससे ज्यादा भी नहीं ले सकते हैं। इस पर शिक्षा मंत्री जी को विचार करना चाहिये कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, वे सरकार द्वारा जो फीस ली जाती है, उससे ज्यादा नहीं लें। कम से कम शिक्षा मंत्री यह तो कर सकते हैं।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : नियमों के अन्तर्गत आपको अवसर दे दिया गया है।

आधे घंटे की चर्चा।

अस्वीकृत ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था और आज भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने करीब सात ध्यानआकर्षण प्रस्ताव दिये थे आज से चार दिन पहले। उन सातों की हालत यह है कि उनमें से पांच को तो आपने टालमटोल कर दिया है और जो दो बचे हैं उनको भेज दिया है सरकार के पास और उनका जब सरकार जवाब देगी···

श्री अध्यक्ष : मैं अस्वीकार कर चुका हूं आप दो मिनट में कहिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट से क्या होगा? इतने सारे मामले हैं।

(श्री श्योपतसिंह मक्कासर)
यह समय तो कम है। खैर ! मैं एक-दो मामलों की ओर इस सदन का ध्यान दिलाना चाहूँगा।

परसों मुख्य मंत्री सदन में जब यह एलान कर रहे थे कि अगर कहीं भी हमारे हरिजनों को बेदखल कर दिया गया तो यह समझा गया कि वहां के अधिकारी को अपने पद से बेदखल कर दिया जायेगा तब बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा था। मगर, अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल उठाये हैं, उनके साथ ही यह सवाल यहां पर पेश कर रहा हूं कि हरिजनों को बेदखल करने पर आप अधिकारियों को अपने पद से बेदखल कर देंगे मगर यह गरीब हरिजन तो अपनी जिन्दगी से बेदखल हो जायेंगे। उनके खिलाफ आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं ? आप जमीन के टुकड़े और जिन्दगी के टुकड़े में कोई फर्क नहीं समझते हैं मेरे खयाल में।

अध्यक्ष महोदय, 23 मार्च को मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है। वहां एक हरिजन युवक को आज से चार महीने पहले हनुमानगढ़ जंक्शन के हल्के थाने में उठाया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन में एक गुण्डों का गिरोह है, जिसकी हर कत्ल में सांठ गांठ होती है, या उसके अन्दर उनका दखल होता है। इस हरिजन युवक को उठाया गया आज से चार महीने पहिले। सब अधिकारियों को कहा गया, क्या कार्यवाही हुई ? मैं यह जानना चाहता हूं। क्यों नहीं कार्यवाही हुई ? कहां है वह लड़का ? कौन ले गया ? किसने मारा ? क्या वजह है ? जब यहां पर इस तरह के संगीन मामले उठाये जाते हैं तो पुलिस अधिकारी कोई जवाब नहीं देते हैं। हमें यह विश्वास नहीं होता कि इस प्रदेश के अन्दर किसी गरीब को जमीन से बेदखल कर दिया गया तो उसको यह सरकार प्रोटेक्ट कर सकेगी ? यह सिर्फ खयाली पुलाव है। इस तरह की बातें हो रही हैं लेकिन जनता सरकार के जो मंत्री हैं, वे भी चुप हैं···

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

वहां के पुलिस थाने में एफ. आई. आर. दर्ज करायी है। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही की गई है ? अगर कार्यवाही नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई है ? अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही होना तो अलग, जो मुलजिमान थे, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। सारे प्रयत्न किये गये। एस. पी. से भी मिले। मुलजिमान पार्टी डी. आई. जी. सी.आई.डी. के पास आई। उनसे मिली है। इन सब पुलिस अधिकारियों के वहां पर दौरे होते हैं और इनके दौरे के समय यह गिरोह उनके लिये मुर्गा और दूसरी सुख-सुविधा का प्रबन्ध करता है। उनकी आवश्यकता को पूरी करता है। इनके कहने से तफतीशकुन को बदला गया है। मुस्तगीस पार्टी रिक्वेस्ट करे और तफतीश बदली जावे, यह बात तो समझ में आती है। कांग्रेस सरकार यह करती थी परन्तु जनता पार्टी की सरकार भी यह कर रही है, इससे उल्टे मुलजिम बे-असर हो रहे है। ये जयपुर में आये और डी. आई. जी., सी. आई. डी. से मिले और उन्हें फर्माया, मुलजिम बेचारे गरीब हैं। इनकी जांच की जाये। यह क्या हो रहा है ? आप इस प्रदेश के अन्दर क्या करना चाहते हैं···

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट हो गया। पर्याप्त है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसके साथ-साथ दूसरी और दो-तीन बातें हैं, अध्यक्ष महोदय, उनके बारे में कहूंगा।

यह कहा गया है, सदन को यह बताया गया है कि जहां भी हरिजनों पर अत्याचार हों, हमको फौरन बताओ। इसलिए मैं फौरन बता रहा हूं। यह कल का अखबार है–"प्रतापगढ़ 27 जुलाई। यहां के थाने के मिरनवा गांव में गत सोमवार को उच्च वर्ग के लोगों ने एक हरिजन युवक को गोली मार कर हत्या कर दी।" आपको मालूम हो गया होगा, आप अखबार पढ़ते होंगे। या तो इस अखबार ने खबर गलत निकाली, इसके खिलाफ कार्यवाही करो और अगर अखबार की बात सही है, तो आपका ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया है? आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मिरनवा गांव है। वहां पर सरे आम हरिजनों को पीटा जा रहा है। गृह मंत्री बतावें, कि उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है? मेरे पास दरख्वास्त है। ये छोटी मोटी पिटाई की बातें हैं। परन्तु जहां पर कत्ल के केसेज हैं, लोगों को मार दिया जाता है, उनके बारे में कुछ नहीं होता है। तो मैं नहीं समझता कि आपकी घोषणाओं का कुछ असर होगा। इन अधिकारियों को आप सस्पेन्ड कीजिये जिन्होंने इस पर कार्यवाही नहीं की है। वरना यह आपकी घोषणा ही रह जायेगी।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपका ध्यान दूसरे· · ·

श्री अध्यक्ष : आप तो सब पर ही बोलने लगे हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया आगे नहीं। माननीय सदस्य, एक ही स्थगन प्रस्ताव है। नियमों के विपरीत आपका आचरण है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय सात स्थगन प्रस्ताव हैं। दो पर ही रोशनी डाली है· ·

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है· · ·

श्री अध्यक्ष : एक वर्ष पुराना आपका मामला है। पुरानी चीज को आप उठाना चाहते हैं। आपको कह दिया था। निवेदन कर चुका हूं।

आधे घंटे की चर्चा

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय,· · · ·

श्री अध्यक्ष : मैं विवश हूं माननीय सदस्य।

आधे घंटे की चर्चा।

पाली की रंगाई छपाई की फैक्ट्रियों के तेजाबी पानी से जन–जीवन व कृषि को हानि

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय 25 जुलाई, 77 को प्रश्न संख्या 58 का जो उत्तर दिया गया था, उससे उत्पन्न मुद्दों पर मैं आधे घंटे की चर्चा उठाता हूं।

श्री अध्यक्ष : केवल दस मिनट। 10/12 मिनट· ·

श्री शंकरलाल : यह आधे घंटे की चर्चा है। आधे घंटे का समय तो मेरा है।

श्री अध्यक्ष : इसमें सब आ गया है, माननीय सदस्य। मंत्री महोदय का उत्तर भी आ गया है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात आधे घंटे कहने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखिये, नहीं तो सदन की कार्यवाही समाप्त होने में बड़ी देर हो जाएगी।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसे महत्वपूर्ण मसले पर आधे घण्टे की चर्चा का समय दिया है। अध्यक्ष महोदय, पाली में रंगाई और छपाई की फैक्ट्रियां हैं उनसे एक समस्या उत्पन्न हो गई है। एक समस्या तो यह है कि उनका जो पानी है, वह तेजाबी है और विषेला हैं। उसके छूने से आदमी जल जाता है। उस पानी को कोई पी ले तो मर सकता है। इतना ही नहीं यह पानी जिस नदी में गिरता है उस नदी के सहारे-सहारे जिस जगह यह जाता है वहां 300 के करीब कुए हैं वह नष्ट हो गये हैं। यह दो प्रकार की फैक्ट्रियां हैं। कुछ शहर में हैं और कुछ शहर से बाहर हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में पाली पंचायत समिति ने एक प्रस्ताव दिनांक 18-10-75 को भेजा है। वहां के बोहरों और मजदूरों ने भी प्रस्ताव पास करके भेजा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे उनको बचाया जावे। मेरा निवेदन है कि जल प्रदूषण का निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम राजस्थान में लागू है। यह एक सेण्ट्रल एक्ट है। उसमें कहा गया है जो भी इस प्रकार का पानी होगा उसके लिए अनुमति लेकर फैक्ट्री चलाई जा सकेगी। अगर वह पहले से चल रही है जैसा कि धारा 26 में कहा गया है तो मण्डल का गठन होने पर मण्डल की इजाजत लेनी पड़ेगी। उस मण्डल के अध्यक्ष आई. सी. भार्गव हैं। तीन महीने के अन्दर उन्होंने इजाजत नहीं ली है। इसके अन्तर्गत सजा का प्रावधान है। दो साल हो गये हैं। पाली का जब मैं प्रतिनिधित्व करता था मुझे मालूम है तब कोई एक्शन नहीं लिया गया है। न तो चालान हुआ और न वह पानी रुका। अध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे वहां के जो सैशन जज हैं, उन्होंने स्वयं लिखा है—

"विषय : जिला एवं सैशन न्यायालय में पीने का पानी रंग मिला हुआ आना बाबत।

इस न्यायालय में पीने के पानी का नल लगा हुआ है उसमें गत तीन चार दिन से रंग मिला हुआ पानी जैसे हरा, आसमानी व लाल आ रहा है। तथा वो पानी बहुत बदबू देता है। इस तरह का पानी पीने से व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिये बहुत ही हानिकारक है अतः पूरी पाइप लाइन शीघ्र चैक करने की व्यवस्था करें और उसे ठीक किया जावे।

भवदीय,

जिला एवं सैशन न्यायाधीश, पाली"

यह रंग पानी पाइप लाइन में जज्ब होता है। वह पानी के अन्दर चला आता है। जिस पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसको

(श्री शंकर लाल)

पीने के कारण कितनी ही बीमारियां होती हैं, जैसे डायरिया, डिसेण्ट्री और तपेदिक होती है। इसीलिए मैंने एक बार कहा था कि अगर इस पानी का कोई इन्तजाम नहीं किया गया तो लोगों को पाली छोड़कर जाना पड़ेगा अन्यथा उनकी जो सन्तानें हैं, वह बिलकुल बेकार हो जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, एक मुद्दा तो यह हुआ।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, यह जो फैक्ट्रियां बाहर ले जाने की बात है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत यह कहा गया था कि यह फैक्ट्रियां बाहर हटाई जायेंगी। लेकिन जब फैक्ट्रियों को हटाया जाने लगा तो इस प्रकार का एक स्टे आर्डर ले आये।

श्री सुखलाल संणवा (रायपुर) : वह व्यक्ति कौन थे ? कृपया उनके नाम बतायें।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, पाली जिला रंगाई छपाई उद्योग मजदूर संघ ने, मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी, परसराम मदेरणा मोहन मुकर्जी और समाचार भारती को एक तार भी भेजा जो इस प्रकार है-

"गोलमाल तथा रिश्वत के कारण कृषि भूमि पर स्थित फैक्ट्रियां हटाने का कार्य गलत ढंग से रोक दिया गया है। अतः निवेदन है कि कृषि भूमि पर बनी नाजायज समस्त रंगाई छपाई की फैक्ट्रियां अविलम्ब हटाये जाने के आदेश प्रसारित करायें।"

अध्यक्ष महोदय, ये फैक्ट्रियां लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का उल्लंघन करके लगी हुई हैं। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के शिड्यूल में लिखा हुआ है। 91 में पेनल्टी होती है। जुडिशियल मैटर है। उस सेवो जुडिशियल मैटर में सरकार को आर्डर देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उस समय की सरकार ने आर्डर दिया। कलेक्टर ने तहसीलदार को कहा है।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टे आर्डर कौनसी तारीख को इश्यू हुआ ?

श्री शंकरलाल : वह लाये हैं 17 सितम्बर, 75 को। 44-46 नम्बर है, उसमें लिखा है.....

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य, यह मेरी जानकारी में नहीं है। पिछली सरकार की जानकारी में रहा होगा।

श्री शंकरलाल : पिछली सरकार ने जो गलत काम किये हैं, उनकी उसने सजा पा ली है। आप क्या करेंगे, यह भी देखना है।

"Instructions have been received from the Revenue Department that no further action may be taken in the proceedings initiated under section 90A and 91 of the Land Revenue Act against unauthorised construction of industrial units on agricultural land, as the representation of the owners of these factories for regularisation is under consideration of the Government."

"Copy forwarded to Commissioner and Secretary to the Government, Revenue Department, Rajasthan, Jaipur, with reference to

(श्री शंकरलाल)
his telephonic instructions of 16-9-1975, for information and favour of confirmation.

Copy to Secretary to Hon'ble Chief Minister."

जब मैंने 9 जनवरी को सदन में प्रश्न पूछा तब उसके उत्तर में माननीय रैवेन्यू मिनिस्टर साहब ने बताया कि उन्होंने स्टे आर्डर नहीं दिया है। स्टे आर्डर इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट से आया है। किसी से भी आया हो लेकिन गलत आया है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आधे घन्टे की चर्चा में निवेदन करूंगा कि आप इसको इन्क्वायरी करायें कि इसके अन्दर करप्शन है या नहीं? एस.एन. बोहरा ने टेलीग्राम की कापी दी है। उसको इसलिए मैं सुनाना चाहता हूं कि इस बारे में जांच जरूरी है। उस में राजस्थान सरकार को लिखा है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सुखलाल संखचा : मैं भी बोलना चाहूंगा। मुझे भी समय दिया जाये।

श्री शंकरलाल : "Dyeing and Printing Factories in Pali Municipal limits proving curse for 70 thousand people and are giving birth and encouragement to corruption, thereby defeating the principal objects of the 20-Point Programme."

"Political touts collecting lakhs of rupees from factory owners for regularisation of these factories on agricultural land. The public of Pali are of the view that these lakhs of rupees are so collected for onward transmission to corrupt politicians. Pray order immediate removal of these factories from the city area to some lonely place or close them altogether."

"Acidic and chemical water and poisonous smoke playing with the lives and health of thousands of people of Pali."

यह तार दिया है एस.एन. बोहरा ने जिसकी कापी मुझे भी मिली है। यह तार 2-7-76 को दिया गया है, माननीय उद्योग मन्त्री जी चाहेंगे तो मैं उनको दे दूंगा। इसके बारे में कोई एन्क्वायरी नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच करवाई जाय। इसके बारे में मैंने प्रधान मन्त्री जी को भी लिखा। उनके यहां के 13 अक्टूबर का लेटेस्ट उत्तर है। उसमें लिखा है--

"मुझे आदेश हुआ है कि प्रधान मन्त्री जी को सम्बोधित आपके पत्र दिनांक 15 अक्टूबर, 1976 की प्राप्ति सूचना दूं। हम इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी के सचिव को लिख रहे हैं।"

अभी तक इस सम्बन्ध में भी कुछ नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आप यह देखेंगे कि इस प्रकार से यह लाखों रुपये लेने की शिकायतें हैं।

इसी प्रकार से हुक्मचन्द सिंघवी ने भी एक कम्प्लेंट की थी। एक विधायक उस समय थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता....

(35)

श्री मुखलाल सेणचा : आप नाम लीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : आप ध्यान दें, ध्यान दें।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि उन विधायक का यहां पर नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले वे कांग्रेस में थे और अब जनता पार्टी में आ गये हैं। इस प्रकार के जो करप्ट पालिटिशियन्श हैं, जो करप्शन से, करप्शन के चार्जेज से बचना चाहते हैं। माननीय उद्योग मन्त्री जी आप इनकी जांच करवायें और सही स्थिति मालूम करें। जो शिकायत है, वह मेरी शिकायत नहीं है, मेरे पास तो इसकी कापी है। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच की जाय। लेकिन अभी तक इसकी कोई जांच नहीं हुई है।

इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि जो एग्रीकल्चरल लैण्ड था, वहां से फैक्ट्रीज को हटाने का सवाल था, लेकिन उस पर फैक्ट्रीज लगाकर इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया गया था। उसके बाद भी वहां पर अलाटमेन्ट किये गये और वह भी कैसे? गरीब लोगों को या लघु उद्योग वालों को वह अलाट नहीं किये गये बल्कि वह पांच रुपये गज में अपने आदमियों को दे दी। वहां पर ऐसे भी लोग थे जो 12 रुपये देने को तैयार थे लेकिन उनको नहीं दी। इस प्रकार से लाखों रुपये का गवर्नमेंट को नुकसान हुआ। उस जमीन का आक्शन करना चाहिए था लेकिन उसको नीलाम नहीं किया गया। एक कमेटी बना दी गई अपने आदमियों की, जिसने सस्ते दामों के ऊपर····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एलाट अलाट किये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मेरा यह सुझाव है कि····

श्री अध्यक्ष : आपके दल के दो माननीय सदस्य हैं।

श्री शंकरलाल : मैं दो मिनट और लूंगा, अध्यक्ष महोदय, सुझाव दे रहा हूं।

जो पानी से नुकसान हो रहा है, उसको दूर करने के लिए एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम होना चाहिए। उसमें इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जैसी कि बम्बई और अहमदाबाद में है। तो यह समस्या हल हो सकेगी।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जो कुए इससे नष्ट हो गये हैं उनके लिए मुआवजा दिलाया जाय।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं उनके खिलाफ इन्क्वायरी कराई जाय और दोषी व्यक्तियों को सजा दी जाय।

चौथी महत्वपूर्ण समस्या यह है कि वहां पर श्रमिकों का शोषण होता है। जब फैक्ट्री के मालिकों से यह पूछा जाता है कि यह जो मजदूर हैं क्या यह ठेके पर हैं या डेली वेजेज पर रखे गये हैं तो कहते हैं कि यह तो ठेकेदार के मजदूर हैं। इस प्रकार से फैक्ट्री एक्ट के तहत उनको जो सुविधायें मिलनी चाहिए उनसे उनको वंचित किया जाता है। वहां पर छोटे बच्चे काम करते हैं, औरतें काम करती हैं, दिन को काम करते हैं, रात को काम करते हैं, उनकी कई प्रकार की शिकायतें हैं। उनका प्रोविडेन्ड फण्ड का पैसा जमा नहीं

(श्री शंकरलाल)

होता, उनको बोनस भी नहीं देते। इसलिए, माननीय श्रम मंत्री जी, इसकी भी आप जांच करवायें, वहां पर श्रमिकों का शोषण होता है। उन लोगों ने चीफ मिनिस्टर साहब को भी रिप्रेजन्टेशन दिया है और चीफ मिनिस्टर साहब ने दिल्ली में तार दिया है। मेरा निवेदन करना यह है कि वहां पर उद्योग पनप सकते हैं लेकिन वहां के जन जीवन की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करके किसानों को बरबाद करके, श्रमिकों को बरबाद करके वहां पर उद्योगों को नहीं पनपाना चाहिए। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह आधे घन्टे की चर्चा उठाई है और माननीय उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह आवश्यक कार्यवाही करें।

धन्यवाद!

श्री सुखलाल सेसाचा : अध्यक्ष महोदय, यह पाली का मामला है और मैं पाली से . .

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मथुरादास माथुर

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को लेकर जो माननीय सदस्य ने चर्चा की उन सब बातों को दोहरा कर तो मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। चन्द मुद्दे हैं, कुछ मुख्य कारण हैं उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। ऐसे कुछ सवाल हैं जिनकी ओर उद्योग विभाग के जो मन्त्री जी हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, हम यह नहीं चाहते हैं कि पाली शहर में जितने भी उद्योग लगाये गये हैं, उनको वहां से उठा लिया जाय। मगर हम यह भी नहीं चाहते कि चन्द आदमी इन उद्योगों से लाभ उठाकर अधिकतर बेजुबान लोगों का शोषण करें। मैंने खुद ने इन फैक्ट्रीज का दौरा किया है। मेरे कुछ साथी भी मेरे साथ थे। उस वक्त भी मैंने इस ओर तवज्जोह दिलाई थी लेकिन मुझे खेद है कि बावजूद इतनी कोशिश करने के आज भी वहां पर गरीब मजदूरों का शोषण होता है, लेबर का एक्सप्लायटेशन होता है, खास तौर से बच्चों और नाबालिगों का। जिस वक्त मैं वहां पर गया था, इस सदन के कुछ माननीय सदस्य भी मेरे साथ में गये थे। वहां पर जो बच्चे कम उम्र के हैं जो माइनर की डेफिनेशन में आते हैं, उनको कम वेतन पर और डेली वेजेज पर रखा जाता है। गरीबी के कारण उनको नौकरी करनी पड़ती है। वहां पर उनका पूरा शोषण होता है। और अन्याय उनके साथ किया जाता है। इस प्रकार से जो आपकी लेबर पालिसी है और जो लेबर लाज हैं उनके खिलाफ काम किया जाता है।

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री) : वह कान्ट्रेक्ट बेसिस पर हैं या डेली वेजेज पर ?

श्री मूलचन्द डागा : यह श्रम मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया है, आपका ध्यान आकर्षित हो गया।

श्री मथुरादास माथुर : वहां पर कुछ डेली वेजेज पर हैं और कुछ कान्ट्रेक्ट बेसिस पर हैं। लेकिन बेसिक आइडिया यह है कि माइनर बच्चों का चाहे वह कान्ट्रेक्ट बेसिस पर हों या डेली वेजेज पर,

(श्री मथुरादास माथुर)

exploitation itself is illegal इसलिए इस विषय पर मैं माननीय श्रम मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। फैक्ट्रीज इन्सपेक्टर्स वहां पर जाते हैं, लेबर इन्सपेक्टर्स जाते हैं, उनको जो कानून को तोड़ते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। एक बात।

दूसरा, जो वहां पर वेजेज दिये जाते हैं वह मिनिमम वेजेज से भी कम हैं। इस प्रकार से कान्ट्रेक्चुअल बेसिस पर दिखा कर उनका शोषण किया जाता है।

तीसरा, मैं हैल्थ मिनिस्टर साहब, आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। आपका ध्यान अभी दूसरी तरफ है। हैल्थ मिनिस्टर साहब, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं मगर आपका ध्यान मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण· ·

श्री मूलचन्द डागा: महिला सदस्यों की तरफ ध्यान है।

श्री मथुरादास माथुर: मुझे माफ कीजिए, आपकी बातों में खलल पैदा किया। मैं आपका ध्यान इधर खींचना चाहता हूं खास तौर से, इसलिए कहा। वहां पर पोल्यूशन की जो बात है, उस पोल्यूशन को लेकर मैंने भी डी. ओज. लिखे हैं। फिर भी आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पर इन्जीनियर्स जाते हैं और घूमकर वापस आ जाते हैं, मगर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसकी आप जांच करवाइये। मैं आपको कहता हूं कि यह एक महत्व का विषय है, आपने पोल्यूशन बोर्ड भी बना दिया, बड़े बड़े इन्जीनियर्स भी लगा दिये। अगर एक दो फैक्ट्रीज भी पोल्यूट करती हो तो भी सारे पाली का पानी पोल्यूट होगा। उससे वह पाइजनस हो गया, जिससे मवेशी मरते हैं, फसल खराब होती है और किसान मरते हैं। आप कह सकते हैं कि आपकी सरकार थी। आपकी थी या हमारी, सरकारी अधिकारी तो वही के वही हैं। हर प्रश्न को इस तरह से मत टालो। यह पोलिटिकल जिम्मिकस थोड़े दिनों के लिए हो गई। हम नहीं कर सके तो आप करिये। उस वक्त भी यही बात कही थी, अब भी कह रहे हैं। एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर यहां से विशेष अधिकारी भेज कर इसकी जांच करायें। रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, शंकरलाल जी ने बता दिया है। इस पर यह कह दिया कि हम प्लांट लगायेंगे, पानी को ठीक करेंगे। कौन लगायगा, कब लगायगा? अब ब्रेकेट करेंगे तो अपने आप प्लांट लगायेंगे। तब तक बहुत बड़ा आंदोलन पाली में हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी।

तीसरी बात, इस सवाल को लेकर मुझे खेद है कि अगर जमीन से बेदखल किया जाए तो करप्शन, फैक्ट्री को हटाने की बात कही जाए तो करप्शन, पोल्यूशन रोकने के लिए कोई एक्शन लिया जाय तो करप्शन और टैक्स माफ हो जाए, कम हो जाए, बढ़ाया जाय तो भी करप्शन। जोधपुर डिवीजन में यह एक करप्शन का फोकल पाइन्ट बनाया गया है। अब उस करप्शन में कौन है, कौन नहीं। आप इन्क्वायरी करायेंगे तो पता लग जायेगा। यह एक ऐसी बात है जो छुपी हुई नहीं है। चर्चा है गांव-गांव में 5 लाख रुपये की। उस समय खा गये, अभी टैक्स के मामले में 5 लाख रुपये खा गये। अब सुनते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है, जो

(श्री मथुरादास माथुर)

अदालत में जाकर प्रूव करूं 5 लाख का नहीं तो दो लाख का हुआ होगा इसलिए जांच करें। मैं यह भी नहीं कहता कि उद्योगों को खत्म करें लेकिन, उनको सही जगह लोकेट करें। माइनर्स का शोषण बंद हो, लेबर को पूरा वेजेज दिलवायें और फैक्ट्रीज चलें, इसमें कोई बात नहीं। मैं आशा करता हूं, स्वास्थ्य मन्त्री, श्रम मन्त्री और उद्योग मन्त्री तीनों मिलकर इस पर गौर करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे।

श्री सुखलाल सेंभचा (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो मामला है, गम्भीर मामला है। पाली की जनता के स्वास्थ्य के साथ काफी वर्षों से खिलवाड़ हो रहा है। शंकरलाल जी जो सदन के सामने सवाल लाये हैं मेरी तरफ से मैं उनको धन्यवाद दूंगा। मथुरादास जी ने भी कुछ बातें कहीं। इस उद्योग के मामले और जमीन के मामले को लेकर मैं तो यह कहूंगा कि पाली जिले में अगर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कांड खुलेगा तो वह पाली के रंगाई-छपाई के उद्योग को जमीनों का आवंटन का होगा। सरकार में काफी भ्रष्टाचार है। वहां के श्रमिकों के ऊपर न कोई एक्ट लागू है, न उन्हें किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त है। मनमाने तरीके से समय-समय पर भ्रष्टाचार के तरीकों से हजारों रुपये लेते रहे हैं, मनमानी करते रहे हैं। किसानों की जमीन सकड़ों में ली आज वह जमीन हजारों रुपयों की है। पिछले समय में 5 रुपये रियायती प्राइस पर जमीन एलाट की गई जब कि उस जमीन की कीमत 30–40 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से थी। तो पाली जिले की जनता की नजर इस पर लगी हुई है कि जनता सरकार वाकई जनता की सरकार है या अमीरों की सरकार है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि नई सरकार बनने के बाद में पाली जिले में हुए घोटालों की जांच करवायें, वहां जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तेजाब का पानी जनता पी रही है। यह गम्भीर मसला है। मैं ज्यादा समय न लेकर सरकार से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए इस पर अविलम्ब कार्यवाही करें।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य, जो अभी बोल रहे थे, ने कहा कि सरकार रिश्वत खा जाती है। सरकार कभी पैसा नहीं खाती, आफिसर्स खाते हैं। तो इसको दुरुस्त करना चाहिये। आप सरकारी अधिकारियों के नाम लेते। सरकार कोई रिश्वत खाती है क्या ?

(व्यवधान)

इसलिए सरकार शब्द निकाल कर सरकारी····

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। जो उस वक्त की सरकार होगी वह होगी।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, एक बात जो तीनों माननीय सदस्यों ने कही है दलबदल की प्रक्रिया को जनता पार्टी प्रोत्साहन नहीं देगी। पहला सवाल यह है यह बहुत बड़ा प्रोत्साहन दे रहे हैं, और हमने कहा है कि आप इसको संरक्षण दे रहे हैं। संरक्षण न दें··

श्री केदारनाथ : यह मसला तो पाली का चल रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि श्रम मन्त्री जो जितनी आपकी कालोनीज बनी हुई हैं, गरीब व्यक्तियों की बस्तियां बनी हुई हैं, उनके इर्द-गिर्द, श्रमिकों के मकानों के इर्द-गिर्द गन्दा पानी 24 घण्टे जमा रहता है। इसके कारण वहां की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। मैं जब चेयरमैन था मैंने किसी को मलाउ नहीं किया। उस समय आपने मेरी तारीफ की थी मुझे याद है। इसलिए जो बात आपको सेवा में माननीय सदस्यों ने पेश की है, उसकी जल्दी जांच करायें। महाराजा उम्मेद मिल और दूसरी फैक्ट्रीज से गंदा पानी तालाब में जाता है जो पानी को पोल्यूट करता है। जनता पार्टी में पोल्यूशन हो कोई बात नहीं लेकिन हमारी पार्टी जो बिल्कुल साफ और निर्मल है, उसको पोल्यूट करने के लिये आप प्रोत्साहन न दें।

श्री त्रिलोकचन्द जैन (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा जिन माननीय सदस्यों ने पाली की रंगाई छपाई की समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने एक तो जन स्वास्थ्य की दृष्टि से पोल्यूशन का सवाल उठाया है, दूसरा उद्योगों में बच्चों से काम लेने का तथा तीसरा भ्रष्टाचार का। श्री डागा जी ने इस सम्बन्ध में दल-बदल का प्रश्न भी उठाया है तथा भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के बारे में भी कहा है। मेरा निवेदन है कि रंगाई छपाई की जो इकाइयां हैं उनके विकास का अपना ऐतिहासिक बैकग्राउण्ड है। पाली जिले का पानी अनुकूल है, तकनीकी क्षमता वहां के हाथों में विकसित हुई है और वहां के लोगों में इस काम के लिए रुचि भी है। जब एक बार वहां उद्योग लग गये और उनमें सफलता मिल गई तो धीरे-धीरे इस उद्योग की कई इकाइयां खड़ी हो गई। जब ज्यादा उद्योग हो गये तो स्थान की समस्या वहां पर उत्पन्न हो गयी। जब स्थान की समस्या उत्पन्न हुई तो राज्य सरकार ने सोचा कि क्या इन उद्योगों को विकसित होने से रोक दिया जाय या इन उद्योगों को शहर के बाहर ले जाकर इनका विकास किया जाय। तब राज्य सरकार ने यह उचित समझा कि उद्योगों के विकास को रोकना उचित नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने इस समस्या का निराकरण करने के लिये 150 बीघा जमीन एक्वायर कर शहर से बाहर इन उद्योगों को लगाने के लिए व्यवस्था की और लोगों को फैक्ट्रियों को शहर से बाहर ले जाने की प्रेरणा दी लेकिन ज्यों-ज्यों पानी का स्तर नीचे जाने लगा त्यों-त्यों ये औद्योगिक इकाइयां बांडी नदी के पास कृषि भूमि पर धीरे-धीरे काम करने लग गई। कृषि भूमि पर लगने देने और लग जाने पर नहीं हटाये जा सकने के कोई भी कारण रहे हों, रंगाई छपाई की ये इकाइयां नहीं हटाई जा सकीं। इतना जरूर हो गया कि उससे वहां का पानी जरूर दूषित हो गया। चूंकि वाटर पोल्यूशन होना जनस्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है इसलिये राज्य सरकार ने यह सोचा कि यहां पर इस समस्या के निराकरण के लिये कोमन ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाया जाय। इसके लिये उन फैक्ट्रियों के मालिकों से कीमत लेने की कार्यवाही भी की जा रही है। करीब 166 फैक्ट्रियों की स्थिति ऐसी है कि जिनसे पानी दूषित होता है। वहां बाकी की जो फैक्ट्रियां हैं वे सिर्फ छपाई का ही काम करती हैं। जिन फैक्ट्रियों से पानी

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

दूषित हो रहा है उन फैक्ट्रियों के मालिकों को राज्य सरकार द्वारा नोटिसेज दिये जा रहे हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि ट्रीटमेन्ट प्लान्ट शीघ्रातिशीघ्र लगाया जाय। उन लोगों में से कइयों ने पैसे जमा करा दिये हैं और करीब 4 लाख 90 हजार रुपये इकट्ठे हो गये हैं। उस प्लान्ट की डिजाइन भी तैयार हो गयी है और अब उसको अन्तिम रूप दिया जा रहा है। यहां पर तुरन्त ही ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाने के लिये राज्य सरकार प्रयत्नशील है। इसके अलावा जिन्होंने पैसे नहीं दिये हैं और प्लान्ट नहीं लगा रहे हैं उन्हें वहां बोर्ड द्वारा नोटिस दिये जा रहे हैं और उनका चालान भी किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इसे लागू करने के लिये सख्ती भी की जायेगी। राज्य सरकार कभी भी जन स्वास्थ्य खराब हो, उसको बरदाश्त नहीं करेगी। राज्य सरकार उन फैक्ट्रियों के मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी। यदि वे ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाने में ढिलाई बरतते हैं, जन स्वास्थ्य की कीमत पर यह उद्योग जल को दूषित करते रहें इसे सरकार बरदाश्त नहीं करेगी।

दूसरा बिन्दु जो माननीय सदस्य ने कहा है वहां पर इन्डस्ट्रीज में छोटे बच्चों को लगाया है और उनका शोषण किया जा रहा है। इसके बारे में मेरा निवेदन है कि वैसे तो इन फैक्ट्रियों में बिजली का उपयोग नहीं हो रहा है जिससे कि राज्य सरकार वहां पर फैक्ट्रीज एक्ट लागू करे लेकिन वहां भी फैक्ट्री में बिजली काम आती है वहां पर फैक्ट्रीज एक्ट लागू है। अन्य फैक्ट्री के मालिकों को भी नोटिस दिये जा रहे हैं। मैं आपकी सूचनार्थ यह बताना चाहता हूं कि वहां पर फैक्ट्रियों के चालान भी किये जा रहे हैं। ताकि वहां पर बच्चों का शोषण बन्द हो जाय। मजदूरों का शोषण किया जा रहा है उसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। उसके बारे में सरकार ध्यान रखेगी ताकि मजदूरों का शोषण नहीं हो।

तीसरी बात माननीय शंकरलाल जी ने यहां पर यह उठाई है कि इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके लिये मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि अगर भ्रष्टाचार की कोई निश्चित शिकायतें आपके पास हों तो बतावें। मैंने एक प्रश्न के जवाब में सदन में पिछली 25 तारीख को भी यह कहा था कि अगर माननीय सदस्य कोई भी स्पेसिफिक चार्जेज बतायेंगे तो राज्य सरकार इस बारे में जरूर जांच करवायेगी। पर जनरल चार्जेज लगायें कि वहां पर भ्रष्टाचार बहुत है तो इस पर कोई भी सरकार किस प्रकार कार्यवाही करे, यह दुविधापूर्ण है। आप सप्रमाण कोई केस बता दीजियेगा उस पर अवश्य कार्यवाही होगी।

श्री सुखलाल संसाखा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें लाखों रुपयों का घोटाला है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिये और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : इसके अलावा और भी वहां की कई समस्याएं हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं जो आपने बतायी हैं उनके लिये मैं उद्योग सचिव को वहां पर भेजूंगा और वहां की समस्याओं के बारे में रिपोर्ट मंगाऊंगा। उनका निराकरण कैसे हो

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

सकता है, उसके लिए पूरा प्रबन्ध किया जायगा। जो समस्या तुरन्त हल हो सकेगी उसका तुरन्त हल निकालने का राज्य सरकार प्रयास करेगी और जिनमें थोड़ा समय लग सकता है, उनका तत्परता से निराकरण हो सके इसके लिये सरकार प्रयास करेगी।

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्री जी।

शासकीय वक्तव्य

अणु शक्ति केन्द्र व कोटा में गैस टरबाईन की स्थापना

श्री सम्पत राम (विद्युत् मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि गैस टरबाईन ठीक तरह से काम नहीं करता है और इसके बारे में जो कहा है उसके लिये मेरा निवेदन है कि कोटा में कोई डीजल जनरेटिंग सेट सिर्फ किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को बिजली देने हेतु नहीं लगाया गया है।

सन् 1964 में गांधी सागर बांध में पानी की अधिक कमी के कारण राजस्थान में पावर कट लगाया गया था। इस कमी को पूर्ण करने के कारण राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने कई स्रोतों से बिजली उपलब्ध करने के प्रयास किये। उनमें से एक प्रयास कुछ हद तक कमी को पूरा करने के लिये गैस टरबाईन का खरीदना भी था। जिसमें कि भारत सरकार की सहमति थी। यह टरबाईन मैसूर से 70 लाख रुपये में जनवरी, 1965 में खरीदा गया जिसमें टरबाईन को बंगलोर में स्थापित करने व उखाड़ने का खर्च भी शामिल है। मैसूर सरकार ने यह भी बतलाया था कि यदि इस टरबाईन को बेचने में बिक्री कर लगाना आवश्यक हुआ तो राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल इस खर्च को वहन करेगा। इस संबंध में राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल अभी तक कर्नाटक राज्य विद्युत् मण्डल को यही लिख रहा है कि बिक्री कर देना नहीं बनता। अभी तक कोई बिक्री कर नहीं दिया गया है।

इस टरबाईन को खरीदने के बाद मैसूर से लाने व राजस्थान में लगाने और उसके स्पेयर पार्ट्स खरीदने में 11,50,534 रुपये और भी खर्च हुए हैं। इस टरबाईन को खरीदने की आज्ञा राज्य सरकार से सितम्बर, 1965 में मिली और इसे कोटा में स्थापित कर मार्च, 1966 में चालू कर दिया गया था।

वर्तमान दशा में जब कि गैस टरबाईन हाई स्पीड डीजल आइल पर चलाई जाती तो अत्यधिक उत्पादन खर्च पड़ जाने के कारण विद्युत् मण्डल ने इसे चलाना जून, 1966 से बन्द कर दिया क्योंकि बिजली दूसरे स्रोतों से मिल रही है।

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल इस गैस टरबाईन को बेचना चाहता है लेकिन इस प्रकार की यूनिट को आसानी से कोई भी संस्थान खरीदना नहीं चाहता है। हाल ही में त्रिपुरा सरकार से इस टरबाईन को बेचने के संबंध में वार्ता हुई जिसके अधीन उनसे 75 लाख रुपये में बेचने की वार्ता हुई जिसके उन्होंने 15 लाख रुपये जनवरी, 1977 में अग्रिम दे दिये थे। तब से त्रिपुरा मण्डल सरकार एवं केन्द्रीय विद्युत्

(श्री समन्तराम)
प्राधिकरण को इस बात के लिये लिख रहा है कि वह बाकी के 60 लाख रुपये की रकम मण्डल को दे और गैस टरबाईन को यहां से उठाकर ले जावे लेकिन केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के पत्र से यह ज्ञात हुआ है कि त्रिपुरा सरकार द्वारा इस टरबाईन को ले जाना मुश्किल है क्योंकि आयल एण्ड नेचरल गैस कमीशन से टरबाईन में पर्याप्त मात्रा में गैस के संबंध में पूछताछ की गई है।

केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण का ऐसा विचार है कि त्रिपुरा सरकार इस गैस टरबाईन की खरीद को तब तक पूरा नहीं कर सकेगी जब तक कि गैस की उपलब्धता पूर्ण रूप से आयल एण्ड नेचरल गैस कमीशन न कर दे। इसी गैस टरबाईन को खरीदने की नेशनल आर्गेनिक केमिकल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (नोशीला) ने भी इच्छा व्यक्त की है और उनसे भी मण्डल की वार्ता जारी है। उनको भी बिक्री मूल्य रुपये 75 लाख का प्रस्ताव भेजा है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान अणुशक्ति विद्युत् केन्द्र से विद्युत् उत्पादन की स्थिति इस प्रकार है :—

राजस्थान अणुशक्ति केन्द्र भारत सरकार के अणुशक्ति आयोग (एटोमिक एनर्जी कमीशन) के अधीन कार्य कर रहा है। भारत सरकार वर्तमान में इस विद्युत गृह को क्षेत्रीय (रीजनल) आधार पर वर्गीकृत करती है। इस केन्द्र से जो बिजली पैदा होती है वह राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल को बेची जाती है जिसके बारे में टैरिफ केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण से सलाह मशविरा और स्वीकृति के बाद तय की जाती है। अणुशक्ति गृह की दो इकाईयों में से अभी तक प्रथम इकाई ने ही उत्पादन चालू किया है जिसका वाणिज्यिक परिचालन दिसम्बर, 1973 में किया गया। इस विद्युत गृह से उत्पादन इसकी क्षमता के अनुपात में सिवाय थोड़े समय से कम रहा है। चूंकि यह विद्युत् गृह न तो राजस्थान सरकार के अधीन है और न ही यह राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा संचालित किया जाता है, इसलिये इससे अधिक उत्पादन करने और इसके लिये आवश्यक कदम उठाने की कार्यवाही भारत सरकार ही कर सकती है।

दिनांक 2–7–77 को रात्रि के 11 बजे से राजस्थान अणुशक्ति विद्युत् गृह प्राधिकरण द्वारा वृहद् प्लान्ट मरम्मत, बदलाव, नवीनीकरण एवं टरबाईन की ब्लेड्स को बदलने आदि कार्यों के लिये विद्युत् गृह को लम्बे समय के लिये बन्द किया गया है। केन्द्रीय अणुशक्ति विभाग के द्वारा बताये गये कार्यक्रमों के अनुसार इस इकाई के नवम्बर, 1977 के प्रथम पखवाड़े में चालू होने की सम्भावना है। अभी हाल ही में प्रकाशित खबरों के अनुसार राजस्थान अणुशक्ति विद्युत् गृह की दूसरी इकाई से दिसम्बर, 1977 में उत्पादन चालू होने की सम्भावना है। राजस्थान अणुशक्ति विद्युत् गृह के जनरेटिंग यूनिट की प्रथम इकाई की अनुमानित लागत 90 करोड़ रुपये है जिसमें निर्माण के समय की पूंजीगत लागत पर ब्याज भी शामिल है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है,

(श्री उमराव सिंह ढाबरिया)
टरबाईन के बारे में जो कहा है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि पहले भी मैंने इस बारे में एक सवाल उठाया था और कहा था कि यहां जो डोजल का टरबाईन लगाया है वह बेकार है। इस टरबाईन को खरीदने के लिये पहले हमारे यहां से दो इन्जीनियर गये थे। उन्होंने आकर यह रिपोर्ट दी कि यह टरबाईन काम का नहीं है, यह काम नहीं कर सकता है इसे नहीं खरीदना चाहिए। उस वक्त सेन्टर में जो मिनिस्टर थे उनकी गलती से हिन्दुस्तान में ये खरीदे गये। ये दोनों के दोनों बन्द हैं। उन इन्जीनियरों को डांटा जिन्होंने यह रिपोर्ट दी थी। राजस्थान के इन्जीनियरों को भेजा उन्होंने यह रिपोर्ट दे दी कि उसको खरीद लेना चाहिये। मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है उससे साफ जाहिर होता है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा और इसकी लागत आयी 1 करोड़ 20 लाख रुपया, यह सारा का सारा रुपया पानी में डाल दिया गया। सन् 1965 से लेकर आज तक वह टरबाइन बन्द है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन दो इन्जीनियरों ने इसको खरीदने की राय दी उनको तत्काल बरखास्त करना चाहिये। किसी के प्रभाव में आकर सरकार को घाटे में डाल देते हैं ऐसे नौकरों की सरकार को आवश्यकता नहीं।

एटोमिक एनर्जी की बात कही थी, मंत्री महोदय ने स्टेटमेन्ट भी दिया था। उनके हिसाब से भी लाखों रुपया बैठता है लेकिन मैंने 1 अरब रुपया बताया है। इतनी बड़ी रकम लगा कर यह चीजें इसलिए लगाते हैं कि हमारे राजस्थान को इससे फायदा होगा, राजस्थान की इन्डस्ट्रीज को फायदा होगा, राजस्थान के एग्रोकल्चरिस्ट्स को ज्यादा बिजली दे सकेंगे और प्रदेश में ज्यादा बिजली लग सकेगी। ऐसा काम इन्जीनियर करते हैं फिर भी आप कहते हैं कि 1965 से वह काम कर रहा है और आज बन्द है। आप यह भी कहते हैं कि 1978 में चालू हो जावेगा। तो इतने दिनों तक बिजली का नुकसान हुआ इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी ? जो नुकसान राजस्थान की सरकार को हुआ और राजस्थान के इन्डस्ट्रियलिस्ट्स और एग्रीकल्चरिस्ट्स को हुआ उनका कौन भुगतान करेगा ? लोगों को बिजली देते हैं और यदि वे पैसा नहीं देते हैं तो पैनल्टी लगा कर उनसे वसूल कर लेते हैं। आपके द्वारा बिजली नहीं देने के कारण जो नुकसान हुआ है क्या राजस्थान की सरकार उनको मुआवजा देने के लिए तैयार है ? जिन इन्जीनियरों ने गलत काम करके गलत तरीके से रिपोर्ट दी, उनको भारत सरकार से कह कर सजा दिलाने के लिये क्या तैयार हैं ? मैं माननीय मंत्री महोदय से इसका जवाब चाहता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : सही बात है। वाक आउट करिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वह नहीं करूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : क्योंकि सही बात कही जा रही है आपके द्वारा और वे नहीं मान रहे हैं।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि गैस टरबाईन के नाम

Page No 44

(४४)

(श्री सम्पतराम)
से दूसरी गवर्नमेंट से उसको पर्चेज किया। इस प्रकार की कल्पना करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें डिसग्रोनेस्टी हुई है। मैसूर सरकार से राजस्थान सरकार ने बिजली की कमी के कारण से इसको खरीदा। मेरे कहने के बावजूद भी माननीय सदस्य यह कहते रहे कि 1.20 करोड़ का घाटा हो गया। वास्तव में इसको किसी डिफेक्ट के कारण से बन्द नहीं किया है किन्तु इससे पावर महंगा पड़ता है। इस प्रकार से इस पर खर्चा हो जाय और फिर विद्युत मण्डल टोटे में जाय यह उचित नहीं लगता है। इसलिए किसी गलत सूचना के आधार पर माननीय सदस्य को शंका है और उसका मैं निवारण कर देता हूं। यह शंका उचित भी नहीं है। किसी प्राइवेट पार्टी से खरीदा गया होता तो उनको शंका हो सकती थी।

श्री मूलचन्द डागा : ग्रान ए पाइन्ट ग्रोफ ग्रोर्डर सर। रूल 290 के ग्रन्तर्गत स्टेटमेंट होने के बाद क्वेश्चन नहीं उठा सकते।

श्री अध्यक्ष : I agree.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जो फैक्ट्स हैं वे मैंने दिये हैं, उनको सामने लाने में कोई गलती नहीं है। सदस्यों को यह जानकारी नहीं है। मैं उस वक्त सदन में मौजूद था जब ऐसे प्लान्ट की खरीद के सम्बन्ध में तीन दिन तक हाउस में बहस हुई थी। जो कुछ स्टेटमेंट मैंने दिया है वह सही है और माननीय मन्त्रीजी ने जो स्टेटमेंट दिया है वह गलत है।

श्री अध्यक्ष : जो भी है एलीगेशन है।

सदन की कार्यवाही

विधेयक विचार-तिथि में परिवर्तन

श्री सम्पतराम (मन्त्री संसदीय मामलात) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ग्राज की कार्य सूची में विधायी कार्य जिस क्रम में बताया गया है उसमें ग्रांशिक परिवर्तन करके सर्व प्रथम राजस्थान वित्त विधेयक पर विचार किया जाय और शेष विधेयक जिस क्रम में कार्य सूची में दर्शाये गये हैं, उन्हें उसी क्रमानुसार विचारार्थ लिया जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा इस पर यह कहना है कि पहले वित्त विधेयक ले रहे हैं और उसके बाद ये विधेयक लेंगे क्रमवार। 3 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी तो बुलायी है ग्रापने। हाउस में पहले वित्त विधेयक लाकर इसको प्राथमिकता देकर पास करना चाहते हैं तो दूसरे विधेयकों को ग्रगले सत्र में ले जाने की इच्छा है क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : ग्राप पास कराना चाहते हैं तो पास कर देंगे····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय विधि मन्त्री महोदय के द्वारा जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है उसको स्वीकार किया जाय

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री मूलचन्द डागा : बिलकुल गलत परम्परा है। हमने सोचा था कि दो विधेयक होंगे। नया विधेयक लाया गया है हम उस पर तैयार नहीं हैं। क्या आप चाहते हैं कि विपक्षी दल सक्रिय सहयोग नहीं दे ? यह पराकाष्ठा है।

श्री अध्यक्ष : नियमों के अन्तर्गत ऐसा हो सकता है। लेकिन लास्ट मिनट पर चेन्जेज करें, यह अस्वस्थ परम्परा है।

श्री माधोसिंह : जिन्होंने संशोधन नहीं दिये हैं, क्या वे संशोधन दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : यों तो पांच मिनट में ही पारित कर सकते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : पास करायेंगे। लेकिन 5 बजे तक नहीं कर सकते हैं। You are beating the bush unnecessarily.

श्री अध्यक्ष : पार्लियामेंट में ऐसा उदाहरण मिलेगा कि ऐसा हुआ है।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : मेम्बर्स को बढ़ाने, घटाने का अधिकार है लेकिन ऐसे बिल पास नहीं हो सकता है।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : विचार के लिए समय देना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, आपका यह ओब्जर्वेशन है कि पांच मिनट में विधेयक लाकर इसको पारित कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सदन के कार्य संचालन के जो नियम हैं उनको ताक में रखें। ये आपके आब्जर्वेशन के बिना भी रखे जा सकते हैं। जो ओब्जर्वेशन आपने किया हैं उससे ट्रेजरी बेन्चेज को बहुत बड़ा हौंसला हो जावेगा इन नियमों को वायलेट करने का। पार्लियामेन्ट में पांच मिनट में कौनसा बिल आया और वह अधिनियम बन गया, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। इस सदन के माननीय सदस्यों को बिना सर्क्यूलेट हुए, बिना सूचना दिये और समय दिये पास हुआ हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। इसलिये आपकी तरफ से, अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह की व्यवस्था और आब्जर्वेशन होंगे तो इसका मतलब यह है कि हम ऐसी परम्परा डाल रहे हैं कि सरकार चाहे जब पांच मिनट में ले आयेगी और सदन के माननीय सदस्यों का जो अधिकार है उस पर कुठाराघात होगा। यह राजस्थान का लेजिस्लेचर है और हम लेजिस्लेटर्स हैं हमारा जो पहला कर्तव्य और दायित्व है वह लेजिस्लेट करने का है। हम जो कानून यहां पारित करते हैं उसका इन्टरप्रिटेशन कोर्ट करता है। कानून को पास करना है, पांच मिनट में सब कुछ करा सकती है सरकार। तो सरकार को तो रहने दीजिए लेकिन सबसे बड़े दुःख की बात यह है कि आपकी तरफ से आब्जर्वेशन हो गया। इससे सदन में बहुत गलत परम्परा पड़ेगी और हमारे अधिकार और दायित्वों पर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने तो एक्सट्रीम केस साइट किया है। यह आपको अधिकार है। सदन की परम्पराओं के प्रतिकूल कोई बात होती है तो आप उस संबंध में चर्चा कर सकते हैं और सरकार को बाध्य कर सकते है कि परम्पराओं के प्रतिकूल आचरण नहीं करे।

श्री परसराम मदेरणा : आपकी तरफ से, अध्यक्ष महोदय, आब्जर्वेशन नहीं होना

(श्री परसराम मदेरणा)

चाहिए। वह जो कुछ करेंगे उसको तो हम मीट-आउट करेंगे लेकिन आप तो अन्तिम निर्णय लेने वाले हैं, आपकी व्यवस्था आखिरी होगी। लेकिन आपकी व्यवस्था से इनका हौंसला बुलन्द हो सकता है और तावड़तोड़ में, अध्यक्ष महोदय, यह सब कुछ कर सकते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह आपाधापी मचा रखी है।

श्री अध्यक्ष : यह मेरा आब्जर्वेशन है। आब्जर्वेशन और व्यवस्था में बहुत फर्क है। और अगर कोई अर्जेन्ट मैटर पर सरकार विधेयक लाना चाहे या इमर्जेन्ट इश्यू कोई हो तो उस समय विरोधी पक्ष सहयोग उचित रूप से दे सकता है। यह तो विरोधी पक्ष को अधिकार है, कि किस हद तक सरकार का आचरण उचित है अथवा अनुचित है, उस संबंध में आप चर्चा कर सकते हैं। यह आब्जर्वेशन है, मेरी कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपकी भावना शुद्ध है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि कल जोधपुर विश्व विद्यालय बिल के ऊपर ही तमाम दिन चर्चा हुई। आज एजेण्डा निकाला उसमें पहले उदयपुर यूनिवर्सिटी बिल और फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी बिल था। वित्त विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है क्योंकि इसमें वित्त का सवाल है, इसको पहले लाने की न चर्चा थी और न सुबह हमें नोटिस दिया। अगर रात को भी इनका मानस बन जाता तो हमें मालूम पड़ जाता। लेकिन इनमें तो निर्णय लेने की शक्ति भी नहीं है। जाने कैसे होगा। यह एन वक्त पर निर्णय लेते हैं...

श्री दाउदयाल जोशी (दीगोद) : वक्त पर सही निर्णय लेते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हम लोग सक्रिय सहयोग नहीं दे सकते हैं। हम अपनी किताबों के साथ नहीं आ सके। आपने वित्त विधेयक दो विधेयकों के बाद में रखा था। आपको लेना है तो 4 बजे या 5 बजे लें। पहले नहीं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय डागा जी ने कहा है कि आपने एजेण्डा पहले निकाला उसमें यह बाद में है और अब इसको पहले ले रहे हैं यह सरकार की आपाधापी है।

श्री अध्यक्ष : इस कार्यसूची में सरकार का कोई संशोधन है तो इसमें क्या आपाधापी का सवाल है ? पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को मिलने दीजिए।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष जी, यह सारा कार्यक्रम जो विधेयकों का था यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने रखा गया था। उसमें विरोधी दल के माननीय नेता और श्री खेतसिंह जी मौजूद थे और इनकी उपस्थिति में सारा कुछ हुआ। समस्या तो पैदा की गयी है माननीय सदस्यों के द्वारा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रोटेस्ट है, आपने कहा कि "सदस्यों द्वारा समस्या पैदा की गयी है"

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
I strongly protest against this sentence, Sir क्या हम समस्या पैदा करने आये हैं सरकार के लिए ? I protest Sir.

श्री खेतसिंह : हम तो कोआपरेशन देते आये है।

श्री सम्पतराम : जैसा कि माननीय सदस्यों से कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सहमति होने के बाद सारे बिल रखे गये। इसके बाद माननीय सदस्यों की इच्छा थी कि यूनिवर्सिटी बिल के लिए ज्यादा समय दिया जाना चाहिए इसलिए सेशन को एक दिन और बढ़ाने की बात कल कही थी। तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इसमें सन्तोष होना चाहिए। सत्ता पक्ष का तो निर्णय था कि 29 तारीख को सारे विधेयकों का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स दिल्ली में है, शिड्यूल प्रोग्राम था उसमें जाना था। लेकिन माननीय सदस्य एक दिन और बढ़ाना चाहते थे इसलिए एक दिन बढ़वाया। फाइनेन्स मिनिस्टर को भी उसमें शामिल होना जरूरी है इसलिए मैंने इसको रखा है। यह नान-कन्ट्रोवर्सल बात है। मैं समझता हूं कि इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, हम आपकी बात को मानते हैं कि वित्त मंत्री जी को जाना है। जाना जरूरी है। इस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह बिल कल आने वाला था और आज ही ला रहे हैं इसलिए हमें अमेन्डमेन्ट्स लास्ट आवर तक भी रखने की इजाजत दी जाये। यह रूलिंग आप दे दें तो हम तैयार हैं, सहयोग करने के लिए।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष जी; माथुर साहब ने सवाल उठाया यह सही नहीं है क्योंकि बिल तो आज ही आने वाला था। बिजनेस एडवाजरी कमेटी ने यह तय किया था कि यह आज करेंगे। एक दिन और बढ़ा दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह मौका नहीं है और फैक्ट्स के विपरीत बात है।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष जी; जो सचेतक हैं जनता पार्टी के वे देखें यह बिल आज जो लिस्ट बनी है उसके एण्ड में है। हम यह चाहते थे कि दो बिल आज आ जायें विश्वविद्यालय के तो बहुत समय मिलेगा इस फाइनेन्स बिल के लिए और हम अमेन्डमेन्ट इस पर मूव कर सकेंगे। अब आप इसको पहले लेते है तो किसी सदस्य का अमेन्डमेन्ट रह गया है तो उसको आप स्वीकार कर लें। यह मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्री महोदय का प्रस्ताव सदन ने पारित कर दिया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर कोई मध्य मार्ग निकालने की चेष्टा कर लें।

श्री मथुरादास माथुर : आप तो अमेन्डमेन्ट्स मूव करने की इजाजत दे दें।

श्री मूलचन्द डागा : तब तक के लिए हाउस एडजोर्न कर दें। रूल 22 बिलकुल साफ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सेक्रेटेरियट द्वारा सूचना मिली है कि आज 10 बजे तक जो अमेन्डमेन्ट्स आये हैं उनको

(श्री अध्यक्ष)
स्वीकार कर लिया जायेगा और उस पर चर्चा माननीय सदस्य उठा सकते हैं।

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है। मैं इस भरोसे रह गया था कि यह कल आयेगा इसलिए मैं संशोधन पेश नहीं कर सका। इसलिए निवेदन है कि मुझे चर्चा करने का समय दिया जाये।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप परसों के भरोसे क्यों नहीं रह गये ?

श्री अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री जी।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार
राजस्थान वित्त विधेयक, 1977

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल के विचारार्थ के समय इसके प्रिन्सीपल्स पर ही बहस हो सकती है। उसके बाद जो दूसरे संशोधन प्रस्ताव हैं, सलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव और जनमत वाले प्रस्ताव लिए जायें।

श्री मनोहर सिंह मेहता : मुझे तो इस में निवेदन नहीं करना था।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो आपसे निवेदन किया था कि बिल को विचारार्थ लेते वक्त उसके प्रिन्सीपल्स के ऊपर ही बहस हो सकती है। उसके बाद जो प्रस्ताव रखे जाते हैं सलेक्ट कमेटी आदि के वे लिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरादास जी, आप बोल सकते हैं।

संवैधानिक आपत्ति
कर की अतीत प्रभावी तिथि से वसूली

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे सामने पेश किया गया है, यह विधेयक, श्रीमान, 30 मार्च को बजट पेश करते वक्त कुछ हेर फेर के साथ पेश हो चुका है। उसके बाद में एक विधेयक और है उसकी चर्चा इस विधेयक में भी है, वह है राजस्थान प्रोवीजनल कलेक्शन आफ टैक्सेस एक्ट, 1958। इसके मातहत जब कोई विधेयक, फाइनेन्शियल बिल पेश हो जाता है तो सात दिन की अवधि के अन्दर उस बिल को या तो पारित कर दें या उस बिल को रिजेक्ट कर दें। सात दिन की मियाद में यह नहीं हो सका और वह विधेयक लेप्स हो गया। उस वक्त असेम्बली प्रोरोग हो गई, डिजोल्व हो गई, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हो गया। मैं राज्य सरकार और माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहूंगा कि जब यह 30 मार्च से 30 अप्रेल और 30 मई, 60 दिन की अवधि के अन्दर लेप्स हो गया तो उसके बाद एक ही रास्ता सरकार के पास था, क्योंकि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था इसलिए उस वक्त राज्यपाल महोदय ठीक समझते तो आर्डीनेन्स लाते क्योंकि प्रोविजनल टैक्सेशन की कार्यवाही को थी। अगर वे समझते कि टैक्सेशन प्रपोजल्स के लिए आर्डिनेन्स लाना

(श्री मथुरादास माथुर)

मुनासिब नहीं है, तो पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखते। उन्होंने न तो आर्डिनेन्स इश्यू किया, न पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा और यह विधेयक लेप्स हो गया। उसके बाद में आज नये विधेयक को लेकर हमारे सामने आये हैं। एक्ट के तहत जितने टैक्सेस वसूल किये हैं वे वापस पब्लिक को रिफण्ड करने पड़ेंगे। मैं आपका ध्यान राजस्थान प्रोविजनल कलेक्शन ग्राफ टैक्सेस एक्ट, 1958 की धारा 4 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

"Effect of declaration under the Act and duration thereof."

फिर वह 7 दिन की मियाद गुजरने के बाद में "Certain refunds to be made when a declaration ceases to have effect" तो यह जो आपने जनता से टैक्स वसूल किये हैं वे वापस रिफण्ड करने पड़ेंगे। अब आप उस गलती को ठीक करने के लिए हमारे सामने आये हैं और रिट्रोस्पैक्टिव इफेक्ट से इसे लागू करना चाहते हैं, ऐसा लगता है। ऐसी रूलिंग हमारे देश में हो चुकी है मगर यह रिट्रोस्पैक्टिव वाला कर नहीं है। आपने जो कर लगाया उसकी मियाद खत्म हो गई आपकी लापरवाही से। राज्यपाल महोदय आर्डिनेन्स निकाल देते या जाकर पार्लियामेंट से इस फाइनेन्स बिल को पास करवाते। वह काम तो उन्होंने किया नहीं उन्होंने एक वैक्युम क्रियेट कर दिया। तो उस सूरत के अन्दर जितने कर वसूल किये हैं उनको रिफण्ड करना पड़ेगा। अब इस विधेयक का रिट्रोस्पैक्टिव इफेक्ट से लागू करना चाहते हैं। आपने यह जो विधेयक रखा है इसके अन्दर क्लाज 9 में आज के डिक्लेरेशन को उस दिन डिक्लेरेशन हो जाना मना है। यह परम्परा भी नहीं है। यह कन्वेशन नहीं है। मैं समझता हूं कि हम कान्स्टीट्यूशन के अन्दर टैक्सेज को रिट्रोस्पैक्टिव इफेक्ट से ला सकते हैं। लेकिन इस मामले के अन्दर जो टैक्सेज लगा चुके थे उन टैक्सेस को लेप्स कर, उसके बाद में सिचुएशन में वैक्यूम पैदा करके उस गलती को सुधारने के लिए आप हमारे पास आए हैं। यह परम्परा गलत है। इसलिए मेरा पहला प्रश्न तो वित्त मंत्रीजी से और, माननीय अध्यक्ष, आपसे यह है कि यह बिल लेप्स हो चुका था, आप अब यह बिल नये सिरे से लाये हैं तो नये सिरे से लिया जाये, रिट्रोस्पैक्टिव इफेक्ट से न लिया जाये। यह पहिला प्रश्न है। इसके ऊपर आपकी कोई व्यवस्था हो तो दें या वित्त मंत्री जी जवाब के वक्त देना चाहे तो उस वक्त दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : मेरा एक पाइंट आफ आर्डर है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा उस पर आपकी व्यवस्था आना जरूरी है। अगर एक असंवैधानिक चीज हो रही है तो कैसे हो सकती है?

वित्त विधेयक के पुरःस्थापन के लिए राज्यपाल का अभिप्रस्ताव

श्री शंकरलाल (जैतारण) : संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिश होती है। जो उन्होंने की है, 25 जुलाई को उन्होंने सिफारिश की है, "राज्यपाल महोदय प्रस्तुत विधेयक की विषय वस्तु से अवगत होने के पश्चात संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा

(श्री शंकरलाल)
में पुर:स्थापित किये जाने तक उसे विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करते हैं।"

अध्यक्ष महोदय, यह जो राज्यपाल महोदय की फाइनेन्शियल बिल के लिये सिफारिश होती है आर्टिकल 207 के तहत होती है। सब-सेक्शन 2 के अन्दर यह है—

"(2) Section 2 shall come into force at once and sections 3, 4, 5, 6, 7 and 8 of this Act shall be deemed to have come into force on 30th day of March, 1977" यह 30 मार्च, 1977 को यह फोर्स में आया हुआ माना जायेगा। राज्यपाल महोदय जब 30 तारीख को थे ही नहीं तो वे उस दिन से स्वीकृति कैसे दे सकते हैं ? दूसरे, अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर 5 बिलों में संशोधन एक साथ लाये गये हैं। इसके अन्दर राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट का अमेन्डमेंट है, राजस्थान स्टाम्प एक्ट का अमेंडमेंट है, राजस्थान कोर्ट फीस एण्ड सूट्स वैल्यूएशन एक्ट का अमेंडमेंट है, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का अमेंडमेंट है, राजस्थान कामर्शियल क्राप्स सेस एक्ट का अमेंडमेंट है। यह जो पांच बिलों में संशोधन एक साथ सरकार लाई है, मैं समझता हूं अलग अलग बिल आना चाहिए था। इन का बस चले तो एक मिनट में ही पास कर दें। यह तो हो सकता है नहीं। जब राज्यपाल महोदय की सिफारिश है उसमें जिस वक्त राष्ट्रपति शासन था उस बैक डेट से लागू करने की राज्यपाल कैसे सिफारिश कर सकते हैं ? It is a violation of law. 207 के तहत मौजूदा राज्यपाल सिफारिश नहीं कर सकते, इसलिये इस बिल को न लिया जाये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 60 दिन के अन्दर हाउस में इन्ट्रोड्यूज नहीं हुआ....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम यह व्यवस्था चाहते हैं...

श्री अजीत सिंह (टोंक) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प पहले प्रस्तुत होते हैं उस पर विचार भी होना चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में कानूनी आपत्ति उठाई है, बहुत इम्पोर्टेन्ट है। इसलिये इस मामले में एडवोकेट जनरल को काल करना बहुत आवश्यक है। ऐसे मामले में यहां पहले भी एडवोकेट जनरल को बुलाया गया है। लॉ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने जो कहा वह तो मंत्री महोदय ने सुन लिया। लेकिन एडवोकेट जनरल क्या कहते हैं वह भी सदन सुने।

श्री मथुरादास माथुर : Let Finance Minister reply.

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसे इम्पोर्टेंट मामले में पूरा कानूनी मुद्दा सामने आना चाहिये। आपकी आज्ञा हो कि एडवोकेट जनरल को बुलायें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री सम्पत राम : माननीय अध्यक्ष जी,..

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप प्रभारी मंत्री जी नहीं हैं। वे तो मानते हैं कि गलती हो गई है और आप गलती सुधारना चाहते हैं। श्रीमान, जो प्रभारी मंत्री हैं वे चुप हैं और चुप हैं, तो इसका मतलब है अपनी गलती मानते हैं। सर्वोदयी नेता हैं। वे मानते हैं और आप उसमें गड़बड़ कर रहे हैं।

श्री शिवचरण सिंह : इनकी रक्षा तो आप ही करेंगे, श्रीमान्।

श्री अध्यक्ष : आप पहले विधि मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिये और आवश्यकता हुई तो मैं बाद में व्यवस्था दे दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : मिनिस्टर इन चार्ज हैं वही बता सकते हैं। यह विधि मंत्री जी कहां से आ गये ? और काम ही नहीं है क्या इनका ? जो मंत्री इन चार्ज हैं उनको अवसर देना चाहिये। वे पुनःस्पष्टीकरण के रूप में अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष जी, मैं बार-बार खड़ा हो रहा हूं। पुरानी गलत परम्पराओं के अनुसार हो माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री शंकर लाल : प्रभारी मंत्री तो मास्टर आदित्येन्द्र जी हैं।

श्री अध्यक्ष : केबिनेट की रैस्पोन्सिबिलिटी को-एक्सटेन्सिव है। कोई भी मंत्री उत्तर दे सकता है। आप, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाया और जैसा डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, प्रोविजनल कलेक्शन आफ टैक्सेज एक्ट है, उसके अनुसार आता है टैक्स रियलाइजेशन करना वेलिड होता है। यह ठीक है, दो महीने में इसकी कार्यवाही हो जानी चाहिये थी लेकिन उस समय राष्ट्रपति शासन था। उस समय स्टेट गवर्नमेंट ने यह प्रयत्न किया, जैसा अभी माननीय मथुरा दास जी ने कहा कि यह कार्यवाही की जाय तो भारत सरकार ने जो एडवाइस दी वह आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना सकता हूं।..

श्री मूल चन्द डागा : यह एडवाइस क्या काम देगी ? नियम बतायें। इस प्रकार की जनता पार्टी को हम नहीं मानेंगे।

श्री सम्पत राम : सुनिये तो सही आप।

श्री अध्यक्ष : कानूनी कोई बात है तो आप कोर्ट में जाइये। you cannot raise justiciable issues in this House. This is absolutely clear. There is enabling sentence in it, "By virtue of an enactment an introduction of the Bill is permissible."

श्री सम्पत राम : उस समय जो पत्र लिखा भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को वह है Dated 21st May, 1977.

"I am directed to refer to the State Government's letter No. F.4 (2) handed over to me by Shri N.N. Verma Dy. Secretary Govt. of Rajasthan on the 11th May, '77, on the above subject, and to say that the proposal of the State Govt., according approval to the promulgation by

(श्री सम्पतराम)

the Governor of Rajasthan, of the Rajasthan Finance Ordinance, 1977, has been considered very carefully in consultation with the Ministry of Home Affairs. Having regard to the amount involved and likelihood of the popular Government in the State being formed by about the middle of June, '77, Govt. of India considers that the requisite legislation in this respect may be enacted by the State Govt. as soon as the popular Goverment is formed in the State after the ensuing elections.

तो यह प्रिकाशन ले लिया था। उसके बाद आपने फर्माया रिट्रोस्पैक्टिव अफेक्ट से कोई टैक्स लागू नहीं किया जा सकता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं लेकिन यह नया टैक्स नहीं हैं, जो टैक्स एग्जिस्टेन्स में आ गया था उसको वेलीडेट करना है। उसके अलावा आप कह रहे है इसमें 3,4,5,6 7 व 8 जोड़ रहे हैं। इसमें है

"Section 2 shall come into force at once and sections 3, 4, 5, 6, 7 and 8 of this Act shall be deemed to have come into force on 30th day of March, '77"

रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से टैक्स लगाने का प्रश्न नहीं है। यह तो सिम्पल वेलीडेट करना है। जो सारी कार्यवाही होनी चाहिये उसकी पहले भी सावधानी बरती है। इसलिये मैं समझता हूँ मेरी बात को सुनने के बाद कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय विधि मंत्री जी, यह तो रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से ही लागू होना चाहिये··

"Consequent upon the lapse of the earlier Bill, it would be necessary to give retrospective effect to clauses 3, 4, 5, 6, 7 and 8 of this Bill."

मैंने बिल नहीं देखा है लेकिन स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट में यह है कि आपको अधिकार है, रिट्रोस्पैक्टिव या प्रोस्पैक्टिव किसी भी इफैक्ट से लागू कर सकते हैं। This is clear,

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके आब्जर्वेशन के बाद मुझे कहने में बहुत कठिनाई हो रही है····

श्री अध्यक्ष : मेरा अपना ओपन माइन्ड है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, हाउस में मैम्बर्स में कुछ उग्रता भी आ सकती है लेकिन शासन में उग्रता नहीं आनी चाहिये। आप कुछ भी कहिये, अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहबान ने भारत सरकार के पत्र को पढ़ा। भारत सरकार ने गवर्नर को, जिस समय प्रेसीडेन्ट रूल था राजस्थान में, उस समय यह एडवाइस की थी कि राजस्थान में जून में पापूलर गवर्नमेंट बन जायगी। जैसा कि डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने एतराज उठाया है, दी राजस्थान प्राविजनल कलेक्शन आफ टैक्स एक्ट, 1958 के नीचे भी कोई फाइनेन्स बिल नहीं लाते तो प्रोविजनली जून के अन्त तक चाहे राष्ट्रपति का शासन हो और चाहे पापूलर सरकार हो, टैक्स बिना किसी प्रकार का कानून लाये वसूल कर सकते थे। जो भारत सरकार ने

Page No 53

(श्री परसराम मदेरणा)

लिखा है, यह जून के महीने में पापूलर गवर्नमेंट बन जायगी। उसका आपको ध्यान नहीं रहा और अब इसको रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट देने जा रहे हैं। अभी तो, माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास सामग्री उपलब्ध नहीं है लेकिन 1968 में इसी सदन में चर्चा हुई थी। इस सम्बन्ध में जितनी व्यवस्था लोक सभा में हुई है, उसका उल्लेख किया है। वह इस हाउस की प्रोसिडिंग्स में है। निश्चित रूप से आप टैक्स लगा सकते हैं लेकिन इस एक्ट के होते हुये 60 डेज तक आप प्राविजनल वसूली कर सकते थे, उसके बाद एक महीने का समय और व्यतीत हुआ। राज्यपाल महोदय ने असेम्बली को आहूत किया। अब किसी टैक्सेशन की वसूली को रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट देना जस्टिफियेबल है या नहीं, लेकिन किसी फाइनेन्स बिल के टैक्सेज की रिट्रोस्पैक्टिव वसूली करते रहें इसका आपके एक्ट में प्रावधान नहीं है। मैं समझता हूं कि यह फ्री फ्रोम लीगल काम्प्लीकेशन्स नहीं है। माननीय वित्त मंत्री महोदय जब फाइनेंस बिल ला रहे हैं तो उन्होंने आर्डिनेंस क्यों नहीं निकाला? आर्डिनेंस इसलिए निकालना चाहिए था कि सरकार बन गई थी, पापुलर सरकार काम कर रही थी, जुलाई से पहले वह सरकार बन गई थी और बनने के बाद में उसे यह चाहिए था कि वह इस प्रकार का आर्डिनेंस निकलवा देती। जब गवर्नर का शासन था उस वक्त जून के महीने तक के लिए आर्डिनेंस नहीं निकालने के लिए भारत सरकार ने परामर्श दिया था तो आपको एक जुलाई को इमीजियेटली कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन वह आपने नहीं की। आप अब तक क्या करते रहे? यह लोंग टाईटल है, "दी राजस्थान प्रोविजिनल कलेक्शन आफ टैक्सेज एक्ट, 1958" इसके क्लाज 9 को पढ़िए। इसमें फाइनेन्स बिल के क्लाज में है:—

"Section 2 shall come into force at once and sections 3, 4, 5, 6, 7 and 8 of this Act shall be deemed to have come into force on 30th day of March, 1977."

उसके बाद में क्लाज 9 है। क्लाज 9 की लास्ट लाइन है:

"Clauses 3, 4, 5, 6, 7 and 8 of this Bill shall have immediate effect under the said Act."

Said Act means, Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 इसमें दिया है "immediate effect." इसका मतलब यह है कि जो वसूली हो रही थी, इस एक्ट के नीचे हो रही थी और आज भी हो रही है। एक्ट में तरमीम नहीं की बल्कि एक नया फाइनेंस बिल बना कर रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट देने की बात है। इसकी मंत्री महोदय ने जो यहां पर बात बताई, यह प्रतिबिम्ब है, जो कार्यवाही हुई है वह उस एक्ट के नीचे हुई है। इस प्रकार यहां लीगल भूल भुलैय्या में इसको डाल कर निकलने की कोशिश की जा रही है जो अन-कान्स्टीट्यूशनल है। मैं समझता हूं कि आर्डिनेंस निकालने का समय था, उनके पास में। उनको आर्डिनेंस निकालना चाहिए था। हो सकता है कि यह बात उनकी नोलेज में नहीं हो। अगर नोलेज में थी, तो एक तरफ तो भारत से कारसपोंडेन्स की बात करते हैं। भारत सरकार ने डेफिनेट एड-

(श्री परसराम मदेरणा)

बाइज दी है कि अभी तक आपके पास समय है, जून के एण्ड तक का। 30 जून को पोपूलर गवर्नमेंट बन गई तो कोई न कोई अधिनियम, कोई आर्डिनेंस लाकर आपको री-वैलीडेट करना चाहिए था। इसलिए इस प्रकार की एडवाइस आपकी रेस्क्यू में नहीं आती है। आज आप जिस तरह से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं इस स्टेज पर, उस तरह किसी भी विधान सभा में या लोक सभा में, जो इस देश का सबसे बड़ा एक संसदीय आगस्ट हाउस है, रिट्रोस्पैक्टिव इफेक्ट इस प्रकार का दिया गया हो, आप एक भी उदाहरण बता दीजिए। आप एक भी उदाहरण बता देंगे, वित्त मंत्री बता देंगे तो हम मान लेंगे। आज दिन तक आप कोई प्रिसीडेंट नहीं बता सकते कि जिसमें टैक्स कलेक्शन के लिए रिट्रोस्पैक्टिव इफेक्ट दिया गया हो। हां, एक बात जरूर है कि आप प्रोस्पैक्टिव टैक्स को आर्डिनेंस के जरिये लगा सकें इस प्रकार की रूलिंग नहीं है। ऐसी रूलिंग मेरे ध्यान में नहीं है और किसी माननीय सदस्य के ध्यान में भी नहीं होगी। वित्त मंत्री जी, जो मैंने मुद्दे उठाये हैं उनका स्पष्टीकरण करें।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : Whatever I have to speak I am speaking to the Chair. Why are you speaking directly to me. When you were speaking, I did not object. Can I not speak? Why are you speaking directly to me.

श्री मथुरादास माथुर: I am addressing the Chair.

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जो टैक्सेज इस बिल के तहत वसूल किये जाने वाले हैं वह क्या नहीं लगाये जा सकते ? रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगाए जा सकते हैं यह पहला सवाल है। क्या इस विधान सभा को इसका अधिकार है या नहीं है, यह क्षमता इसमें है कि किसी भी टैक्स को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर सके ? इस प्रश्न के ऊपर जहां तक मैं समझता हूं कोई भी कानून रिट्रोस्पेक्टिव इफक्ट से बनाया जा सकता है। इस प्रकार की एक नहीं हजारों नजीरें, माननीय सदस्य, बताई जा सकती हैं, यदि आधा घण्टे का समय दिया जाय,...

श्री मूलचन्द डागा : एक ही बता दीजिए।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं आपकी तरह से हवा में नहीं बोल रहा हूं। माननीय सदस्य यदि चाहते हैं तो आप आधा घण्टे का समय दीजिए, आधा घन्टे के भीतर एक हजार नजीरें पेश कर सकता हूं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब कभी टैक्सेशन बिल को किसी कोर्ट ने इनवेलिड करार दे दिया तो वहां पर वेलीडेशन टैक्स एक्ट लाया गया है। जो टैक्स पिछले दो-तीन साल पहले वसूल होना चाहिए था उसको रेगुलेट किया गया है। इसलिए यह तर्क कि इस सदन की क्षमता में नहीं है, सदन को अधिकार नहीं है कि किसी रिट्रोस्पैक्टिव फाइनेंस बिल से टैक्स लगा सके, यह कानून गलत आधार पर पेश किया जा रहा है। इस सदन को पूरा अधिकार है, माननीय अध्यक्ष महोदय।....

श्री मथुरादास माथुर : There is a difference between the Taxation Bill and the Finance Bill.

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपकी बाद की बात को मैं नहीं मानता हूं।

दूसरी बात यह कही गई कि आर्डिनेंस लाते। माननीय सदस्य केवल आर्डिनेंस की भाषा समझते हैं। पिछले दो वर्षों से बराबर उनकी आदत रही है कि हर बात का आर्डिनेंस लायें, जब कि हमारे नेता हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी का बिल लाने की बात करते हुए कहा था कि जनता सरकार अपनी शुरुआत आर्डिनेंस के जरिये नहीं करना चाहती। आर्डिनेंस कोई बुरी बात नहीं है लेकिन पिछले दो सालों में कांग्रेस सरकार और खास तौर पर श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व को मानने वाले लोगों की जिस तरह की आदत रही है आर्डिनेंस निकालने की, जिस तरह से इमर्जेन्सी बदनाम हो चुकी है उसी तरह से आर्डिनेंस बदनाम रहा है इसलिए जनता सरकार इससे शुरुआत नहीं करना चाहती थी। बद से बदनाम ज्यादा बुरा है? अगर इन बदनाम राहों पर सरकार नहीं चलना चाहती तो क्या बुरा है। यह सदन कोम्पीटेंट है, रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू किया जा सकता है, जनहित में अगर वह है तो किया जा सकता है। जिस प्रकार का टैक्निकल आब्जेक्शन उठाया जा रहा है वह भी बुनियादी तौर पर गलत है। इन बिनाओं पर जो विरोध के मुद्दे उठाये जा रहे हैं मैं उनको सारहीन मानता हूं। यह इस माननीय सदन का अधिकार है कि कोई चीज जनहित में हो तो उसको रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू कर सकता है।

इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी, जो ओब्जर्वेशन्स दिए, उनका ओपन माइण्ड है। उनके लिए विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने जो एक्सप्रेशन किया एकदम से, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय की उस तरह की कोई भावना नहीं थी कि प्रोसीडिंग को इफैक्ट करने की कोई बात कही हो। उनके प्रति इस प्रकार का एक्सप्रेशन करना न्यायोचित नहीं है। उनका व्यक्तित्व तीस वर्षों से जिस प्रकार का रहा है वह सार्वजनिक जीवन में स्पष्ट रूप से व्यक्त होता रहा है और वह यह है कि वे दुराग्रही नहीं हैं। बड़ी विनम्रता से अपनी बात को कहते हैं और कोई भी बात उनके समक्ष रखी जाय तो खुले मन से उसको स्वीकार करते हैं। अगर कोई गलती हो गई हो तो भी आसन पर बैठकर भी उसको स्वीकार करने में हिचक महसूस नहीं होगी, उसको स्वीकार करेंगे। उनके लिए इस प्रकार का ओब्जर्वेशन किया, रिस्ट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से कानून को लागू करने का सदन का अधिकार है या नहीं, इस पर मंत्री महोदय को सलाह दी, उस पर विरोधी दल के नेता का एक्सेप्शन लेना मैं उचित नहीं मानता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनहित में उन्होंने इन टैक्सेज को सही माना है, यहां पर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे कि यह लगे कि यह अनावश्यक है या खराब है सिवाय इसके कि आर्डिनेंस क्यों नहीं निकाला। आर्डिनेंस की भाषा यह सरकार नहीं समझती, उस रास्ते पर यह सरकार नहीं चलना चाहती तो इसमें क्या गलती है? कानून में कोई गलती नहीं है। आप टैस्ट कर लीजिए किसी अदालत में चुनौती देकर। कोई

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

अदालत इस बात को नहीं कह सकती कि इसको प्रोस्पेक्टिव डेट से लागू किया जाय। मैं बहुत चुनौती के आधार पर कहता हूं कि आधा घण्टे के बाद में आ जाइये, मैं हजारों रूलिंग इस प्रकार की बता सकता हूं कि जिसके कारण रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से लागू किया जा सकता है। यह बहुत साफ और स्पष्ट हो जाएगा।

श्री मूलचन्द डागा : जहां तक आपका सवाल है कि हमने बराबर आपकी बात पर विश्वास किया है,...

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य ने जो अभी कहा है, मनी बिल, फाइनेंस बिल और टैक्सेशन बिल, इन तीनों का अलग आधार है। संविधान के अन्दर वह दिया हुआ है। उसको पढ़ लें चाहे आप। फाइनेंस बिल पार्लियामेंट का हो चाहे वह स्टेट असेम्बली का हो, दोनों बराबर हैं। इसलिए जो विरोधी दल के नेता ने बात कही या मैंने कही, मैं टैक्सेशन बिल को रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट देने वाली बात नहीं कहता, मैं फाइनेंस बिल की बात कह रहा हूं। आप मुझे कोई रूलिंग बता दीजिए। मुझे तो याद नहीं है, मुझे वकालत किए बहुत अर्सा हो गया। मगर मैं आपको यह...

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपने वकालत की ही कब है सिवाय थानसिंह मेहता के पास जाकर ट्रांसफर एप्लीकेशन देने के?

श्री मथुरादास माथुर : मैं कौन साहूकारी वकील हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि फाइनेंस बिल रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से एन्फोर्स किया हो किसी राज्य में या सेंटर में हुआ हो, ऐसी माननीय सदस्य और सरकार एक नजीर पेश कर दे तो हम अपना ओब्जेक्शन विथड्रा कर लेंगे। मैं फाइनेंस बिल की बात कह रहा हूं। टैक्सेशन बिल रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से होते हैं, यह हम भी जानते हैं। मगर फाइनेन्स बिल में, मनी बिल में, कान्स्टीट्यूशन में, संविधान में डिस्टिंकशन है, किया गया है। इसलिए इस फाइनेन्स बिल पर एतराज किया है। फाइनेन्स बिल जिस एक्ट के अन्दर आते हैं, वह एक्ट है, अध्यक्ष महोदय, प्रोविजनल कलेक्शन टैक्सेशन एक्ट, इसकी धारा 5 है, यह कहती है 60 दिन के बाद...

> "Refund shall be made of all taxes which would not have been collected if the provisions of the Act would not have been declared ..."

यह साफ कहती है, उसी दिन से, आज का सवाल नहीं है रिफण्ड का, जिस दिन से लैप्स हो गया, उसी दिन से रिफन्डेबल हो गया है। आप महीने भर बाद में आते हैं। लोगों ने रिफण्ड उठा लिया तो आज इसे रिट्रोस्पेक्टिव करने से आपका क्या मतलब निकलता है? यह मेरा ओब्जेक्शन है। इसलिए बारीकी से आप इसको सोचें। कोर्ट में क्या होता है, यह अलग बात है। वहां पर 50 बातें होती हैं परन्तु जो हम समझ

(श्री मथुरादास माथुर)

पाये हैं, वह कानून आपके सामने पेश करते हैं। इसलिए मेरा आब्जेक्शन है। यह फाइनेन्स बिल है जिसमें रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कलेक्शन का प्रोविजन आपने रखा है, वह सेक्शन 9 का अंग है। आज तक सदन में और जितनी भी स्टेट लेजिस्लेचर हैं, वहां पर यह नजीर देखने को मुझे नहीं मिली है। मैंने बहुत कोशिश की है इसको ढूंढने की, परन्तु वह नहीं मिली। यह आलरेडी रिफन्डेबल हो गया है। एक महीना हो गया है। लोगों से वसूल हो गया है और वापस लोगों ने उठा भी लिया है। इसलिए आप इसको वसूल कर सकेंगे या नहीं? यह मेरा एतराज है। मेरा निवेदन है कि सदन इस पर फैसला करे।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, माननीय मथुरादास जी माथुर ने जो आपत्ति प्रस्तुत की है कि इस सदन की क्षमता है नहीं किसी भी फाइनेन्स बिल को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पास करने की। इस सम्बन्ध में यह गुजारिश करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ऐसी कोई भी नजीर यहां पर पेश नहीं कर सके, ऐसी किसी नजीर का उन्होंने हवाला नहीं दिया जिससे यह ज्ञात हो सके कि फाइनेन्स बिल को रिट्रोस्पेक्टिव डेट से पास नहीं किया जा सकता इस सदन द्वारा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की यह क्षमता है कि वह किसी भी एक्ट को, किसी भी बिल को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पास कर सकता है इस बिल में भी ऐसा प्रावधान है। यह वह प्रावधान है जिसकी क्षमता को किसी भी न्यायालय में चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है। यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है। इसलिए यह जो आपत्ति उठायी गयी है, गलत है। इसको मन्जूर नहीं किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: सम्माननीय मथुरादास जी माथुर की आपत्तियां सुनीं। स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में यह कहा गया है, "as advised by the Law Department" गवर्नमेन्ट इस बिल को लाई है। स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स को मैं पढ़ कर सुना देता हूं:

"Certain financial proposals included in the budget proposals for the year 1977-78 have necessitated the amedment of a few provisions/schedules of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954, the Rajasthan Stamp Law (Adaptation) Act, 1952, the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961, the Rajasthan Tenancy Act, 1955 and the Rajasthan Commercial Crops Cess Act, 1975. A Bill was introduced in the last Legislative Assembly session on 30th March, 1977 but it lapsed with the dissolution of that Assembly. Provisional collection of taxes had, however, been started from the date of introduction of the said Bill. The present Bill seeks to introduce the necessary amendments in the said Act. Consequent upon the lapse of the earlier Bill, it would be necessary to give retrospective effect to clauses 3,4,5,6,7 and 8 of this Bill.

Hence the Bill."

रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अगर किसी बिल को दिया जाना है, किसी भी लेजिस्लेशन को तो वह बहुत अच्छा नहीं माना जाता है,

(श्री अध्यक्ष)

लेकिन यह हाउस सावरिन हैं। इस सावरिन हाउस के ऊपर किसी भी रूप में, रेस्ट्रिक्शन के रूप में आप कोई भी बात नहीं ला सकते। इसका डिस्क्रिशन है in exercise of its sovereign right which is unquestioned. लॉ डिपार्टमेन्ट ने जो गवर्नमेन्ट को राय, एडवाइज दी है, उसके बेसिस पर यह बिल इस सदन के समक्ष आया है। अगर इस एडवाइज अथवा ड्राफ्टिंग के एप्लीकेशन में कोई लेकूना है, डिफेक्ट है, तो Those issues have to be adjudicated in a Court of Law इस सदन की यह इच्छा है कि यह विधेयक विचारार्थ लिया जाये। यह सदन का अधिकार है। जब विपक्षी दल शासन दल मे था, बार बार रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से, दस दस वर्ष के रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से भी यहां पर, सदन में बिल इन्ट्रोड्यूज कर के पास कराये गये हैं। यदि सरकार की यह इच्छा है कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाये, तो सरकार को बाध्य करने के लिए व्यवस्था उचित रूप से देना, मैं समझता हूं कि मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अतएव जो आपत्तियां विरोधी पक्ष की ओर से उठायी गयी हैं, उनको स्वीकार करने मे मैं असमर्थ हूं।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री शंकरलाल प्रस्ताव करेंगे कि उपरोक्त विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

श्री शंकरलाल !

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान वित्त विधेयक, 1977 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने का मैंने संशोधन प्रस्ताव रखा है।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में जो प्रारंभिक आपत्तियां थीं, उनके ऊपर आपने व्यवस्था दे दी है इसलिए मैं उनको दुबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन यह जो बिल है, इस बिल के अन्दर जो करीब 5 अलग अलग कानून हैं, उन कानूनों में संशोधन कर के जनता पर टैक्स लगाने की और टैक्स वसूल करने की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता था कि जो टैक्स, जो भी रकम जनता पार्टी की सरकार वसूल करे और जिस प्रकार की रकम वसूल करे उसको वह रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से वसूल करे तो कम से कम जनता की सरकार होने के नाते, जनता पार्टी की सरकार इस पर जनता की राय जरूर लेगी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इसके बारे में, अध्यक्ष महोदय, जनता की राय ले ली जावे, क्योंकि इससे सारी जनता प्रभावित होती है। यही नहीं इसके अन्दर जो करों की वसूली हो चुकी है और जो होने वाली है, अध्यक्ष महोदय, आप सहमत होंगे कि जनता पार्टी की सरकार को अलग अलग बिल लाने चाहिए थे ताकि उनके बारे में यहां पर विस्तारपूर्वक चर्चा होती। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊँ, इस बिल के तहत कोर्ट फीस एण्ड सूट्स वेल्यूएशन एक्ट और टीनेन्सी एक्ट में संशोधन करने की बात है जैसे क्लाज 7 में कहा गया है :

(श्री शंकर लाल)

"In part I relating to court fee on suits for the figures and letters "50 N.p." and the figures and letters "25 N.p." wherever occurring in column 6, the words "One rupee" shall be substituted."

जहां पर एक काश्तकार को दरख्वास्त देनी है, जो पहले 25 पैसे, 50 पैसे का दरख्वास्त पर टिकट लगाता था, वहां अब उससे एक रुपया लेने की बात है। यह गरीब काश्तकारों को प्रभावित करने की बात है लोगों को सस्ता न्याय देना हम चाहते हैं। जनता पार्टी के शुरू के भाषणों में यह कहा गया था कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि लोगों को सस्ता न्याय मिले। जो गांवों के गरीब काश्तकार हैं जो 25 और 50 पैसे की दरख्वास्त देकर काम चलाते हैं। उनके ऊपर एक रुपया लगा दिया है। अपील पर भी 50 पैसे के बजाय 1 रुपया लेने की बात है। तो मेरा यह निवेदन है कि आप यह धन उन लोगों से वसूल करना चाहते हैं जो कि अक्षम हैं। आप उन लोगों से वसूल कर सकते हैं जो कि सक्षम हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 25 और 50 पैसे भी नहीं दे पाते हैं। तो, अध्यक्ष महोदय इस प्रकार के लोगों को प्रभावित करने वाला यह बिल है।

साथ ही कामर्शियल कम्प्लेस के बारे में मैं निवेदन करूंगा। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो भाव चढ़े हैं दूसरी तरफ जैसे जैसे भाव बढ़ेंगे वैसे-वैसे जनता प्रभावित होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित करें। इससे तो सीड्स के भाव बढ़ जायेंगे इसलिए इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, स्टाम्प ड्यूटी भी बढ़ाने की बात की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी सदन का चौथी बार सदस्य चुनकर आया हूं राजस्थान के इतिहास में इस प्रकार से टैक्स लगाया गया हो, यह नहीं देखा है। भाषण आप कितना ही करें। रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से टैक्स लगाने का मामला मैंने सदन में आज तक नहीं सुना है। आर्डिनेन्स या बिल पास किये हैं लेकिन उनमें कोई बात होती थी। रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से मार्च से टैक्स लगाने की बात इसमें है। तो कल तो हम कह देंगे कि हम 20 साल पहले से टैक्स लेंगे। सदन स्वीकार कर लेता है तो मैं कहता हूं कि सदन तो सक्षम है। लेकिन ऐसे मामलों में जनता की राय लेकर ही सदन सक्षम है। जनता की राय आ जाती है तो टैक्स लगा सकते हैं। बिना जनता की राय लिये ही एकदम से आपने सबसे पहले यह टैक्स लगाने को यह बिल पेश किया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार टैक्स लेना डेमोक्रेटिक परम्परा नहीं है, न यह जनता के हित में है। इसलिये माननीय प्रभारी मंत्री जी पुराने कांग्रेसी हैं, सर्वोदय के नेता हैं, वे मन्त्री पद की फिक्र नहीं करें। गम्भीरता से वह इस विषय पर चिन्तन और मनन करें और जनता की राय जानने के लिए प्रस्तुत मेरे प्रस्ताव को मंजूर करें ताकि जनता की राय आपको मिले और जनता की आस्था पार्टी में बढ़े। वह जनहित में इससे इन्कार नहीं करेंगे। प्रभारी मन्त्री जी, आप मंत्री हैं। जनता कभी आशा नहीं करती है कि आप ऐसा कानून लायें।

श्री अध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ।

श्री रामरघुनाथ (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1977 के एक माह को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने यह बिल प्रस्तुत किया है, इसके सम्बन्ध में आपको निवेदन करूं · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहें। रेगुलेराइजेशन इस सरकार ने किया है, वह रुटीन में है।

श्री रामरघुनाथ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता था कि जो चीजें नोन टेक्सेबल हैं, उन पर भी टैक्स लगाया जाये। मेरा निवेदन है कि मतीरा और तूंबा के बीज ऐसे हैं जो कि पश्चिमी राजस्थान में गरीब लोग अनाज में मिलाकर खाते हैं। जब अनाज की कमी हो जाती है तो अमूमन उसको अनाज के साथ मिलाकर खाते हैं। अगर हम इस पर टैक्स लगा रहे हैं, तो हम गरीबों पर अन्याय कर रहे हैं। माननीय प्रभारी मन्त्री जी गरीबों की समस्याओं के जानकार हैं। उनके साथ उनकी हमदर्दी रहनी चाहिये। जनता पार्टी की हमदर्दी जनता के साथ रहनी चाहिये। मतीरा और तूंबे पर टैक्स लगायेंगे, तो यह न्याय नहीं होगा।

इसके अलावा मैं कामर्शियल क्राप सैस के बारे में निवेदन कर रहा हूं। आधे एकड़ को आपने माफ किया है। आधा एकड़ कुछ नहीं होता है। छोटे से छोटा काश्तकार भी क्योंकि आज फर्टीलाइजर बहुत महंगा हो गया है, खाने के अनाज के भाव गिरते जा रहे हैं, इसलिए निश्चित ही इस प्रकार की क्राप उगाने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार आपने मस्टर सीड पर टैक्स लगा दिया है। उस पर आप रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से लगा रहे हैं। तो यह यह सोचने की बात है कि इससे जो गरीब काश्तकार गुजारा करते हैं उनके साथ न्याय नहीं बरता जायेगा, हमदर्दी नहीं बरती जायेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाये उससे पहले इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये। जनता इससे अवगत हो सकेगी और आपको ज्यादा सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रणजीतसिंह राठौड़।

श्री रणजीतसिंह राठौड़ (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, जो यह बिल पास कराया जा रहा है इसमें कामर्शियल काश्त के ऊपर सेस लगाने का प्रावधान है। इस महंगाई के जमाने में खाद की बढ़ती हुई कीमत, काश्त के काम में आने वाली चीजों, मशीनरी इत्यादि जो काम में आती उनकी बढ़ती हुई दर के जमाने में काश्तकार की क्या हालत होती होगी, इस बात को न यह सरकार समझ सकती है और न पहले की सरकार समझ पाई जिसने काश्त पर सेस लगाने की बात सोची थी। किसी कारण से सेस ऐसी काश्त पर से हटाया गया था परन्तु किसी कारणवश जो यह सेस · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी स्वयं की सरकार ने यह टैक्स लगाया है—

(श्री अध्यक्ष)

You are repeating the same thing again, and again. आप समय का ध्यान रखें कृपया ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, हवा बदल गई है, जमाना बदल गया है, हमारे भी विचार बदल गये हैं ।

श्री रणजीतसिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने क्यों यह टैक्स लगाया था और वापस क्यों हटाया ? इस सरकार को यह टैक्स क्यों लगाना पड़ा ? काश्तकारों के वोटों को लेकर यह सरकार जीत कर आई है और मैं यह कह रहा हूं कि पिछली सरकार को क्यों हटाने की जरूरत पड़ी ? अध्यक्ष महोदय, काश्तकार इतना दब गया था कि काश्तकार की कमर टूट गई थी । आज जो हालत है उससे काश्तकार और डूबता जायगा और काश्तकारों के हितों पर कुठाराघात होगा । इसलिए मेरा निवेदन है कि जैसे मिर्ची पर आप टैक्स लगा रहे हैं, आप अन्दाजा लगाइये, सबसे ज्यादा मिर्ची मारवाड़ के अन्दर मेरे इलाके में होती है, जो बहुत ही मशहूर इलाका है । मारवाड़, मथानिया और तिवरी के पास सैकड़ों मन मिर्ची पैदा होती है, वहां पर यह कार्माशियल क्रोप है और इसको पैदा करने में काश्तकार को जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वह तो काश्तकार ही जान सकता है । आज कल विद्युत् का मामला है, बिजली मंहगी है, जल मंहगा हैं, क्रूड आइल मंहगा है । उसके बाद में मिर्चो को काफी पानी चाहिये । गोबर और मीगनी की खाद देने के बाद भी यह काफी कठिनाई से पैदा होती है । उसके बाद में भी काश्तकार को कुछ नहीं बचता है । गए साल में अतिवृष्टि के कारण मिर्ची की फसल खराब हो गई और यही हाल इस साल भी होने जा रहा है । इसलिए जो इस सरकार ने काश्तकार के ऊपर...

(2.15 म. प.)

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री, सभापति, पीठासीन)

टैक्स लगाया है इस स्थिति में तो मैं समझता हूं कि यह काश्तकार के साथ एक खराब व्यवहार होगा । हालांकि आप बहुमत में हैं और टैक्स लगा सकते हैं, इस प्रकार के बिल को पारित भी करवा सकते हैं, परन्तु आने वाला समय, आपको बख्शेगा नहीं, समय ने हमको भी नहीं बख्शा है । जो गलतियां की गईं उसी का परिणाम है कि आज उधर वाले इधर बैठे हैं और इधर वाले उधर बैठे हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप काश्तकार का वोट लेकर चुन कर आये हैं, उनके वोटों पर आप बैठे हैं । जिस प्रकार पहले की सरकार कुछ मोटे आदमियों के साथ रही, आप भी उन मोटे आदमियों के साथ जुड़ जायेंगे तो उससे काश्तकार को धक्का लगेगा । इसलिए मेरा निवेदन है उधर बैठे हुए भाइयों से, जो काश्तकार का वोट लेकर के यहां पर आये हैं, कम से कम काश्तकार जो उपज पैदा करता है उस पर कोई टैक्स लगाने की बात...

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

Page No 62

(62)

(श्री रणजीतसिंह राठौड़)

जो है, उस पर आप सोचें। मैं तो आपकी भलाई की बात कह रहा हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मिर्ची के ऊपर और कपास के ऊपर, ये जो चार-पांच चीजों पर आपने सैस लगाया है, कांग्रेस सरकार ने भी इन पर टैक्स लगाया था लेकिन उसको भी वापस हटाना पड़ा था। उसके द्वारा हटाने के बाद आप उसको वापस लगा रहे हैं तो आप उसके लिए दोषी बन जायेंगे और आने वाला समय आपको बख्शेगा नहीं। इसलिए आप इसको जल्दबाजी में पारित नहीं करवायें और इसको जनमत जानने के लिए परिचालित कर दिया जाय। जनता के विचार जानने के बाद ही इसको लगाया जाय तो ठीक रहेगा। उसके बाद में इसको उचित समझते हैं तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, परन्तु जल्दबाजी में इसको पारित करना ठीक नहीं है। इसलिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय या जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय जिससे जनता को विचार देने के लिए कुछ समय मिले। जनता के विचार जानने से कुछ अच्छा परिणाम हो सामने आयेगा। इसलिए, सभापति महोदय, आपके मार्फत मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि पहले की सरकार ने भी इसको हटाया था, आप इसको जल्दबाजी में वापिस न लगायें। उसने भी जल्दबाजी में लगाया और हटाया था इसलिए आप इसको जल्दबाजी में पास न करें। मैं, सभापति महोदय, आपके मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय या जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। मेरा संशोधन प्रस्ताव यह है कि "राजस्थान वित्त विधेयक, 1977 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"

श्री सभापति : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): आदरणीय सभापति जी, जो सरकार ने कृषि के ऊपर वाणिज्यिक कर लगाया है उसके लिये मैंने प्रस्ताव किया है कि "राजस्थान वित्त विधेयक, 1977 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर किसानों की हालत को देखते हैं तो यहां पर दो-तीन साल तक लगातार अकाल पड़ा है, और पिछले दो-तीन सालों के अन्दर अतिवृष्टि के कारण हमेशा फसलें खराब होती रही हैं। ऐसी स्थिति में उन काश्तकारों के ऊपर वाणिज्यिक कर लगाना, न्यायसंगत और न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है। मान्यवर, अपने प्रान्त के अन्दर काश्तकार बहुत ज्यादा अनपढ़ है, इल्लिट्रेट है, वह फसल का हिसाब नहीं रख सकता है इसलिये जब आप फसल पर टैक्स लगायेंगे तो पटवारी और राजस्व अधिकारी मनमानी करेंगे। काश्तकार वाणिज्यिक फसल बोयेंगे, उससे लोगों के अन्दर भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लोग अपनी मनमानी करेंगे और ज्यादा-काम करने की कोशिश करेंगे। सरकार को इससे कोई आमदनी होने वाली नहीं है। राज्य अधिकारी अपनी जेबें भरेंगे। इसलिए यह अच्छा नहीं रहेगा कि किसानों के ऊपर, आप कृषि के ऊपर टैक्स लगायें। यह न्यायसंगत नहीं है। मान्यवर, राजस्थान के अन्दर जब आप बिजली की व्यवस्था

(श्री रामसिंह विश्नोई)

नहीं कर सकते, पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते, सिचाई की व्यवस्था नहीं कर सकते तो किसानों के ऊपर इस तरह का टैक्स लगाना किसी तरह से उचित नहीं हैं। किसानों के काम में आने वाली चीजों के भाव दिन दुगुने और रात चौगुने बढ़े हैं, ऐसी हालत में किसान लोग जो चीजें पैदा करते हैं उनके भाव गिरे हैं, ऐसी स्थिति में उनके ऊपर टैक्स लगाने से उनके ऊपर भार बढ़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, राज्य सरकार को निवेदन किया जाय कि इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय या इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि जनता को इस पर विचार करने का अवसर मिल सके।

श्री सभापति : माननीय श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

माननीय श्रीमती सुमित्रासिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री सुखलाल सैंणचा।

श्री सुखलाल सैंणचा (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, यह जो वित्त बिल पेश किया जा रहा है, इसके बारे में काफी चर्चा इस सदन में हो रही है। समय समय पर हमारे मन्त्री महोदय इस बात को कहते रहे हैं कि यह काला बिल है। काला बिल है, मैं तो आज जब यह बिल लाया जा रहा है तो सरकार से कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए यह बिल अब क्यों लाया जा रहा है? जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम यह महसूस करते थे कि यह किसानों को राहत देने वाली सरकार है। हमारे राजस्थान की जनता भी यह महसूस करती है। लेकिन किसानों को कोई राहत देने के बजाय यह बिल लाया जा रहा है। राजस्थान के अन्दर, जब से सीलिंग की सीमा तय की है, मन्त्री महोदय, हम सब लोग किसानों के पास रहते हैं, हम जानते हैं कि किसानों के भी चार-पांच बच्चे होते हैं, वह भी सोचता है कि मेरा बच्चा भी कुछ पढ़े, लिखे और काबिज बने। होना तो यह चाहिए था कि जनता सरकार के बनते ही, उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर किसी प्रकार के टैक्सेज लगाते तो राजस्थान की जनता को खुशी होती। परन्तु यह जो बिल आया है इससे राजस्थान की सरकार ने किसान की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। मन्त्री महोदय और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य गरीबों और किसानों के हितैषी कहलाते हैं, जो किसानों के साथ वायदा करके आये हैं, फिर भी काला कानून लाया जा रहा है। आपकी पार्टी में इसकी चर्चा है, आप इस बिल को आने से रोकें। लोग कहेंगे कि जनता सरकार ने किसान पर भारी टैक्स लगाया है जो अच्छा नहीं होगा क्योंकि राजस्थान के किसान की कमर पहले से ही टूटी हुई है। आप सोचिये फर्टिलाइजर्स और डीजल के भाव कितने ऊंचे हैं। ट्रेक्टर की 50 हजार की कीमत है। किसान रात दिन अंधेरी रात में भी खड़ा होकर अपनी फसल पैदा करता है अपने बाल बच्चों को पालने के लिए, उस गरीब पर टैक्स लगाया जा रहा है, मैं इसका विरोध करता हूं।

(श्री सुखलाल सैंणचा)

इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि "राजस्थान वित्त विधेयक, 1977 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"

श्री सभापति : श्री शिवचरण सिंह।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : सभापति महोदय, राजस्थान कार्मशियल क्राप्स सैस एक्ट, 1975 के सैक्शन 3 में जो संशोधन लाया जा रहा है मैं उसका विरोध करता हूं। यह प्रवर समिति को देना चाहिये, क्योंकि इसका एक मात्र कारण यह है कि सरसों, मैथी, ग्वारगम इत्यादि कार्मशियल क्राप्स में आते हैं। उदाहरण के लिए सरसों की पैदावार है, सरसों राजस्थान के इलाके में सावन‥

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने जनमत के लिए प्रस्ताव दिया है।

श्री शिवचरण सिंह : जनमत की जानकारी करेंगे तो जनता इसका विरोध करेगी।

श्री सभापति : आप अपने प्रस्ताव तक ही सीमित रहें।

श्री शिवचरण सिंह : आम किसान पर असर पड़ेगा। जो काश्तकार कार्मशियल क्राप्स बोते हैं इससे उन पर भार पड़ेगा। आषाढ़ महीने से 4 महीने तक काश्तकार जोर लगाते हैं। कार्मशियल क्राप्स में सिंगल क्रापिंग होती है डबल नहीं। सरसों जो बोएगा उसको केवल रबी फसल मिलेगी खरीफ नहीं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि "राजस्थान वित्त विदेयक, 1977 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।"

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि इस समय आसन पर आप हैं और मैं बोल रहा हूँ। आप कानून के ज्ञाता हैं। सारे हिन्दुस्तान की सरकारें बार बार कह चुकी हैं कि सस्ता, सुगम और शीघ्र न्याय मिलना चाहिये। इसलिए हमारे आदरणीय वित्त मन्त्री, आशा है इस प्रकार का बिल नहीं लायेंगे। सरकारी कर्मचारी लिखकर आपको दे दें और आप दस्तखत करते हों तो भगवान जाने। आज इस प्रकार से कोर्ट फीस और स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई जा रही है जब कि 27 वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट में उसके अध्यक्ष गजेन्द्र गडकर ने साफ साफ कहा है कि हिन्दुस्तान का न्याय बहुत महंगा है और देश में यूनीफार्म कोर्ट फीस होनी चाहिये। गरीब आदमी न्याय के दरवाजे खटखटा नहीं सकता। आपने टीनेन्सी एक्ट के अन्दर रैवेन्यू कोर्टस् में जहां 25 पैसे का टिकट लगता था वहां एक रुपया कर दिया यानि 4 गुना। जनता पार्टी दावा करती है कि हम ग्रामीण विकास की ओर जायेंगे, गांवों में खुशहाली लायेंगे। यह जनता पार्टी का चौथा तोहफा है। पहले तो नगरपालिकायें भंग कर दीं, दूसरे पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर दिए, तीसरे विश्वविद्यालयों में घुस गये और यह चौथा तोहफा आज जनता को रेडियो पर सुनने को मिलेगा कि जनता पार्टी न्याय को महंगा करने के लिए कोर्ट फीस बढ़ा रही है और

(श्री मूलचन्द डागा)
ड्यूटी में भी बढ़ोतरी कर रही है। सभापति महोदय, आप कोर्ट में जाते हैं, वहां गरीबों की क्या हालत है ?

एक तरफ सरकार कहती है Legal aid to the poor दूसरी तरफ अब गरीब की सहायता नहीं होगी। जनता पार्टी के उधर बैठने वाले माननीय सदस्य मेरी बात का समर्थन करेंगे कि महरबानी करके इसको प्रवर समिति में भेज दो। उसके अन्दर इस पर एक बार विचार हो जाना चाहिये। कोर्ट फीस और स्टाम्प ड्यूटी में महरबानी करके बढ़ोत्तरी मत करो। विधि मन्त्री को मालूम है कि रेवेन्यू के मुकदमों के फैसलों में 10–10, 15–15 साल लग जाते हैं।

राजस्थान के मुख्य मन्त्री बोल रहे थे, उन्होंने, राज्यपाल ने भी अपने अभिभाषण मे कहा था, भूखा नंगा राजस्थान। मैंने सोचा, भूखे नंगे राजस्थान के प्रतिनिधि कैसे होंगे। जो आये होंगे वे भी ऐसे ही होंगे। राजस्थान में 83 प्रतिशत गरीब लोग हैं उन पर आज टैक्स लगाया जा रहा है। मैं कोटा की बात नहीं कहता या भरतपुर की बात नहीं कहता जहां से वित्त मन्त्री आये हैं। राजस्थान का हमारा जो हिस्सा है, जहां बादलों की मेहरबानी पर हम जीते हैं और बड़ी मुश्किल से हम खेती करते हैं। राजस्थान का किसान पंजाब का किसान नहीं है, हरियाणा का किसान नहीं है। राजस्थान के गांवों में खुशहाली नहीं फिर भी गांव वालों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा टीनेन्सी एक्ट के तहत। आपने यह क्लाज देखा होगा पार्ट 1 क्लाज 7:

In part III relating to court-fee on Appeals, for the figures and letters '50 N. P.' wherever occurring in column 6 the words "one rupee" shall be substituted. in part I relating to court-fee on suits for the figures and letters "50 N.P." and the figures and letters "25 N.P." wherever occurring in column 6, the words 'one rupee' bo shall substituted.

25 पैसे का एक रुपया कर दिया। कोर्ट में जाने वाला एक काश्तकार म्यूटेशन की एक दरख्वास्त देता है या लकड़ी काटने के लिए दरख्वास्त देता है, जो गांव से 7 मील पैदल चला हुआ एक काश्तकार आता है। अदालत में वह स्टाम्प का एक रुपया लगाएगा और टाइप करने वाला भी एक रुपया लेगा। दो रुपये यूं ही खर्च हो जायेंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इसे प्रवर समिति में भेजें। जहां टैक्सेज का सवाल है उनके अन्दर....

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले की सरकार का जो कानून था उसी को लागू कर रहे हैं। ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत नहीं फिर जैसी आपकी मर्जी।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिये, माननीय सदस्य !

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, आपका इशारा बिलकुल ठीक है।

Page No 66

(66)

(श्री मूलचन्द डागा)

हां, तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस राजस्थान की जनता पार्टी ने कहते हैं कि गरीबों का भला करने का ठेका ले लिया है। यह लोग यह कहते हैं कि गरीबों को सब कुछ दिला देंगे। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि जनता पार्टी की सरकार के जो वित्त मन्त्री जी हैं वह तो बिलकुल ही साधु प्रवृत्ति के हैं फिर उन्होंने किसानों पर टैक्स और सेस क्यों लगाया है? यह तो गरीबों के प्रतीक हैं और काश्तकारों के मददगार बनते हैं इन्होंने यह काश्तकारों के ऊपर टैक्स क्यों लगाया? यह कोर्ट फीस जो आपने बढ़ायी है यह अन्याय आपने अदालतों की कार्यवाही में टैक्स लगाकर किसानों पर क्यों किया है? सभापति महोदय, मैंने कोर्ट फीस के ऊपर दो रिपोर्ट्स पढ़ी है, रिपोर्ट नम्बर 27 और रिपोर्ट नम्बर 45, इसमें आपने यह बताया था कि किसानों को सस्ता और सुलभ न्याय मिले। तो क्या आप इस तरह से कोर्ट फीस बढ़ाकर सस्ता और सुलभ न्याय दिलाते हैं? माननीय सदस्य बजरंग लाल जी, आप तो जानते हैं कि कोर्ट फीस से कितना भार काश्तकारों पर पड़ेगा। बेचारे काश्तकार गरीब हैं..

श्री बजरंगलाल शर्मा : लेकिन आप तो गरीबों की श्रेणी में नहीं आते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो काश्तकारों की बात करता हूं। सभापति महोदय, फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम के जितने बिल होते हैं जिनमें टैक्सेज लगते हैं चाहे वह कोई गवर्नमेन्ट हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार हो, अगर वह कोर्ट फीस बढ़ाती है या किसानों पर कोई टैक्स लगाने का सवाल हो तो अगर आप गरीब जनता को राहत देना चाहते हैं तो आपको कम से कम ऐसे बिल्स को पहले सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिये ताकि उसके द्वारा ऐसे बिल्स पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सके। इसलिये मैंने निवेदन किया है कि चूंकि फाईनेन्शियल मैटर्स का सवाल है, काश्तकारों का सवाल है इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान वित्त विधेयक को एक प्रवर समिति के निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन सितम्बर के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करें।

श्री सभापति : श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे। मेरा इस बिल को प्रवर समिति का प्रस्तुत करने का मकसद यह है कि आज हमारे यहां पर जो महगाई बढ़ रही है, खास तौर से मूंगफली के तेल में मंहगाई ज्यादा चल रही है उस ओर तो राज्य सरकार का ध्यान है नहीं और दूसरी तरफ राज्य सरकार सैस और लगा रही है। पहले ही काश्तकार मर रहा है टैक्सेज के भार से, फिर भी आप मूंगफली और सरसों पर सैस और लगा रहे हैं। इससे तो तेल और महगा होगा और मैं समझता हूं कि इसका इन चीजों के प्रोडक्शन पर भी असर पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय घटेगा। सभापति महोदय, प्रोडक्शन घटा है इसीलिए तो हम आजकल मूंगफली के तेल को बाहर के देशों से इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आज क्या तो हमारे केन्द्र में, क्या प्रांत में मंहगाई पर नियन्त्रण रखना आवश्यक है।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

मैं समझता हूं कि इस सेस के लगने से और भी मंहगाई बढ़ेगी और किसानों को हालत खराब होगी। इसलिये मेरा तो राज्य सरकार से यह निवेदन है कि ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकार ने जो यह बिल सदन में पेश किया है उसे तुरन्त विथड्रा कर लेना चाहिये ताकि काश्तकारों पर सैस नहीं लगे। अगर जनता पार्टी की सरकार इस बिल को वापस ले लेती है, इसे विथड्रा कर लेती है तो मैं समझता हूं कि जनता इसको एप्रोशियेट करेगी और यह जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। माननीय वित्त मन्त्री बहुत ही ईमानदार और सुलझे हुए विचारों के हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, काश्तकारों के हिमायती बनते हैं, मैं समझता हूं वह इस बिल को विथड्रा कर लेंगे।

इसके अलावा दूसरी बात मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि टीनेन्सी एक्ट राजस्थान का है उसमें कोर्ट फीस रखी थी। वह बहुत हो सोच समझकर रखी थी। उसमें मेन मकसद यही था कि काश्तकारों को सस्ता और सुलभ न्याय मिले। इसलिये, सभापति महोदय, आपके मार्फत वित्त मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप काश्तकारों को रिलीफ दें और यह जो क्लाजेज हैं उन्हें विथड्रा कर लें ताकि काश्तकारों को रिलीफ मिले।

तीसरी बात खास तौर से जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है कि कामर्शियल क्राप पर जो आपने सैस लगाया है, मतीरा और तुम्बा पर जो टैक्स लगाया है वह अनुचित है। मतीरा और तुम्बा तो हमारे डेजर्ट एरिया में पैदा होता है। हर साल आप देखते हैं कि डेजर्ट एरिया में अकाल पड़ता है। जब अकाल पड़ता है तब हम लोग मतीरा और तुम्बा दोनों खाते हैं। इनको बाजरे के साथ मिलाकर खाया जाता है। आपने यह वेजीटेबल पर भी टैक्स लगाया, यह अच्छा नहीं किया। वैसे भी आपने कुछ चीजों पर टैक्सेज लगाये हैं पर सेन्ट्रल और प्रोविन्सियल टैक्सेज लगते हैं। फिर आपने इन पर यह अलग टैक्सेज क्यों लगाये? तुम्बा तो वर्षा नहीं होती है तब पैदा होता है और अकाल के समय में इसको बाजरे के साथ खाते हैं। फिर भी आप उन पर टैक्सेज लगा रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दीजिये। उसमें सभी बातों पर अच्छी तरह से विचार कर लिया जायेगा फिर इस बिल को पेश करें तो राज्य सरकार के लिये भी ठीक होगा और काश्तकारों को भी नुकसान नहीं होगा।

श्री सभापति : श्री रघुनन्दन व्यास!

(अनुपस्थित)

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन यह है कि प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये जिन्होंने प्रस्ताव दिये हैं और जो आज गरीब काश्तकारों के लिये क्रोकोडायल टीयर्स बहा रहे हैं उन्होंने खुद ने सत्ता में रहकर टैक्सेज काश्तकारों पर लगाये थे। अनावश्यक में ही सदन का समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह कोई पोईन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री सभापति : श्री रघुनन्दन व्यास।

एक माननीय सदस्य : नहीं हैं, साहब।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री मथुरादास माथुर।

(व्यवधान)

श्री सुखलाल सैणचा : सभापति महोदय, यह माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री सभापति : इनका प्रस्ताव नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर!

श्री मथुरा दास माथुर : सभापति महोदय, अगर माननीय सदस्य बोलना चाहें, माधोसिंह जी तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं बाद में बोल लूंगा।

श्री सभापति : आप ही बोलें। इनका नाम नहीं है मेरे पास।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, राजस्थान वित्त विधेयक 1977, को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत कर देगी–इसके लिये एक अमेन्डमेन्ट पेश किया है। इसमें दो बातें हैं एक तो यह है कि जिस समय यह बिल बना था उसके बाद काफी समय बीत गया है। मैं समझता हूं कि इस बिल की अब कोई सेंक्टिटी नहीं रह गयी है। इसमें चेन्जेज हुए हैं और इसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाया गया है। इसके जो फाइनेन्शियल पर्पेजेज थे वह सारे इस बिल के साथ लेप्स हो गये हैं। ओरीजिनल जो इसका सेस था वह सारा का सारा ही चेन्ज हो गया है। मतलब यह है कि जब इसमें चेन्जेज करने हैं तो जल्दबाजी ठीक नहीं मैं समझता हूं कि इसको सलेक्ट कमेटी में अगर दे देते हैं तो काफी पोइन्ट्स इसमें एड हो सकते हैं जिससे कि जनता का भला हो सकता है। उसमें आपको लोगों के सुझाव सुनने का मौका मिलेगा।

दूसरी बात यह है कि यह बिल है। इसमें आपने जो कोर्ट फीस बढ़ाई है कोमर्शियल क्रोप्स पर, मतीरा तुम्बा वगैरह पर सेस बढ़ाया है वह बेकार बढ़ाया है। कोई नयी बात इसमें नहीं रखी। अखबारों में भी इसे लाया नहीं किया। तो मेरा निवेदन था कि इस प्रकार से आप इस बिल को प्रवर समिति को देते तो मैं समझता हूं कि इसमें अच्छी तरह डिसकशन होता। उसके बाद में जो बिल आता वह कान्क्रीट बिल आता तो ठीक रहता और दिक्कत नहीं होती बाद में। मेरा यही सुझाव है कि वित्त मंत्री जी जल्दबाजी में इसको पारित न करवायें। इसको सलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय ताकि यह सारे इश्यू वहां पर टेकल हो जायेंगे।

श्री सभापति : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय सभापति जी, यह सत्य है कि जो बजट इस सदन में आया था और फाइनेन्स बिल प्रस्तुत हुआ 30 मार्च को उसमें कर

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रस्ताव तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किये थे उनको मूर्तरूप में देने के लिये यह विधेयक सदन में प्रस्तुत है। माननीय वित्त मंत्री जी, आप जानते हैं टैक्सेशन प्रपोजल्स हमेशा सीक्रेट होते हैं और टैक्सेशन प्रपोजल्स पर हाउस में बजट प्रस्तुत होने के बाद में सदस्यों की राय ली जाती है और छूट आदि दी जाती है जैसे कि वित्त मंत्री जी ने अभी पार्लियामेन्ट में करारोपण किया था और उसमें छूट दी थी। बजट में इन्कोर्पोरेटिव टैक्सेशन प्रस्ताव थे, औरों के सम्बन्ध में, सभापति महोदय, कुछ नहीं कहना है इस बिल में जिन एक्ट में जो संशोधन किये गये हैं उनके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण के पैरा नं. 67 में इस प्रकार का उल्लेख किया है "मैं काश्तकारों को एक अन्य राहत देने का प्रस्ताव कर रहा हूं। यह वाणिज्यिक फसलों पर सैस (उप कर) के सम्बन्ध में है। वर्तमान में यह सैस काश्तकार की उस समस्त भूमि पर लगता है जिस पर कि वाणिज्यिक फसल बोई गई हो, भले ही उसमें कुछ भाग काश्तकार ने निजी प्रयोग के लिये रखा हो। अत: काश्तकारों की निजी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि तम्बाखू और पोस्त के बीज को छोड़ कर, प्रत्येक वाणिज्यिक फसल के क्षेत्र में से आधा एकड़ भूमि को सैस से मुक्त कर दिया जाय।" फाइनेन्शियल बिल में राजस्थान कार्मशियल क्राप सेस एक्ट की धारा 3 में हम संशोधन करने जा रहे हैं। धारा 3 में यह भी संशोधन कर रहे हैं जिसका वित्त मंत्री जी ने उल्लेख किया है। 7 क्रोप्स पर है यह। तम्बाकू और पोस्त के बीज छोड़ कर तत्कालीन सरकार ने बाद में निर्णय लिया था और पहले वित्त मंत्री जी ने जो भाषण दिया था उसमें इसलिये फर्क है कि टैक्सेशन प्रपोजल्स सीक्रेट होते हैं। और राज्य मंत्रिमंडल में मैं था, वित्त मंत्री किसी भी मंत्री से, टैक्सेशन प्रपोजल्स पर बात नहीं करते हैं और उनको भी सदन में ही उनकी जानकारी मिलती है, इसलिये इस पर चर्चा नहीं हुई उस समय और बाद में इस पर चर्चा हुई। चर्चा का आधार था, लाखों किसानों ने इस बात की शिकायत की कि इस टैक्स से राज्य सरकार को 30, 40 लाख की रेवेन्यू रिसीट्स होगी और 30, 40 लाख की ग्रेज्युअटी के मिलेंगे, प्रोसीड्स होंगी जब कि इस प्रकार के टैक्स लगाने से पटवारी इसका बेजा फायदा उठायेंगे। वह कितना क्षेत्रफल इन्द्राज करे अपने रिकार्ड में। तत्कालीन सरकार ने यह भी सोचा था कि हरैसमेंट के अलावा इसमें बहुत बड़ा करप्शन का एलीमेन्ट भी है और तीस लाख की रैवेन्यू की आय के लिये किसानों को परेशान नहीं करना चाहिये। मैं यह सोच रहा था कि जब यह बिल आयेगा निश्चित रूप से जो निर्णय तत्कालीन सरकार ने लिये हैं इसमें उसका समावेश होगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो निर्णय काश्तकारों के हित में हैं, जो व्यवहारिक हैं, यह सोच कर कि तीस चालीस लाख की रिकवरी के लिये लाखों किसानों की गिरदावरी होगी, वे मारे मारे फिरेंगे गिरदावरी के लिये, एक प्रकार का हरैसमेन्ट और कई अनियमिततायें इससे होंगी, इसका उल्लेख इसमें नहीं है जिसका मुझे अफसोस है।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि फाइनेन्स बिल को रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट देने का

(श्री परसराम मदेरणा)

रहे हैं तो इस बात पर भी कूलली और कामली निष्पक्ष रूप से विचार कर लीजिये, यह नहीं सोचिये कि विपक्ष ने इसको प्रस्तुत किया है। 1975 में जब बिल आया था तब जानकारी हुई उससे पहले नहीं। 17 जिन्सों पर टैक्स लग रहा था। मैंने कहा कि गलती कर रहे हैं। फिर 7 पर ही लगा और सोचा यह था कि 2 करोड़ के आस पास आमदनी होगी। लेकिन दो करोड़ की आमदनी न होकर 30–40 लाख के आस पास रैवेन्यू हो रही है राज्य के कोष को। तत्कालीन राज्य सरकार का यह अनुभव रहा है इसके साथ हरेसमेन्ट और करप्शन का प्रश्न जुड़ गया है इसलिये सिवाय दो कामर्शियल क्रोप्स के जिनका क्षेत्रफल थोड़ा है, तम्बाकू और पोस्त के बीज का, उनको छोड़कर जो और फसलें हैं उन पर उपकर समाप्त कर देना चाहिये। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करने के लिये थोड़ा समय दें। षष्टम् विधान सभा का यह प्रथम अधिवेशन है, मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि जनता पार्टी ने डेमोक्रेसी स्थापित करने की ओर बहुत गौरव की बातें कही हैं, इसलिये जल्दी किसी बिल को आप हस्तगत नहीं करें। और प्रवर समिति में विचार करके तत्कालीन सरकार ने निर्णय किए हैं यदि वे उचित नहीं हैं तो उनको केंसिल कर दीजिये लेकिन सभी आस्पेक्ट्स पर विचार करना चाहिये। इसलिये मेरा सुझाव है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करना न्यायोचित होगा।

मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।

श्री सभापति : श्री माधोसिंह।

श्री माधोसिंह (सोजत) : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे। इस बिल पर पुनः विचार करे और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करें क्योंकि हम जब गांवों में गये थे आम चुनाव के वक्त तो जनता पार्टी की यह घोषणा थी कि हम किसानों की ओर ज्यादा ध्यान देंगे और व्यापारी की ओर कम। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बिल के द्वारा किसानों पर कम ध्यान दे रहे हैं और व्यापारी पर अधिक। व्यापारियों को तो 50 हजार की छूट दे रहे हैं और किसान की फसल पर टैक्स लगा रहे हैं। जो आदमी कपास बोता था वह यह कोशिश करेगा कि मैं कम से कम बोऊं। उससे पैदावार और राज्य की इनकम को नुकसान होगा। राज्य सरकार इस पर फिर से विचार करे और गहराई से सोचे कि किसान पर टैक्स लगाना पैदावार को बढ़ाने के लिये क्या फायदेमन्द होगा या पटवारी का घर भरने और किसान के हरेसमेन्ट के लिये यह होगा?

श्री सभापति : श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण (बिलाड़ा) : माननीय सभापति जी, इस बिल को प्रवर समिति को दिया जाये क्योंकि आप टैक्स लगाते जा रहे हैं उन पर। उसमें विचार किया जा सकेगा कि यह उचित है या नहीं। कपास, गन्ना, मूंगफली और सरसों किस हिसाब से पैदा

(श्री रामनारायण)

होती है और किस क्षेत्र में कितनी पैदा होती है यह तो वही जान सकता है जो कि किसान है। केवल सरकारी अधिकारियों के आधार पर आंकड़े इकट्ठे करके इस कर को लगाना न्यायोचित नहीं है। मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि जनता सरकार जनता से यह वायदा करके आई थी कि किसानों पर नाजायज कर नहीं लगाये जायेंगे लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जनता पार्टी के सदस्य अपने वायदों को, जो वह जनता को देकर आये थे, भूल गये और अब किसानों के ऊपर कुठाराघात करने जा रहे हैं। माननीय सदस्य कह रहे थे कि इन्दिरा गांधी ने इमर्जेन्सी लगाई तो कांग्रेसियों ने उसका समर्थन किया चाहे न्यायोचित ही नहीं थी, मगर मैं अब जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से कहता हूं कि जो आप वायदा करके आये थे कि हम किसानों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करेंगे तो मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या कर जायज है? मैं समझता हूं कि जनता की आवाज को आप समझेंगे। जो नाजायज फायदा उठाने वाले पटवारी वर्ग और सरकारी कर्मचारी है जो आज तक जनता पर कुठाराघात करते आये हैं, फिर उनकी बात मानकर आप भ्रष्टाचार को पनपाना चाहते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी हमेशा यह ख्याल रखें कि जो जनता आपको चुनकर भेजती है उस जनता में इसके लिए बड़ा भारी असन्तोष फैल जायगा। मैं यह भी कह देता हूं कि मूंगफली बड़ी मुश्किल से पैदा की जाती है इसलिये, माननीय मंत्री जी, यह भी आवश्यक है कि इस बिल

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

को पारित करने से पहले जनमत जानने के लिए इसे परिचालित किया जाये या इसे प्रवर समिति को भेजा जाये ताकि वहां विचार हो जाये कि यह कर लगें या नहीं लगें। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।

श्री सभापति : मेरे पास एक नाम और आया है। समय कम है और काम ज्यादा है इसलिए मुझे अफसोस है कि मैं समय नहीं दे सकूंगा।

श्री रतनाराम (रानीवाड़ा) : सभापति महोदय, ...

श्री सभापति : आपका नाम नहीं है। समय होता तो मैं जरूर इजाजत दे देता। जो माननीय सदस्य एक बार बोल चुके हैं वे दुबारा नहीं बोलें।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : दो मिनट ही बोलूंगा।

श्री सभापति : एक बार आप बोल चुके हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : दो मिनट ही चाहता हूं।

श्री सभापति : यह नहीं होगा।

श्री रतनाराम : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज सरसों कपास, मूंगफली और मिर्च पर टैक्स लगाने जा रहे हैं उससे काश्तकारों के ऊपर बड़ा

Page No 72

(72)

(श्री रतनाराम)

भारी बोझा पड़ जायेगा। काश्तकार की कमर पहले ही कमजोर तो है ही आप और टैक्स लगा रहे हैं जिससे काश्तकारों में बड़ा भारी असन्तोष फैलेगा। जनता पार्टी ने वायदा किया था कि हम काश्तकारों को ऊंचा उठाने के लिए काम करेंगे लेकिन मुझे बड़ा दुःख हुआ कि जनता पार्टी पहले ही सत्र में काश्तकारों पर बोझ डाल रही है। इसका मुझे.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बड़ा दुःख है। आप जनता के प्रतिनिधि हैं इसलिये काश्तकारों के ऊपर नाजायज टैक्स नहीं लगायें। यही मेरी प्रार्थना है।

श्री माधोसिंह (रैवदर) : माननीय सभापति महोदय, मुझे अध्यक्ष महोदय ने वायदा किया था कि मैं आपको समय दूंगा पांच मिनट का। मेरा निवेदन है कि मुझे पांच मिनट का समय दिया जाये।

श्री सभापति : समय नहीं है। मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहता हूं।

श्री माधोसिंह : मुझे अध्यक्ष महोदय ने वायदा किया था।

श्री सभापति : पुरानी बात है उसको नया किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि आप बिराजिये।

(व्यवधान)

किसी को इजाजत नहीं दी जायेगी।

श्री माधोसिंह : वायदा किया था और मैं कुछ फैक्ट्स एण्ड फिगर्स देना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, रैवदर से आने वाले माननीय सदस्य ने आज प्रातःकाल क्वेश्चन आवर के बाद जब आर्डर आफ बिजनेस चेन्ज किया तब माननीय अध्यक्ष महोदय को यह विनम्र निवेदन किया था कि मुझे समय दिया जाये। इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनको समय दिया जाये। केवल एक के लिए कहा था जो रैवदर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उनके लिए कहा था। अगर यह तथ्य सही है तो माननीय सदस्य को पांच मिनट का समय दे दिया जाये।

श्री सभापति : ऐसा है कि अभी तो और भी स्टेज है उस समय आप बोल सकते हैं। अभी समय नहीं है इसलिए निवेदन कर रहा हूं।

प्रभारी मन्त्री जी !

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मन्त्री) : सभापति महोदय, राजस्थान वित्त विधेयक, 1977, जो विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, पर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं समझता हूं कि लगभग सभी माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है। वह ऐसा मानते हैं कि जैसे कि सरकार कोई नया टैक्स नहीं लगा रही है। पर मैं आपको यह विश्वास दिलाऊं कि सरकार कोई नया टैक्स नहीं लगा रही है। जहां तक वाणिज्यिक फसलों के ऊपर उप-कर का सम्बन्ध है यह उप-कर 1975 से चालू है और अभी तक निरन्तर लिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आधा एकड़, जो निजी उपयोग में आ सकती है, को कुछ फसलों के लिए उप-कर मुक्त किया गया है। केवल दो

(श्री ग्रादित्येन्द्र)

कार्माशयल क्राप्स तम्बाकू ग्रौर पोस्त के बीज ऐसे हैं जो उप-कर मुक्त नहीं होगे। बाकी की जो पांच दूसरी फसलें है व्यापारिक जैसे मिर्च, गन्ना, मूंगफली इत्यादि उन पर यह रियायतें दी जा रही है कि ग्राधा एकड़ जमीन में जो भी वह पैदा करेंगे, जो उनके निजी उपयोग में ग्रायेगी उसको उप-कर मुक्त किया जायेगा वैसे यह ठीक है, मैं भी मानता हूं कि टैक्स काफी हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह कौन जांच करेगा कि निजी उपयोग में ग्रा रही है ?

श्री सभापति : बोलने दीजिए।

श्री ग्रादित्येन्द्र : मैं मानता हूं कि टैक्स जनता के ऊपर काफी भार डालते हैं ग्रौर टैक्स लगाना उचित भी नहीं है परन्तु जो बजट 30 मार्च को भूतपूर्व सरकार ने पेश किया था उसमें कई करोड़ का घाटा दिखाया था। बाद में वित्त मन्त्री महोदय ने जो भाषण दिया उसमें लगभग 11 करोड़ रुपये के ग्रौर भी ऐसे खर्च लगा दिये जिनसे बजट में ग्रौर भी ज्यादा घाटा हो गया। इसको जब कैलकुलेट किया गया तो बजट में घाटा मौजूदा हालत में 56 करोड़ से कम नहीं होगा। इधर प्रोहीबीशन की पालिसी के सम्बन्ध में बड़ी भारी चर्चा है। सन् 1967 में सब से पहले शराबबन्दी की काफी चर्चा चली। इसी ग्रसेम्बली के प्लेटफार्म से चीफ मिनिस्टर ने उस समय एलान किया था कि ग्रगले चार-पांच सालों में पूर्ण शराबबन्दी लागू कर दी जायेगी। बाद में उसको वापस लेना पड़ा। जो भी गवर्नमेंट बाद में ग्राई उसने पहले इस सम्बन्ध में वचन दिया कि शराबबन्दी यहां पर लागू होगी। जैसा कि राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण में ग्रापको बताया गया, उससे साफ है कि वर्तमान सरकार का उद्देश्य राजस्थान में पूर्ण शराबबन्दी लागू करने का है। इस पर भी सरकार विचार कर रही है। ग्रगर इस मामले को लेते हैं तो बजट में घाटा ग्रौर भी होगा...

एक माननीय सदस्य : कोई परवाह नहीं।

श्री ग्रादित्येन्द्र : इस वक्त 28 करोड़ ग्रामदनी की ग्राशा है ग्रौर 6 करोड़ बिक्री कर ग्रौर ग्रतिरिक्त होगा। इस तरह से इस वर्ष के बजट में 34 करोड़ का घाटा होता है यदि हम शराबबन्दी करते हैं तो। उधर हम यह कहते रहें कि किसी पर टैक्स नहीं लगाया जाये लेकिन विकास के कार्य चलते रहें तो ग्राप ही सोचिये यह कैसे सम्भव होगा। बजट जो पेश किया गया था मार्च में, उसमें जो ग्रायोजना में खर्चा रखा गया था, पांच वर्ष का जो प्लानिंग था, उसमें 168 करोड़ रुपये रखे गये थे। तो ग्रगर हम हर जगह पर यह सोचेंगे कि कहीं पर भी टैक्स न लगे तो प्लानिंग कैसे होगा ? वैसे मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई नया टैक्स नहीं लगेगा केवल जो कुछ पहले से चल रहा है उसी में थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ संशोधन किया जायेगा। यहां तक कि कोर्ट फीस ग्रौर दूसरे जो संशोधन किये गये हैं उनमें तो केवल इतना ही है कि जो कुछ भी स्टाम्प वगैरह ग्राते हैं ग्रौर जो हम काम में

(श्री आदित्येन्द्र)

लाते हैं उनमें कभी कभी लोगों को, किसानों को बड़ी कठिनाई होती है और कभी कभी उसमें भ्रष्टाचार भी होता है। मान लिया एक स्टाम्प लिया 25 पैसे का या 50 पैसे का और अगर हमारे पास उसके लिये चेन्ज नहीं है तो कभी कभी हमें 25, 50 पैसे के बजाय एक रुपया भी देना पड़ता है। यहां पर जो संशोधन किया गया है उससे ज्यादा कोई फर्क भी नहीं आता है केवल सुविधा के लिये है। दूसरे, जो हमें स्टाम्प मिलते हैं काफी कम संख्या में मिलते हैं। इन तमाम कारणों से यह किया गया है। मैं सभी माननीय सदस्यों से चाहे वे हां पक्ष के हों या ना पक्ष के हों, यही अपील करना चाहता हूं कि यदि हमें विकास के कार्यों को चालू रखना है और राजस्थान को समृद्धशाली बनाना है तो कुछ तो हमें टैक्स लगाने ही होंगे....

श्री मूलचंद डागा : मालदारों से लीजिये।

श्री आदित्येन्द्र : मालदारों से लेने का सवाल है और जो आपका सुझाव है यह तो ठीक है लेकिन यह बात आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि बजट अभी महीने—सवा महीने के बाद आने वाला है। बजट में इन बातों पर काफी विचार होगा। इस बीच में जो टैक्स पहले से चल रहे हैं यदि इस में कोई व्यवधान पड़ता है तो इसमें और भी कमी होने की सम्भावना है। मैं इस संबंध में और ज्यादा कुछ नहीं कह कर इतना ही फिर कहूंगा कि इस पर आप अच्छी तरह से विचार करें। यह मैं मानता हूं कि सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत हैं कि कोई भी नया टैक्स न लगाया जाये। मैंने भी आपके सामने कहा कि कोई भी नया टैक्स नही लगाया जायेगा। केवल वही टैक्स हैं जो पहले से हैं जैसे कामर्शियल क्राप्स पर उप कर का सवाल है वह सन् 1975 से चालू है, दो साल हो गये। दो साल से चल रहा है। इसमें जो कुछ भी है आज हम सोच रहे हैं उसमें उनको कुछ राहत मिले।

उधर के आपके एक माननीय सदस्य ने कहा कि 30 हजार का जो टर्न ओवर है एक व्यापारी का, उस 30 हजार के टर्न ओवर को 50 हजार में परिवर्तित कर रहे हैं, इससे व्यापारियों को लाभ होगा। यह जो 30 हजार का टर्न ओवर है या 50 हजार तक का है वह गरीब के लिये टर्न ओवर है। वे व्यापारी समृद्धशाली व्यापारी जैसे नहीं हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। यह तो एक साधारण चीज है। दूसरी तरफ यह भी है कि 30 हजार रुपये रखे गये थे आज से कई साल पहले। आज 5—6 साल की अवधि में कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि जो सामान 30 हजार रुपये से खरीदा जा सकता था यदि उसकी कीमत 30 हजार थी तो अब उसकी कीमत 50 हजार हो गई है। इस लिये इस सम्बन्ध में कोई खास रियायत नहीं है लेकिन जो गरीब व्यापारी हैं इससे उनको कुछ राहत मिलेगी।

इसके अलावा तूम्बा और मतीरा के बीज का सवाल है। यह ठीक है कि अदालत का ऐसा फैसला हुआ है कि तूम्बा और मतीरा के बीज वेजीटेबिल सीड में नहीं आते हैं या अलग हैं, कृषि मे आते हैं इसलिये इनको भी उप कर मुक्त किया जाय। लेकिन मैं इसके लिये निवेदन करूं दोनों ही बीज तूम्बा और

(श्री आदित्येन्द्र)

मतीरा, जो खाद्य चीजें हैं, कई वर्षों से साबुन बनाने में काम आते हैं और इनसे बड़े बड़े व्यापारी फायदा उठाते हैं। तूम्बा पर कोई टैक्स नहीं है और मतीरा पर भी कोई टैक्स नहीं है लेकिन जहां तक बीजों का सवाल है उन पर जरूर टैक्स कायदे से लगाना उचित ही है। फिर भी इस पर आप विचार करें, यदि यह खाद्य सामग्री है और गरीबों के भोजन में आती है तो इस प विचार किया जा सकता है। लेकिन जहां तक सवाल कामशियल क्राप का है, मैं समझता हूं अगर उन पर हम बिना विचार किये हुये उनको अगर कर मुक्त कर देते हैं तो उससे वित्त पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ेगा जैसे मुझे बताया गया है शायद 70–80 लाख का असर पड़ता है...

श्री प्रद्युम्नसिंह : 30 लाख का है। आप पुनः पूछ लीजिये। मैं माफी चाहता हूं।

श्री आदित्येन्द्र : मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं खाली भावुकता में आप बात न करें, इसकी वास्तविकता को आप देखें कि वास्तविकता क्या है। यदि हम आगे भी इस चीज का विरोध करते रहे और दूसरी तरफ व्यय का भार बढ़ाते रहे तो बजट सन्तुलित नहीं हो सकता है। आज हर जगह यह डिमान्ड है, गांव गांव में स्कूल खोलने चाहिये, गांव गांव में डिस्पेन्सरी खोलनी चाहिये और दूसरे जनहित के काम होने चाहिये। उनमें खर्च होता है। दूसरी तरफ बिजली के टैक्स के बारे में सिंचाई के टैक्स के बारे में भी इसी तरह की मांग है कि इनको भी कम किया जाय। यह ठीक है कि कम होने चाहिये लेकिन कास्ट आफ प्रोडक्शन काफी है। अगर सब्सिडी देते जायं हर तरफ तो इससे व्यय बढ़ता जायगा और आमदनी घटती जायगी। इन तमाम चीजों पर भी हमें विचार करना है।

मैं इस समय इस स्टेज पर तो इतना ही कहना चाहता हूं और आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस चीज की वास्तविकता को पहचान कर हमें अपने राजस्थान के विकास कार्यों के लिये जो कुछ खर्च करना है, चाहे विकास कार्य किसी भी प्रकार के हों, चाहे शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाला हो या चाहे सिंचाई से, सड़क से, बिजली से सम्बन्ध रखने वाला हो, वे सभी ऐसे हैं कि विकास कार्य तभी हो सकते हैं जब कि सरकार के पास पैसा हो। इसलिए सरकार इस बात को अच्छी तरह से देखे कि वह पैसा कहां से आ सकता है। यह मैं जरूर स्वीकार करता हूं, मानता हूं कि जहां तक हो सके जो गरीब हैं, उनको कर मुक्त किया जाय या जो भी कर वे दे रहे हैं, उसको कम किया जाय और जो सम्पन्न वर्ग है, उन पर जो कुछ भी कर है, उसको बढ़ाया जाय।

अब प्रश्न यह आता है जैसे बिजली की दरों के बारे में यह प्रश्न उठता है कि ये दरें सब के लिये एक सी हों। गरीब से भी वही रेट ली जाय और जो सम्पन्न लोग हैं उन से भी वही रेट ली जाय। लेकिन यहां पर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास केवल 10 बीघा या 15 बीघा जमीन है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास 50 बीघा, 100 बीघा जमीन है और वह भी सिंचित। अगर वे ज्यादा पैदा करते हैं तो जो गरीब किसान हैं और उनमें कोई न कोई अन्तर

Page No 76

(76)

(श्री आदित्येन्द्र)

होना चाहिये । अगर अन्तर नहीं होता है तो भी हम पूरी तौर से न्याय नहीं करते हैं । तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुये जो कुछ भी आपके प्रस्ताव और सुझाव होंगे, यह ठीक है उन पर विचार भी किया जायगा लेकिन जिस तरह से अभी तक विचार व्यक्त किये हैं, माननीय सदस्यों ने जैसा कहा है उससे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जो कुछ भी वित्त विधेयक है उसको सभी को समाप्त कर दिया जाय । सभी नये टैक्स हैं। तो मैं इतना कहकर ही समाप्त करता हूं और बाद में जब संशोधन आयेंगे और संशोधन पर विचार होगा तब मैं फिर अपने विचार आपके सामने रखूंगा।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1977 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक 1977 को प्रवर समिति को निविष्ट करने के जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अब इस पर खण्ड-वार विचार होगा ।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड 2 में कोई संशोधन नहीं है इसलिये इसको स्वीकार किया जाना चाहिए।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया ।

अब इसके बाद खण्ड 3 में माननीय बंशीलालजी सारस्वत का एक संशोधन है।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने पूर्व की सरकार के बजट की पुनरावृत्ति करते हुये यह मतीरा और तूम्बा के बीज पर जो कि अपवाद रखा हुआ है उसको डिलीट करने का जो संशोधन रखा है उस सम्बन्ध में जो शंकाएं और जो हालात थे उस सम्बन्ध में हमने विचार किया और यह जो तूम्बा और मतीरे का बीज है यह प्राय: राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में और रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है और अकाल के समय इसका संचय किया जाता है। ऐसी स्थिति में जो इसका संचय होता है और जो बिक्री कर में इसको सम्मिलित किया गया है, ऐसा करने से सामान्य काश्तकार वर्ग के सामने दिक्कत आयेगी । उदर निर्वाह के लिए गरीब मजदूर और किसान वर्ग इसका संचय करता है या अकाल के समय गावों के अन्दर उदर निर्वाह के समय काम में लेता है, उस आधार पर मैंने संशोधन

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

रखने का निवेदन किया था। मगर मौजूदा स्थिति में मेरी शंका यही थी कि यह बजट का स्थायी रूप नहीं ले ले और आगे के लिए भी न हो। इस दृष्टिकोण से मैंने इसको रखा था। मगर अब जो बातचीत हुई उस दौरान में हमें कुछ विश्वास दिलाया गया है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को वापस लेता हूं और इसकी स्वीकृति चाहता हूं। ऐसी स्थिति में मैं मूव नहीं करता।

श्री सभापति : माननीय बंशीलालजी ने मूव नहीं किया है इसलिए खण्ड 3 को स्वीकार किया जाय।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

अब इसके बाद खण्ड 4। श्री बंशीलाल जी सारस्वत।

श्री बंशीलाल सारस्वत : जो मेरे संशोधन हैं उन तमाम के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि कमजोर वर्ग और गरीब काश्तकारों की हालत को दृष्टिगत रखते हुए मैंने उन्हें मूव करने का विचार किया था। इस आधार पर ये तमाम संशोधन मैंने पेश किए थे कि ये कर स्थायी बजट के अंग न हो जाएं, मगर मौजूदा हालत में हमें जो विश्वास दिलाया गया है अब उस विश्वास के मिलने के आधार पर मैं तमाम संशोधन मूव नहीं करना चाहता।

श्री सभापति : खण्ड 4 से 7 तक ले लें क्योंकि माननीय सारस्वत अपने संशोधनों को मूव नहीं करना चाहते।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 से 7 तक स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 से 7 तक स्वीकृत किए गए।

अब इसका खण्ड 8 आता है। इसमें श्री करतारसिंह जी का संशोधन है।

(अनुपस्थित)

श्री रामरघुनाथ।

श्री रामरघुनाथ : सभापति महोदय, खण्ड 8 में मेरे दो संशोधन हैं। मान्यवर, मैंने अपनी इच्छा जाहिर की है इसमें कि किसानों की दिक्कतों को देखते हुए राज्य सरकार ने जो आधा एकड़ जमीन को छोड़ कर बाकी जमीन पर 9 रुपया सेस लगाने का निर्णय लिया है; जिसको पास करने जा रहे हैं उसमें, माननीय सभापति, मेरा संशोधन है कि जो अलग अलग क्राप्स हैं उनका अलग अलग महत्व है। उस हिसाब से इनको एक ही श्रेणी में नहीं लिया जाय। शुगरकेन और विलीज आम आदमी पैदा करता है लेकिन थोड़ी करता है और दूसरी चीजें, काटन, मस्टर्ड और ग्राउण्डनट काफी मात्रा में, सिर्फ आमदनी और खर्च को देखकर काफी पैदा की जाती हैं। साधारणतया कोई भी गरीब से गरीब किसान होगा वह भी चाहेगा कि चार-पांच एकड़ में पैदा करे जिससे कुछ आमदनी उसको हो सके। उसके सम्बन्ध में मैंने संशोधन मूव किया है जो आपके सामने पेश कर रहा हूं।

(श्री राम रघुनाथ)

In the new proviso sought to be added in section 3 of the Rajasthan Commercial Crops Cess Act, 1975 (Rajasthan Act 9 of 1975), substitute the following words for the words "not exceeding half an acre.... or mustard seed" :—

"not exceeding five acres under each of the commercial crops of sugarcane and chillies and ten acres under cotton, groundnut mustard seed."

मैंने यह अपना संशोधन जो इसमें मूव किया है उसे स्वीकार करें।

दूसरा संशोधन भी साथ ही बोल दूं।

श्री सभापति : हां।

श्री रामरघुनाथ : माननीय सभापति महोदय, मैंने इसमें पहले यह दिया था कि इसमें शुगरकेन और चिलीज के लिए पांच एकड़ तक लिया जाय। दूसरा मेरा संशोधन यह है कि काटन, ग्राउण्डनट और सरसों, इन पर कर देने के बाद 9 रुपया सैस जो लगा रहे हैं इसको 9 रुपये की जगह कम कर 2 रुपये कर दिया जाय। मैंने, सभापति महोदय, यह संशोधन मूव किया है :

The existing provision of the clause be numbered as sub-clause (2) and the following new sub-clause (1) be added to this clause--

In sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Commercial Crops Cess Act, 1975 (Rajasthan Act 9 of 1975) substitute the words "two" for the word "nine."

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री गंगाराम चौधरी।

श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ा) : सभापति महोदय, मेरा भी एक संशोधन खण्ड 3 में है। इस संशोधन का उद्देश्य है कि

(व्यवधान)

खण्ड 8 में है, I am sorry।

संशोधन इस प्रकार है:—

In the proviso sought to be added to sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Commercial Cropscess Act, 1975 (Rajasthan Act 9 of 1975) after the words "mustard seed and before the punctuation mark full stop'.' occurring at the end the following words be added; namely:—

"but no such cess shall leviable on these Commercial Crops for a period of five years commencing from first April, 1977."

इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि पांच वर्ष के लिए इन पांच वस्तुओं पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाय। सभापति महोदय, इन सैसेज को लगाने का आरम्भ में उद्देश्य यह था कि सन् 74 के अकाल में खाद्यान्नों की विशेष तौर से कमी

(श्री गंगाराम चौधरी)

रही। उस वक्त सरकार ने यह सोचा था कि किसानों को अनाज ज्यादा उगाने के लिए, ज्यादा पैदा करने के लिए उकसाया जाय और कामर्शियल क्रोप्स जो हैं उनको वह कम बोये। इसके लिए उस वक्त की सरकार ने इस प्रकार का टैक्स लगाया। अब हालात बदल गये हैं। आजकल के हालातों के हिसाब से देखा जाय तो यह जो पांच कामर्शियल क्रोप्स, खास तौर से कर्मेसियल कमोडिटीज हैं, यह आम गरीब लोगों की जरूरत की चीजें हैं, आजकल के भावों को देखते हुए, आज कल इनकी बाजार में जो अवेलेबिलिटी है उसमें अब ये चीजें मंहगी हैं, कम उपलब्ध हैं इसलिए इस वक्त में इन पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि इन पांच वस्तुओं का पांच वर्ष तक यह जायजा लिया जावे कि इनकी उपलब्धि और इनके भाव किस प्रकार के होते हैं। इसलिए इन पर किसी प्रकार का सेस पांच वर्ष तक नहीं लिया जाय। यही मेरा संशोधन है। मैं समझता हूं कि सरकार इस पर अवश्य विचार करेगी और माननीय वित्त मंत्रीजी भी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति : श्री परसराम मदेरणा।

(अनुपस्थित)

श्री मथुरादास माथुर।

(विराम)

श्री खेतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रासिंह।

(विराम)

श्री रणजीतसिंह राठौड़।

(अनुपस्थित)

श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर : मैं प्रेस नहीं करना चाहती।

श्री सभापति : श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : सभापति महोदय....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अब बस करो।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपकी आज्ञा तो हमेशा ही मानता हूं। आप सुनिये।

सभापति महोदय, मैंने संशोधन प्रस्ताव जो यहां मूव किया है उसका अभिप्राय यह है कि कामर्शियल क्रोप पर आपने उपकर लगाया है उसको विथड्रा कर लिया जाय। श्रीमान्, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता गंगारामजी ने कहा कि पूर्व सरकार की मंशा यह थी कि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़े इसलिए काश्तकारों को चाहिये कि खाद्यान्नों का उत्पादन करने की ओर ध्यान अधिक दें और जो

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

कामर्शियल क्राप्स का उत्पादन है उसकी ओर कम ध्यान दें। यह टैक्स लगाने की मंशा थी। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। मेरा निवेदन है कि मैं इन करों को ग्रामीण अर्थ व्यवस्था से जोड़ना चाहता हूँ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से इसलिए जोड़ना चाहता हूं कि पिछले चार सालों के अन्दर बाजार में दरों में जो इजाफा हुआ है चाहे पेस्टीसाइड की कीमत में इजाफा हुआ हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए यह मेरा निवेदन है कि मजदूरों की न्यूनतम दर में भी निश्चित तौर से इजाफा हुआ है। परन्तु आज की तारीख में, आज के वक्त के अन्दर काश्तकारी कोई मुनाफे का सौदा नहीं रह गया है। काश्तकारों को काफी खर्च करना पड़ता है। उनको काफी मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर इस तरह की फसल में मुश्किल से वे कुछ बचा पाते हैं और वे अपना जीवन यापन कर पाते हैं। श्रीमन्, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि 50, 40 लाख रुपयों के पीछे आप काश्तकारों की कठिनाई बढ़ाने जा रहे हैं। आप उनको पटवारी की मर्जी पर छोड़ रहे हैं। इसमें भ्रष्टाचार की भी गुंजाइश है। दस एकड़ में सरसों की फसल की और जिम्मवार गिरदावरी में 6 एकड़ ही लिखवाई। वित्त मंत्री महोदय आप भरतपुर के रहने वाले हैं। आपके जिले के अन्दर सबसे ज्यादा सरसों की पैदावार होती है। पिछले दो साल से वहां का क्या हाल है? चेपे के रोग से फसल बरबाद हो गई। आज सरसों का क्या दाम है। आज सरसों के दाम हैं 160 रुपये के 40 किलो। चार रुपये किलो आज सरसों बिक रही है। इसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं। वैसे ही इसका उत्पादन मंहगा हो रहा है। खाद्य तेलों की कमी है। तेल की मंहगाई के अन्दर आप राहत देना चाहते हैं तो सरसों और जो अन्य कामर्शियल क्राप्स हैं, उन पर आप टैक्स न लगावें। इसमें आपको छूट देनी पड़ेगी।

मैं बेरोजगारी की समस्या को भी इससे जोड़ना चाहता हूं। बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में न बढ़े, इसके बारे में जनता पार्टी ने कहा है, हम गांवों के अन्दर उन साधनों और सुख-सुविधाओं को पहुंचावें ताकि ग्रामों में शहरों की ओर भागने की जो होड़ पैदा हो रही है, वह न हो। इसको हमें रोकना है। इससे खेती के अन्दर लाभ नहीं मिलेगा। वह आर्थिक दृष्टि से अलाभकर हो जाएगी और जो गांव में रहने वाले हैं उनको रोजगार के लिए शहर में आना पड़ेगा। इसलिये मैं इस मामले में ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आखिर में बिल का जो स्वरूप होगा, उस पर मैं अपनी बात कहूंगा। यहां पर मुख्य मंत्री जो विराजमान हैं, मैं यह निवेदन करूंगा, 40 लाख रुपये के लिये आप यह टैक्स न लगावें। आप 100 करोड़ रुपये सेल्स टैक्स से कमा रहे हैं। और हर साल 10 प्रतिशत की इन्क्रीज सेल्स टैक्स में होती जा रही है।

जो कुछ भी सेल्स टैक्स के महकमे में कमजोरी है, उसको इफैक्टिव बना कर अगर आप सेल्स टैक्स की वसूली करें तो आपकी आमदनी सेल्स टैक्स से काफी बढ़ सकती है। आपको सिर्फ 40–50 लाख रुपया मिल रहा है। यह कोई बड़ा टैक्स नहीं है, बड़ी आय नहीं है जिसको माफ करने से, जिसको समाप्त करने से आपको कोई बड़ा घाटा होने वाला है। मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

करूंगा कि काश्तकारों के हित को देखते हुए, काश्तकारों की असुविधा को देखते हुए जो वाणिज्यिक फसलों पर, सरसों, रुई, मिर्ची इत्यादि पर टैक्स हैं, उसको पांच साल के लिए स्थगित कर दीजिये। इस बरसात के अन्दर मिर्चों की फसल की क्या पैदावार होगी। इसकी जिम्मवार गिरदावरी हो गई होगी। किसी ने 4–5 बीघा में बोई होगी। पिछले साल भी इसका सत्यानाश हो गया था। दो आना फसल हो पायी थी। सरसों में भी घाटा हुआ। काश्तकारों को नुकसान हुआ। मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि इस टैक्स से उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आज तेल की देश को आवश्यकता है। इससे सरसों के उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में आप सुधार लाना चाहते हैं इसलिये विशेष कर मेरा निवेदन है कि जनता पार्टी का यह नया तोहफा आप काश्तकारों को न दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो आपका ही बनाया हुआ है। हमारा नहीं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप इसको सुधार लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज तक इसको वसूल करते आये हैं हम क्या तोहफा किसानों को देने वाले हैं, यह हमारे बजट में देखना।

श्री प्रद्युम्नसिंह : पहले इसको माफ कर के शुरुआत कीजिये।

श्री सभापति : श्री गंगाराम चौधरी का अलग से संशोधन है। बोलेंगे? (विराम) नहीं।

प्रभारी मंत्री जी। इसका जवाब दें।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : सभापति महोदय, मेरा भी संशोधन प्रस्ताव था। मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में गया हुआ था, वहां से सीधा ही आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय ने मुझे आने की अनुमति नहीं दी इसलिए मैं संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सका। मेरा जो संशोधन क्लाज 3 में है उस पर माननीय सदस्य बोल चुके हैं, यह जो वाणिज्यिक उप कर है इसकी वसूली 5 साल के लिए स्थगित कर दी जावे जैसा कि मेरे से पूर्व माननीय सदस्य विचार व्यक्त कर रहे थे। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मुख्य मंत्री सदन में पधारे हैं। वे चीफ मिनिस्टर कान्फ्रेन्स को अटेन्ड करने जा रहे हैं, जहां पर आवश्यक वस्तुओं के भावों के सम्बन्ध में चर्चा होने वाली है। राजस्थान, खाद्यान्न के मामले में, अगर अच्छी फसल हो तो, सरप्लस स्टेट है लेकिन ऐडीबल आयल, ग्राउन्ड नट के बारे में यह डेफिसिट स्टेट है। इसके साथ साथ जो दूसरी वाणिज्यिक फसलें हैं, यह ऐसी क्राप हैं कि जब काश्तकार खेत पर जाता है तो वह अनुमान लगाता है कि 7 हजार की आमदनी होगी लेकिन जब कोल्ड वेव आती है तो उसके बाद उसको 500 रुपये की आमदनी नहीं होती है। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि यहां पर, देश में खाद्य तेलों की कमी है। आयल सीड्स के बारे में देश आत्मनिर्भर नहीं है और इसीलिये भारत सरकार इम्पोर्टेड आयल मंगवा रही है। यह इम्पोर्टेड आयल इसी-लिए मंगवा रही है कि जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुरूप यहां उत्पादन नहीं होता है। इसलिए उत्पादन में लगातार बढ़ो-

(श्री परसराम मदेरणा)

सरी हो और किसानों के इन्सेन्टिव में किसी प्रकार की कमी न हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि जो वाणिज्यिक उप-कर प्रारंभ में लगाया गया तो यह अनुमान लगाया था कि इससे बहुत बड़ी रेवेन्यू प्रोसीड्स होंगी लेकिन यह 30-40 लाख के आसपास ही रही। इसके अलावा जिन्सवार गिरदावरी में किसानों का हरैसमेन्ट हुआ है। यह बात माननीय सदस्य पहले भी निवेदन कर चुके है। इन सबको देखते हुए तत्कालीन सरकार ने यह सोचा था कि इस उप कर के लगाने से राजस्थान की रेवेन्यू नहीं बढ़ी है और खास तौर से किसानों को परेशानी में डालने की बात है। राज्य के कोष में आय नहीं हुई है। भारत सरकार ने जो स्ट्रेटेजी अपनायी है, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनने के लिए, उसमें पहला तो यह है कि इम्पोर्टेड आयल मंगवाया जावे जब तक कि उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त न कर लें। हम इम्पोर्ट पर जिन्दा नहीं रह सकते इसलिए हमें आयल सीड्स के उत्पादन के बारे में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा।

आज ग्राउन्ड नट के बारे में भी चर्चा हो रही थी। इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। कुछ इलाकों के अंदर जहां पर कि ग्राउन्ड नट कभी पैदा नहीं होती थी, पिछले तीन वर्षों से वहां पर पैदा होना शुरू हो गई है। हम इसकी खेती को बढाना चाहते हैं। इसके क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहते हैं। तो प्रारंभ में ही इस प्रकार का टैक्स लगा दिया तो इससे उत्पादन पर विपरीत असर पड़ेगा। किसानों का इनिशिएटिव समाप्त हो जायेगा। मेरा निवेदन है कि इस आयल सीड्स में हम जब तक सेल्फ सफीशियेन्ट नहीं हो जाते हैं, 5 वर्ष के लिए इन आयल सीड्स को इस टैक्स से मुक्त रखना चाहिये। सरकार इस प्रकार की नीति नहीं अपनाती है तो भारत सरकार ने, जैसा कि अखबारों में पढ रहा हूं, आयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम बनाया है और इस प्रोडक्शन प्रोग्राम के बारे में उसने सभी स्टेट्स को डाइरेक्शन भी दिये हैं, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व होगा कि आयल सीड्स के बारे में हम किसी प्रकार का टैक्स, जो किसानों के इनीशियेटिव को मारने वाला हो, उनको डिसकरेज करता हो, समाप्त करने का कोई कदम उठावें। अभी मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे, पहले की सरकार ने रखा था। इस सम्बन्ध में चर्चा की जा सकती है। सरकार ने यह समझ कर रखा था कि बहुत बड़ी आमदनी होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर से रिसोर्सेज टेप करना चाहते थे। लेकिन उसके बाद ठीक नहीं रहा। जनता सरकार बार बार यह कहती है कि हम उन पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहते हैं। इस प्रकार से जो स्ट्रेटेजी उत्पन्न हो गई है, जो नीति है भारत सरकार की तो मैं समझता हूं कि यह रखेंगे तो भारत सरकार के प्रतिकूल कदम उठायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री आदित्येन्द्र : सभापति महोदय, मुझे यही कहना है, माननीय सदस्यों ने मेरी बात को समझा उसके परिणामस्वरूप मेरे पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो संशोधन

(श्री आदित्येन्द्र)

पेश किये थे, उनको उन्होंने वापस लिया है। जहां तक ना पक्ष के माननीय सदस्यों का प्रश्न है, उनसे भी मैंने निवेदन किया था, उसका भी असर हुआ है। उन्होंने भी वस्तु स्थिति को पहचाना है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि एक महीने के बाद वार्षिक बजट आने वाला है, उसकी आप प्रतीक्षा करें। जो स्थिति इस समय है, वह आप को अच्छी तरह से मालूम है। जो बजट 30 मार्च, 1977 के पहले सरकार ने रखा था उसके आंकड़े आपको मालूम हैं। बाद में जैसा मैंने कहा वित्त मंत्री के भाषण में कुछ और बातें कही गई थीं। एक स्टोन भाषण दिया गया था, कुछ और कार्यवाही करने का वचन उन्होंने दिया था। जिस समय पिछली सरकार जाने लगी तो उन्होंने थोड़े दिन पहले ही ऐसे और भी वित्तीय सवाल पैदा कर दिये जिनसे बजट पर जोर पड़ता था। इन हालात में इस पर काफी विचार करना पड़ेगा कि किस हद तक बजट को संतुलित करना पड़ेगा, मैं इतना ही निवेदन करूंगा। वर्तमान स्थिति में जो भी संशोधन पेश किये हैं, उनको मानने में मैं असमर्थ हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में श्री राम रघुनाथ ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में श्री गंगाराम, ने जो संशोधन प्रस्ताव किये हैं, उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 स्वीकार किया गया।

खण्ड 9 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये गये।

श्री प्रभारी मंत्री जी।

विधेयक का पारण

श्री आदित्येन्द्र : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1977 को पारित किया जाये।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : सभापति महोदय, मुझे दुःख है कि जनता पार्टी में इतने किसानों के होते हुए भी इस प्रकार का कानून लाया जा रहा है। हमारे सबके

(श्री माधोसिंह)

सामने यह सब क्या हो रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि शराबबन्दी का भार काश्तकारों पर नहीं डालें। इसका भार उन लोगों पर डालें जो आज तक उसका उपयोग करते रहे हैं। जो वातानुकूलित बंगलों में बैठे हैं, कारों में घूमते हैं उन लोगों से वसूल किया जाये न कि उन लोगों से जो कि ग्रामों में बैठे हैं। आपने यह एक बड़ी बात किसानों के लिए कर दी है। आपने सवा बीघा को छूट दी है। सवा बीघा कोई जमीन की छूट है? अगर तीन बीघा में काश्तकार कैश क्राप करता है, उसके दौरान उसको क्या खर्च नहीं करना पड़ता है? मैं निवेदन करूंगा कि आज के भावों में और 3 साल पहले के भावों में बहुत डिफरेंस हो गया है। एक काश्तकार अपने कुए पर पम्पिंग सेट लगा कर खेती करता है उसके भाव बढ़ गये हैं। क्रूड आयल के भाव बढ़ गये हैं, मोबिल आयल के भाव बढ़ गये हैं, मजदूरी बढ़ गई है। आखिर किसान क्या आउट पुट देगा। आपने जो यह 15 बीघा पर लगान माफी की छूट दी है, वह दूसरे तरीके से वापिस लादना चाहते हैं, यह बताने के लिए कि हमने छूट दी है। यह शर्म की बात है।

(3.50 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पीठासीन)

मैं आपको थोड़े से लागत के फिगर्स देता हूं। एक किसान एक बीघे में काश्त करता है तो 252 रुपये तक मशीनों के मैनेजमेण्ट मोबिल आयल, क्रूड आयल, और जो दूसरे पार्ट्स आदि है उन पर खर्च होता है। एक बीघा में 252 रु. खर्च आ सकता है। एक पानी देने पर 25 रु. खाद के 35 रु., दवाई के 20 रु., सरचार्ज वगैरह के 10 रु., मजदूरी के 20 रु., खरपतवार, तैयारी, गुड़ाई, पिलाई, देसी खाद पर और ट्रैक्टर से या हल से जुताई हो, तो 102 रु. खर्च आ सकता है।

प्रति बीघा कुल 560/—इसके ऊपर खर्च आते हैं, कुछ इसमें से निकाल भी दें तो 532 रुपये के करीब खर्च होते हैं। सभापति महोदय, मैं यह मानता हूं, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर किसान मिर्ची या अन्य व्यापारिक फसल बोयेगा तो मुश्किल से दो-ढाई बीघा में ही बोयेगा। इससे ज्यादा में नहीं बोयेगा। इन सब चीजों को देखते हुए इन्कम के सोर्सेज 6 सौ पर बीघा से ऊपर नहीं बैठते होंगे। अब आप देखिये कि एक तरफ तो खर्चा पड़ता है 532 रुपये और इन्कम है 600 रुपये। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि 68/रुपये के लिये एक बीघा के हिसाब से अगर कोई बीस-पच्चीस बीघा पर खेती करता है तो आप उसकी इन्कम क्या समझते हैं जिस पर टैक्स लगाना चाहते हैं? आपने जनता से वायदे किये हैं कि आप गरीबों का और किसानों का जीवन-स्तर ऊपर उठाना चाहते हैं। मैंने यह सोचा था कि आप लोग इसमें सहयोग करेंगे। जहां पर सेल्स टैक्स की और इन्कम टैक्स की करोड़ों रुपयों की इन्कम है, उनके लिये तो आप यह वायदे करते हैं कि उनको टैक्स माफ करेंगे। मैं समझता हूं, कुछ इस तरह की लाबी है जो यह चाहती है कि यह टैक्स इम्पोज किया जाय। भूतपूर्व सरकार के अन्दर भी इस प्रकार के कुछ लोग थे••••

(श्री माधोसिंह)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

भूतपूर्व सरकार का भी इस तरह से टैक्स लगाने का प्रस्ताव था। ऐसा करने के बाद आज जो जनता पार्टी के यह लोग हमारे सामने आये हैं, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि जो लोग खून-पसीना एक करके खेतों के अन्दर काम करके कमाई करते हैं, उनके लिए क्या आप समझते हैं कि गेहूं बोने से या बाजरा बोने से उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है और उनका खर्च जो खेती में होता है, वह निकालने के बाद वे जीवन चला सकेंगे? इसलिए मेरा यह निवेदन है, आपने जो यह कर प्रस्ताव दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सदन इसको पास नहीं करेगा। किसानों के लिये जो बाहर बातें होती हैं, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सदन का समय समाप्त होने के बाद जब आप लोग गांवों में जायेंगे तो आपको इसको फेस करना पड़ेगा। आप जो वायदे करते हैं उनको पूरा नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल उठानी पड़ेगी। आप लोग चुप होकर इसको सहन कर रहे हैं, हम तो करते थे या नहीं, आप दूसरों को दोष देते हैं लेकिन आप यहां पर बैठे हुए हैं, और सहन कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आपके कारनामे हैं।

(व्यवधान)

श्री माधो सिंह : आप लोगों के यदि स्वतन्त्र विचार हैं तो जो डेटा मैंने दिया है, उसको आप गलत साबित कर दीजिये, क्या किसान लोग दो-ढाई एकड़ से अपना जीवन स्तर सुधार सकेंगे? यह कतई सम्भव नहीं है। इसलिए माननीय सदस्यों से मेरी रिक्वेस्ट है कि किसानों के ऊपर जो काला कानून आ रहा है उसका विरोध कीजिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : सभापति महोदय, मैं इस वक्त बोलने की तैयारी में नहीं था, चूंकि मुख्य मंत्री महोदय ने जब यहां पर राज्यपाल महोदय के भाषण पर चर्चा हो रही थी उस समय कहा और वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में करों को वापस न लेने के लिए जो आधार दिये हैं कि राज्य सरकार के बजट को 54 करोड़ का घाटा दिखा करके पहले की सरकार ने दिया है, इसलिए वित्त मन्त्री महोदय ने अपनी मजबूरी बताई है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह 54 करोड़ के आंकड़े वित्त मन्त्रीजी किस जगह से लाये, यह मेरी समझ में नहीं आता है। सभापति महोदय, जब भूतपूर्व वित्त मन्त्रीजी ने बजट पेश किया था उस वक्त 1976-77 का घाटा 31 मार्च, 1977 को होने का अनुमान लगाया गया था 21 करोड़ 59 लाख। करों से ज्यादा वसूली होने के कारण यह डेफिसिट 21 करोड़ से घटकर 7 करोड़ का केवल रह गया था। उसके बाद में वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया उसके अन्दर 1977-78 में 24 करोड़ 22 लाख का घाटा दिखाया गया था, इस बजट की प्रतिलिपि मेरे पास मौजूद है। जो प्रपोजल्स रखे गये

Page No 86

(86)

(श्री मथुरादास माथुर)

थे जिनकी बहुत चर्चा हुई थी वह 11 करोड़ के थे। इस प्रकार से कुल 35 करोड़ का घाटा दिखाया गया था। इस घाटे के अलावा कुछ लैंण्ड बिल्डिंग्ज में कन्सेशन्स दिये गये, कुछ कार्मशियल क्राप्स पर दिये गये इससे करीब एक करोड़ का घाटा होता था। इसलिए कुल मिलाकर घाटा 44 लाख का बना, लास्ट ईयर की डेफिसिट 7 करोड़ और 48 लाख का था। मगर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसके बाद में देखना है कि वह घाटा कितना था। पिछली राज्य सरकार ने और कांग्रेस सरकार ने आपको भूखा और नंगा राजस्थान नहीं दिया है। मैं यह आंकड़ों से सिद्ध कर रहा हूं 19 करोड़ रुपये की आज भी बैंकों में फिक्स्ड डिपाजिट्स है, दस करोड़ रुपये का मार्जिन मनी, नेचरल केलेमिटीज के लिए हर साल आपको मिलता है, 10 करोड़ और 19 लाख रुपये आपको मिलेंगे और मिल चुके हैं। उसके बाद में तीन करोड़ के टैक्सेज के प्रपोजल्स वित्त मंत्री के बजट भाषण में थे। इसके साथ साथ आपके फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो आपने मुख्तलिफ फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स से कर्ज लिया है उसका 12.59 करोड़ का ब्याज मिलने की सूचना दी है, यह कमीशन ने लिखा है। यह सब मिलाकर 35 करोड़ हो जाते हैं। इस प्रकार से 44 करोड़ मिलाने के बाद में केवल 9 करोड़ का घाटा रहता है। प्लानिंग कमीशन ने तीन साल से आपको एकमोडेशन देने के लिये गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया को देने को स्वीकार किया है। इसलिये आपके पास शुद्ध घाटा 1 करोड़ और 27 लाख का रहता है। इस घाटे की पूर्ति करने के लिए वित्त मंत्री ने यह कहा कि टैक्सेज के जो रिसोर्सेज बताये जाते हैं, उन से ही वसूली होती है। जो भी टैक्स के प्रपोजल्स हैं या एक्साइज ड्यूटी लगायी जाती है, और जो दूसरे कर हैं उनमें कोजेन्सी आ जाती है, उससे ज्यादा ही वसूली होती है, यह सिर्फ इसलिये नहीं कह रहा हूं। मैं तीन साल के आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। इसलिए 1 करोड़ और 27 लाख का शुद्ध घाटा है वह बिना किसी वसूली के पूरा हो जायेगा। मैं तो इस बजट को घाटे का बजट नहीं मानता। और भी ज्यादा वसूलियां होंगी इसलिए यह सरप्लस बजट घोषित किया गया है। मेरी समझ में नहीं आता यह घाटे का बजट किस प्रकार है? आंकड़े मैं इस बजट के दे रहा हूं, इसलिए वित्त मंत्रीजी...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जरा गौर से इस बजट भाषण को पढ़ेंगे और समझायेंगे कि यह घाटे का बजट नहीं है इसलिए यह जो मुख्य मंत्रीजी ने कहा और बार बार इसका प्रचार इस सदन में भी होता है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश इन तीनों से अच्छी है। हमने जो आपके सामने बैलेंस छोड़ा, असेट्स और रिसोर्सेज छोड़े हैं उससे राजस्थान को भूखा और नंगा नहीं कहा जा सकता। इसलिए आपको करों को कम करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। यह सरप्लस बजट है। आप 30–40 लाख की करों में कमी कर देंगे तो अच्छा होगा। आप पहले वित्त

(श्री मथुरादास माथुर)

मंत्री हैं इससे आपका नाम होगा । मैं नहीं जानता आपको सलाह देने वाला कौन है। आप इस मौके पर भी अपने कर प्रस्ताव वापस ले सकते हैं। हर वित्त मंत्री फाइनेन्स बिल के पास होने से पहले छूट देता था मगर अब की बार यह मौका नहीं मिला। मैंने एक चीज यहां रखी है, आपको तसल्ली दिलाता हूं यह बजट घाटे का नहीं है, राजस्थान में घाटा नहीं है, राजस्थान नंगा और भूखा नहीं है, राजस्थान बहुत कपड़े पहने हुए है···

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने अच्छे कपड़े पहन रखे होंगे।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने आंकड़ों से सिद्ध किया है। आप आंकड़ों को कम्पेयर करें। गलत हों तो मेरी जिम्मेदारी है।

श्री सभापति : माननीय श्री श्योपत सिंह।

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़) : सभापतिजी, वित्त विधेयक जो पेश किया है उसमें सरसों, मूंगफली, मिर्चों, कपास आदि पर टैक्स लगाया गया है, मैं समझता था कि जो सरकार 2½ हैक्टेअर जमीन पर राजस्व माफ करने जा रही है···

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । सरकारी पक्ष की तरफ से कोई रिपोर्ट प्रस्तुत हो रही है।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री सम्पत राम (मंत्री, संसदीय मामलात) : सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।"

श्री मूलचन्द डागा : कन्टेंट्स पढ़िए, हमें मालूम नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है।

श्री सम्पत राम : कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 29 जुलाई, 1977 को अपराह्न 3—00 बजे हुई।

समिति सिफारिश करती है कि सदन की बैठक 30 जुलाई, 1977 को भी रखी जाय और दिनांक 29 व 30 जुलाई, 1977 को लिए जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय:—

शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई, 1977

(1) राजस्थान वित्त विधेयक, 1977, और

(2) उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 पर विचार तथा इसका पारण।

(श्री सम्पतराम)

शनिवार, दिनांक 30 जुलाई, 1977

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977, और

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1977 पर विचार तथा इनका पारण।

श्री मूलचन्द डागा : सभापतिजी, हमें बड़ी मुश्किल से तो शनिवार मिलता है, उस दिन भी आपने काम रख लिया...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन, जो मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया है, स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

राजस्थान वित्त विधेयक, 1977

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं सोच रहा था कि हमारी नई सरकार जिसने 2½ हैक्टेअर पर लैंड टैक्स माफ किया है और हमारे वित्त मंत्री जो बहुत भले आदमी हैं, ये दारूबंदी पर भी स्टिक कर रहे हैं। यदि दारूबन्दी नहीं की गई तो ये त्याग-पत्र दे देंगे, यह मैं उम्मीद करता था। आपने जो कामर्शियल फसलों पर टैक्स लगाया है और जो तरीका अपनाया है वह पुराना घिसा पिटा तरीका है। आधा एकड़ फसल को आप माफ कर देंगे बाकी के ऊपर आप टैक्स लगायेंगे, फिर तो यह पुराना तरीका है। जनता पार्टी का नया तरीका होना चाहिए। समाजवादी तरीका होना चाहिए। अब तो समाजवाद शब्द से आपको परहेज नहीं है तो आपके काम भी समाजवादी ढंग के होने चाहिए। केवल आधा एकड़ क्यों ? आप किसको रियायतें देने जा रहे हैं ? आप सबका भला सोचते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं मगर आप गरीब का भला सोचते हैं तो आपको तय करना पड़ेगा, जब आपने 2½ हैक्टेयर भू-राजस्व माफ करने के लिए रखे हैं तो कम से कम 2½ एकड़ तक इसमें माफ होना चाहिए। उसके बाद 5 एकड़ वाले पर डबल कर दें, 10 एकड़ वाले पर उससे डबल। ग्रेडेड टैक्स लगायें ताकि बड़े आदमी पर ज्यादा टैक्स लगे और जिसके पास पैसा है उससे ज्यादा लिया जाय। जिसके पास पैसा नहीं है उससे क्या लेने जा रहे हैं ? आखिर लोग क्या सोचेंगे ? जनता सरकार और कांग्रेस सरकार की नीतियों और घोषणाओं में कोई फर्क नहीं दिखता। जनता सरकार आई है, वह चाहती है कि जनता का भला करे लेकिन आपकी घोषणाओं और एक्शन्स में फर्क नजर नहीं आए तब लोग कैसे महसूस करेंगे कि यह समाजवादी सरकार है ? इसलिए आप मेरे सुझाव को जरूर मंजूर करें क्योंकि मैं न इधर से संबंध रखता हूं न उधर से। मेरे

(श्री श्योरतसिंह मकासर)
खयाल से मैं हो असलो जनता का नुमाइंदा हूं इसलिए·····

एक माननीय सदस्य : दो घोड़ों की सवारी मत करो।

श्री श्योरतसिंह मकासर : मैं कहता हूं छोटों को छोड़िए। आप ढाई एकड़ पर लें, पांच एकड़ पर डबल लें। आप दोनों के भरोसे मत रहें, दोनों से दोस्ती मत रखें, एक से रखें। आप बड़े आदमियों पर डबल लगायें, ट्रिपल लगायें, हम आपके साथ हैं। इसलिए अगर छोटे लोगों को साथ लेना है तो हम समझेंगे कि वित्त मंत्री सही रास्ते पर जा रहे हैं।

खेती को आज से पांच साल पहले प्रोफिट का धंधा कहते थे। पिछले 15—20 सालों से लेकर पिछले पांच साल तक खेती को प्रोफिट का धंधा मानते थे लेकिन जब से आपने खाद व तेल के मूल्य को डबल, ट्रिपल, चार-चार गुना कर दिया उसके बाद खेती लाभ का धंधा नहीं रहा, पेट पालने का धंधा रह गया। तो जिस तरह से वित्त मंत्री ने 2॥ हैक्टेअर पर राजस्व माफ करने और कुछ जिलों में दारूबंदी करने में हिम्मत दिखाई है, उसी तरह से इस टैक्स के लिए हिम्मत दिखायें और जनता सरकार के बाकी सदस्यों को मनायें, तो मैं सोचता हूं, जनता पार्टी के सदस्य भी मुझसे सहमत होंगे, बाकी तो बोलने वालों से पता लगेगा, सारा सदन आपके साथ होगा और आपकी जय जय कार होगी।

श्री नूरा (मसूदा) : सभापतिजी, यह जो कर लगाने का बिल सामने आया है, इस संबंध में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमें देखने को मिला था कि ढाई हेक्टेअर तक काश्तकारों का भू-राजस्व माफ कर देंगे। हम सोचते थे कि जनता सरकार काश्तकारों को और भी रियायतें देगी लेकिन जब यह बिल सामने आता है तो ऐसा लगता है कि यह पूंजीवादी सरकार गरीब की जिंदगी पर विचार नहीं करेगी। गवर्नमेंट तो सिर्फ पैसे लेना चाहती है और इसीलिये टैक्स लगा रही है। इसमें आपने जो आधा एकड़ जमीन की बात को है यह आधा एकड़ तो कुछ भी नहीं है। बेचारे छोटे-छोटे काश्तकारों पर आप टैक्स लगा रहे हैं। जनता पार्टी को सरकार से उम्मीदें लगायी हुई थीं कि जनता पार्टी की सरकार में काश्तकारों का तो भला होगा। वह सभी आशायें गरीब काश्तकारों की धूमिल हो जायेंगी। सभापति महोदय, जिन लोगों के पास पहनने के कपड़े नहीं हैं, रहने को मकान नहीं है, भूखे नंगे हैं, यह जनता पार्टी की सरकार उन्हीं भूखे नंगों पर टैक्स लगा रही है, यह बहुत ही अनुचित है। जिन लोगों के पास, सभापति महोदय, थोड़ी थोड़ी जमीन है आप उनसे टैक्स वसूल कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जो जनता पार्टी की सरकार से काश्तकार फायदे की उम्मीद करके चलता था वह बेकार हो गया। यह आशायें तो कांग्रेस सरकार से की जा सकती थीं। आप बड़े बड़े भूमिपतियों पर टैक्स लगाते, तो बहुत अच्छा होता। एक तरफ तो आप ढाई हेक्टेअर जमीन तक गरीब काश्तकारों पर लगान माफी कर, छूट देकर वाहवाही लूट रहे हैं दूसरी तरफ आप छोटे छोटे काश्तकार पर टैक्स लगा रहे हैं। आप ढाई हैक्टेअर तक इसमें माफी नहीं रखते तो कोई बात नहीं

(श्री नूरा)

थी। आपको पांच एकड़ जमीन तक छूट रखनी चाहिये थी, इससे छोटे छोटे काश्तकारों को दिक्कत नहीं होती और आपको टैक्स भी अच्छा मिल जाता। छोटे काश्तकारों के पास आधा एकड़ जमीन होती है। आप गरीब को बिना सोचे समझे टैक्स से लाद रहे हैं। आप यह करके छोटे काश्तकारों के साथ अन्याय कर रहे हैं। पहले भी कांग्रेस सरकार ने काश्तकारों का भला करने का नारा देकर काफी टैक्सेज इन गरीब काश्तकारों पर लगाये थे। आज भी राजस्थान का काश्तकार कांग्रेस सरकार के द्वारा काफी टैक्सों से लदा हुआ है। अब आप और अधिक इन मरे हुए काश्तकारों को मत मारो। इसलिये मैं समझता हूं कि किसानों की हिमायत करने वाली जनता पार्टी की सरकार इस पर पुनः विचार करेगी, जमीन की सीमा तय करने में काश्तकारों की ओर विशेष ध्यान रखेगी तथा आधा एकड़ जमीन की जगह पांच एकड़ जमीन का इसमें प्रावधान टैक्स लागू करने के लिये रखेगी। नहीं तो जो आप छोटे किसानों के लाभ की बात कर रहे हैं वह लाभ नहीं मिलेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें यह संशोधन किया जाय कि यह टैक्स सिर्फ बड़े काश्तकारों, बड़े भूमिपतियों पर ही लागू होगा, छोटे काश्तकारों पर लागू नहीं होगा अगर आप यह संशोधन नहीं करने जा रहे हैं तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस विधेयक का विरोध करूंगा। इसलिये मैं जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस पर विचार करे और इस बिल को वापस ले ले तो छोटे काश्त कारों का भला होगा।

(4.13 म.प.)

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रतन लाल वर्मा।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : **अध्यक्ष** महोदय, माननीय सदस्य जो सदन में यह कह रहे हैं कि जनता पार्टी की सरकार ने काश्तकारों पर टैक्स लगाये हैं, यह बात बिल्कुल गलत है। जनता पार्टी की सरकार ने कोई जनता पर टैक्स नहीं लगाया है यह तो कांग्रेस के पुराने पापों का घड़ा है जो बाहर आया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर! माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जितने भी टैक्सेज आज तक लगाये हैं यह सभी कांग्रेस सरकार ने लगाये है। बिजली के सात पैसे युनिट के लगते थे वह 25 पैसे प्रति यूनिट इस कांग्रेस सरकार ने काश्तकारों पर लगाये हैं। इस कांग्रेस सरकार ने पिछले 30 वर्षों में काश्तकारों का गला घोटने के सिवाय कुछ नहीं किया। इस कांग्रेस सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी शरारतें पिछले तीस सालों में काश्तकारों के साथ की, उन्हें बुरी तरह लूटा है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। मैं इस सदन में ही नहीं बल्कि जनता के सामने स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस सरकार ने किसानों को बुरी तरह लूटा है और उसे मिट्टी में मिला दिया है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर विधान सभा में बैठकर इस कांग्रेस सरकार

(श्री रतनलाल वर्मा)

ने ऐसे ऐसे कानून बनाये जो सभी किसानों के प्रतिकूल थे। इन पढ़े लिखों ने यहां बैठकर किसानों को कानून के जाल में फंसा दिया, ऐसे कानून बनाये कि वह बरबाद हो गया। अध्यक्ष महोदय, काश्तकार पढ़ा लिखा नहीं होता है, गरीब होता है, भोला होता है उसे गलत कानून बना कर बरबाद करने वाली यह कांग्रेस की सरकार है। आज यहां हमें कह रहे हैं कि जनता पार्टी की सरकार ने काश्तकार को बरबाद कर दिया। मैं आज यहां खुले रूप में स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि काश्तकार को बरबाद करने वाली संस्था सिवाय कांग्रेस के कोई नहीं है। कांग्रेस सरकार के सिवाय काश्तकार को मिट्टी में मिलाने वाली दूसरी कोई सरकार नहीं है। इसने गलत कानून बनाये और यहां पर काश्तकारों का भला करने का ढिंढोरा राजस्थान की जनता के सामने कांग्रेस पार्टी ने पीटा। टैक्सेज सभी इस सरकार ने लगाये और नाम जनता पार्टी की सरकार का ले रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने अध्यक्ष महोदय, किसान का गला घोट कर रख दिया है। कांग्रेस सरकार के गलत कानूनों के कारण आज अदालतों में लाखों की तादाद में काश्तकारों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जमीनों के मुकदमे चल रहे हैं जो कि इस सरकार से पहले भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने चलाये हैं। उसने काश्तकारों को अदालतों में कानूनी शिकंजों में फंसाया है। यह बात, अध्यक्ष महोदय, मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कांग्रेस वाले यह कहें कि जनता पार्टी की सरकार ने काश्तकारों पर टैक्स लगाये हैं। यह सभी शरारत इन कांग्रेसियों की थी। यह इन्हीं के पापों का घड़ा है कि यह आज सत्ता के बाहर हुए हैं और उधर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कलंक कांग्रेस सरकार ने हम पर लगाये हैं इसे किस तरह से दूर किया जा सके, इस तरह के उपाय हमें सोचने हैं। कांग्रेस सरकार ने तीस सालों में केवल एक ही काम किया, किसानों पर टैक्स लगाया, किसानों को लूटा, उन पर मुकदमे चलवाये, उनकी जमीनें छीनीं, और उनके मर्डर तक करवाये। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिन्होंने मर्डर किये उन्हें कोई सजा नहीं मिली। अध्यक्ष महोदय, किसानों का लहू चूसने वाली कांग्रेस सरकार के लोग आज यह हिमाकत करते हैं कि हम किसानों का भला करेंगे या भला किया है और यहां पर हल्ला करते हैं...

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, प्रोन ए पोइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिये, बोलने दीजिये इन्हें।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : क्या है पोइन्ट आफ आर्डर।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कहते हैं कि 'हिमाकत करते हैं'। यह कहा, वह गलत कहा है। वह हिमाकत की जगह हिमायत करें। हिमाकत का मतलब तो विरोध होता है। इसका

(श्री अब्दुल अजीज)
मतलब यह हुआ कि कांग्रेस सरकार ने किसानों का भला नहीं किया । यह तो एक दूसरे के विपरीत बात इन्हीं की कही हुई हो गयी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिये ।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह मुझे बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं ।

श्री अब्दुल अजीज : मैं तो ग्रोन ए पोइन्ट ग्राफ ग्रार्डर कह रहा हूं कि माननीय सदस्य गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं । आप 'हिमाकत' की जगह 'हिमायत' शब्द का मुलाहिजा करिये । जरा सही लब्ज तो बोलें जो भी कहें, सही लब्ज काम में लें ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (नीम का थाना) : यह अभी भाषा के मामले में अपरिपक्व है ।

श्री मूलचन्द डागा : आप इन्हें सही भाषा का इस्तेमाल सिखा दें ।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस कांग्रेस सरकार ने जागीरदारों को लाखों रुपये के मुआवजे दिये पर गरीब काश्तकार को कुछ नहीं दिया, उल्टे उस पर टैक्स लगाये । किसानों ने कुए भी बनाये तो अपने पसों से, उसने कोई पैसा उन्हें नहीं दिया जब कि बड़े बड़े इस्तमरारदारों को लाखों रुपये दिये । किसानों को दो चार हजार रुपये कुओं के लिये देती या कुए बना कर कांग्रेस सरकार देती तो मैं समझता कि कांग्रेस सरकार किसानों के लिये भली थी पर उसने यह नहीं किया । सिर्फ एक काम किया कि किसानों को मिट्टी में मिला दिया तथा इन पिछले तीस सालों में किसान को नंगा कर दिया, उसे बरबाद कर दिया । अध्यक्ष महोदय, इस कांग्रेस की सरकार ने ऐसा काम किया है इसी कारण वह आज आटे में लूण के बराबर इस हाउस में दिखायी दे रहे हैं । मैं समझता हूँ आईन्दा आने वाले वक्त में यह इतने भी नजर नहीं आयेंगे इस सदन में । इन्होंने किसानों को इस तरह से लूटा है, अध्यक्ष महोदय, हर तरह से उसे नुकसान पहुंचाया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त होइये, माननीय सदस्य । स्थान ग्रहण करें ।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन में खुले शब्दों में कहूंगा कि सन् 1952 से लेकर इन कांग्रेसियों ने किसानों को लूटा है, आप चाहें तो रिकार्ड मंगा कर देख लें । चाहे राजस्व का हो चाहे पुलिस का हो, चाहे न्यायालयों का हो । कितने ही केसेस इन्होंने गरीब काश्तकारों पर चलाये हैं । आपको मर्डर तक के केसेज देखने को मिलेंगे । गलत सैटलमेन्ट के कारण हजारों कैसेज अतिक्रमण के हो गये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहिये ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, ग्रोन ए पोइन्ट ग्राफ ग्रार्डर ।

श्री एच. एन. शर्मा (बैंगू) : पिछले तीस साल तक ग्रोन ए पोइन्ट ग्राफ ग्रार्डर

(श्री एच. एन शर्मा)
ही जनता पर कर लगाते आये हो। आपने इसके सिवाय किया ही क्या है?

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर। मैं पोइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : यह शरारत है।

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। क्या पोइन्ट आफ आर्डर है आपका?

श्री मूचचन्द डागा : यह भाषण क्या चौपड़ पर हो रहा है?

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं। एक ही मिनट निवेदन करना चाहता हूं।

मेरा सदन से एक ही निवेदन है कि इस बात की जांच करा ली जाय कि सन् 1951-52 से लेकर जब तक चुनाव होकर यह वर्तमान जनता पार्टी सरकार में आयी है, तब तक इस बीच में कितने गबन हुए है, कितने कत्ल हुए हैं, गांवों में कितने कितने कत्ल हुए हैं और अदालतों में कितने केसेज हुए हैं झगड़ों को लेकर। जमीनों के मामले में कितने कत्ल हुए हैं और कितने झगड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सामने बैठने वाले माननीय सदस्य उस वक्त सत्ता में थे और इनके शासन काल में सन् 1951-52 से कितने कत्ल हुए हैं, कितने गबन हुए हैं। इन सब की जांच करा कर इनको बताया जाय। जितने भी गबन करवाये हैं सब इन्होंने करवाये हैं, जितने भी कत्ल हुए हैं इन्होंने करवाये हैं और ये इस पाप के भागी हैं, आप इस दोष से वंचित नहीं हो सकते हैं। हमने बहुत निवेदन किया है। बहुत आजिजी करके कहा है लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुना। तीस साल तक इन्होंने राज किया। किसान को कोई पूछने वाला नहीं था। आज किसान की रक्षा की बात करते है। इस धांधली को बंद करायें और सदन की मर्यादा को कायम रखने के लिये इस पर पाबन्दी लगायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि····

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर।

एक माननीय सदस्य : इन्हें बोलने दीजिये।

श्रीमती उजला अरोडा : मुझे बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : ओर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोडा : अध्यक्ष महोदय पिछली सरकार ने सब्जियों तक पर टैक्स लगाया, इससे अधिक क्या कहूं। इन्होंने किसानों पर टैक्स लगाये। इन्होंने कचोरी वालों पर टैक्स लगाया; पालक बथुए पर टैक्स लगाया। एक दुकानदार टैक्स देकर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
सब्जी, बथुआ पालक लेकर आता है या आती हैं, जब वह बिकता नहीं है तो उसको सड़क पर फेंकना पड़ता है। जिन मेहनतकश को सुबह से शाम तक चार आने की जुगाड़ नहीं बैठती है, उनसे पूछिये कि उनके लिये क्या हमदर्दी थी इनकी जब इनकी सरकार थी तब ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ओर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हर तरह से टैक्स लगाकर आज ये लोग किसान की हिमायत करने चले हैं ।

(व्यवस्था–सूचक घंटी)

मेरी बात एक मिनट में ही समाप्त करती हूं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कम से कम 15 मिनट दिये जायं । पूरा मौका दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है । कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : यह करुणामयी भाषा बोलती हैं इसलिये इनको बोलने दिया जाय।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : बैठो, बैठो आप तो ।

श्री अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री जी ।

कृपया शान्त रहिये ।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं एक किसान हूं। एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं । मुझे किसानों की कठिनाइयां मालूम हैं। उनके बीच में रह रहा हूं, उनसे सम्पर्क साधा है और आज से कुछ दिन पहले भी उनके बीच रहा हूं । जहां तक किसान की कठिनाइयों को हल करने का प्रश्न है इस सरकार का हमेशा प्रयास रहेगा, पूरी कोशिश की जायगी । इस बात की कोशिश की जायेगी कि किसान प्रति एकड़ जो कुछ बोता है उसके उत्पादन में जो कमी रहती है वह दूर हो और उसका उत्पादन बढ़े । जिन चीजों की किसान को आवश्यकता है वे सभी आवश्यक वस्तुयें किसान को दी जायं, जैसे खाद, बीज, सिंचाई के साधन, बिजली, इस ओर ज्यादा ध्यान दिया जावेगा ।

अभी यह अन्तरिम काल है । एक महीने पहले ही इस सरकार ने प्रशासन का भार सम्हाला है । थोड़े दिनों के बाद, जैसा मैंने निवेदन किया, बजट आ रहा है । बजट के समय ही बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाता है । इस समय तो कुछ नयी बात नहीं । जो कुछ भी पिछले दो तीन वर्षों से बातें चल रही हैं वह ही आपके सामने आयी हैं इस वित्त विधेयक के रूप में । मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाय ।

आप सब माननीय सदस्यों के विचार सुनें । मैं तो ऐसा ही मानता हूं कि सभी में एक तरह से किसान और निर्धनों के लिये

(श्री प्रादित्येन्द्र)
भावना है, उसको उठाना चाहते हैं और जो कुछ भी अन्तर गरीब और अमीर के बीच में है उनको कम से कम पर लाना चाहते हैं। जनता पार्टी की सरकार का भी यही मुख्य उद्देश्य है। मैं नम्रता के साथ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने पारित करने के लिये प्रस्तुत किया था उसको पारित किया जाय।

एक माननीय सदस्य : परनाला वहीं गिरेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1977 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 1977 को पारित किया गया

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एक निर्णय अच्छा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी गलती को स्वीकार किया है।

श्री परसराम मदेरणा : कैसे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस बिल का विरोध करके। यह बिल आपके द्वारा बनाया हुआ था और आपने इसका विरोध किया है। तीन महीने पहले जबरदस्त गलती की और आज हां कर लिया।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरे बिल के सम्बन्ध में अपोजिशन नहीं किया है। तत्कालीन सरकार के द्वारा वाणिज्यिक कर के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों का इसमें समावेश नहीं किया गया है उसका समावेश होना चाहिये। यह कहा है। यह युक्तिसंगत बात थी। उसका जवाब दिया नहीं और बजट की बात कह कर...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये मगरमच्छ के आंसू हमने देख लिये हैं जो आपने बहाये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जो हमने बात कही है वह निर्णय जो हुआ उसका समावेश होना चाहिये था इसमें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : निर्णय उस समय लिया जब आपके हाथ से राज्य जाने लगा। उस समय निर्णय लिया।

श्री परसराम मदेरणा : पार्टी में इस बात की चर्चा होती है और मंत्रिमण्डल में उसकी चर्चा होती है। जो निर्णय लिया गया था उसी के अनुसार हमने बात कही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, निर्णय किस समय लिया ? जब पुराने मंत्रिमण्डल को मालूम पड़ा कि जनता उनको उखाड़ कर फेंकने वाली है। उस समय आपने निर्णय लिया, पहले नहीं लिया। आप बतायें कि कौन सी तारीख को निर्णय लिया ? चौधरी चरणसिंह का लैटर आने के बाद आपने निर्णय लिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनकी गलतियों को कम से कम यह तो सुधारें। हमारा यह कहना है।

(व्यवधान)

हम तो आपसे उम्मीद करते है कि इनकी गलतियां सुधार लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भी सही है कि आप भी गलती करने वालों में थे। मैं आपकी सद्भावना को स्वीकार करता हूं। इन्होंने बड़ी गलतियां की हैं उनको निश्चित रूप से दुरुस्त करेंगे।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मन्त्री जी।

उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री बुद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय शिक्षा मन्त्री जी जब भाषण दे रहे थे तब उन्होंने अपने भाषण में कुछ बातें हमारी मन्जूर कीं। वह मैं सुनाना चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातचीत न करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, सदन की परम्परा के अनुसार आपस में बातचीत न करें। डिबेट को सुनें।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, कल जो भाषण आपने दिया था उस भाषण के कुछ अंश मैं आपके सामने कोट करता हूं। आपने, मंत्री महोदय, अपने भाषण में बड़ी सुन्दर भाषा का प्रयोग किया है और बड़े अच्छे ढंग से प्रयोग किया है। मैं बताना चाहता हूं आपने क्या बात कही थी। आपने कहा था "इन विधेयकों को जिनके बारे में विचार करके जैसा कहा गया है इस प्रकार के विधेयकों को लाने की आवश्यकता है किन्तु हम इतना जल्दी नहीं ला सकते।" आपने हमारी इस बात को स्वीकार किया है। उधर के बैठने वाले बहुत बड़े बड़े माननीय सदस्यों ने यह कहा कि राजस्थान में जो तीन विश्वविद्यालय हैं चाहे उदयपुर का हो, चाहे जोधपुर का हो या चाहे राजस्थान का हो उन विश्वविद्यालयों का एक लॉ बनेगा और इस पर गहराई से विचार किया जायेगा। यह आपने माना है और आपने यह भी माना है कि यह जो हमें कानून लाना है वह हमें जल्दी में नहीं लाना है और इसको आप आवश्यक भी समझते हैं। यह आपने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में दिया है कि हम जन प्रतिनिधित्व करना चाहते है सिन्डीकेट में। जो सही बात है वह आप भी मन्जूर करते हैं। श्रीमान्, आपको और आपकी केबिनेट को समय मिलता नहीं। यह जनता पार्टी के लोग आपको घेरे रहते हैं इसलिए आप चिन्तन कर नहीं पाते। जब तक आदमी अपने अन्दर झांक नहीं सकता तब तक वह बातें क्या करता है, जो सरकारी मशीनरी लिख कर देती है वहीं बोल देता है।

(श्री मूलचन्द डागा)

मंत्री महोदय मैं इस बात को कहना चाहता हूं, आपके ऊपर मैंने कल भी दोषारोपण किया था और फिर मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि जब से जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद विधान सभा की पहली बैठक हुई तब से बराबर जितने कानून पास हुए हैं–पहले नगरपालिका को खत्म करके आपने लोकतंत्र की हत्या की।

कई माननीय सदस्य : शेम ! शेम !

श्री मूलचन्द डागा : देख लीजिए कहते हैं शेम, शेम। फिर तो आप इधर बैठ जाइये···

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : आपने हत्या की है।

श्री मूलचन्द डागा : दूसरे जो पंचायतें हैं उनमें आपने प्रशासक मुकर्रर किये, तीसरा, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्या काम किया ? इन्होंने अपना प्रवेश इन विद्यालयों में कर दिया जो कि ज्ञान के पवित्र मन्दिर हैं। आपके आते ही उदयपुर का वाइस चान्सलर श्री पृथ्वी सिंह लाम्बा वहां नहीं है। आपके आते ही आज यहां का वाइस चान्सलर नहीं है।

श्री नवनीत पालीवाल (नाथद्वारा) : त्याग-पत्र दे दिये तो यह क्या करें।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, एक बात कहना चाहता हूं····

श्री नवनीत पालीवाल : इन्होंने इस्तीफे दिये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं शिक्षा मंत्री जी से, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत पूछना चाहता हूं कि राज्यपाल जो गवर्नर हैं आपके एक्ट में प्रोवीजन है कि उनको हटाने के पहले उन्हें आपको चार्जशीट देनी चाहिए थी। आप बड़ी-बड़ी घोषणायें करते हैं बड़ी हिम्मत के साथ और साल भरे शब्दों में कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे···

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष जी, डागा जी कह रहे हैं कि चार्जशीट दी जानी चाहिए थी लेकिन वह खुद ही इस्तीफा देकर चले गए तो फिर चार्जशीट किस काम की ?

श्री मूलचन्द डागा : जो भ्रष्टाचारी हैं उनको दण्डित कीजिए लेकिन किसी व्यक्ति को बिना चार्जशीट दिये दोषी घोषित करदें यह उचित नहीं है। आपने वाइस चान्सलर को, जो शिक्षाशास्त्री थे, नोटिस नहीं दिया और उनको आपने हटा दिया···

श्री नवनीत पालीवाल : कहां हटाया ? त्याग-पत्र दिया है। सदन में तो सच बोलिये। अध्यक्ष महोदय, यह क्या गलत गलत सूचनायें दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण जारी रखें।

श्री मूलचन्द डागा : यह व्यवधान पैदा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह कालेजेज में जाकर व्यवधान करने लगे और यहां भी कर रहे हैं। इनको आप रोकिये। मुझे आपसे इसकी उम्मीद है।

डाक्टर गोविन्द चन्द्र पाण्डे तथा उदयपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति

(श्री मूलचन्द डागा)
डाक्टर पृथ्वी सिंह लाम्बा ने लिखा है कि उनको बिना नोटिस दिये हटाया है। आप अपनी राजनीति को, आप अपने विद्यार्थी परिषद् को उस जगह पर लाना चाहते हैं··

श्री नवनीत पालीवाल : वाइस चान्सलर बना कर ?

श्री मूलचन्द डागा : आपने सिण्डीकेट के कम्पोजीशन का क्या प्रावीजन रखा। सिन्डीकेट का जो आपका कम्पोजीशन है उसकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। फिर मैं यह साबित करूंगा और आप उस पर विचार करें। आपने एक बात कही है कि—

'It is felt necessary that the composition of the Executive Committee should be changed forthwith to provide for the representation of the elected representatives of the people, teachers and students and thereby restore its democratic character in keeping with the declared policy of the Government.'

अब, श्रीमान, आप फर्मायें, पहिले कितने मैम्बर थे और आज कितने मैम्बर बनाये जायेंगे ? आज आपने सिन्डीकेट लम्बी चौड़ी बना दी। आज शिक्षा शास्त्री हैं; एक्जीक्यूटिव कमेटी उदयपुर के अन्दर है उसमें कुल 17 मेम्बर आज आपने बना दिये। पहले कितने थे, श्रीमान ? 11। एक तरफ आप कहते हैं कि खर्चा बढ़ रहा है दूसरी तरफ आप 11 से 17 कर रहे हैं। क्या मतलब इसका ? यूनिवर्सिटी के खर्चे के बाबत में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सारी रिपोर्ट्स पढ़ लीजिये। आप शिक्षा शास्त्री रह चुके हैं, आप प्रोफेसर रह चुके हैं इसलिये आपका बार-बार इसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक्जीक्यूटिव कमेटी में अब कौन मैम्बर होंगे, वे क्या गुड्स डिलीवर करेंगे। आप चाहते हैं कोई निर्णय न हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : कृपया कुछ समय का ध्यान रखिये।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी आज्ञा तो मानूंगा।

विद्यार्थियों को पालिटिक्स में नहीं घुसना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : रिपीटिशन है।

श्री मूलचन्द डागा : आपके ध्यान में ला रहा हूं। आपके द्वारा इन माननीय सदस्यों के ध्यान में ला रहा हूं। इसमें, श्रीमान, पहले 11 मेम्बर थे, अब 17 कर दिये। अब इसमें बताइये नोमीनेटेड कितने है ? तो प्रजातंत्र की बात की दुहाई देने वालों को मालूम होगा कि बहुमत उन लोगों का है जो नामजद हुए हैं। चिन्तन करने का यह तरीका अच्छा है कि 13—14 आदमी तो आपके नोमीनेटेड हों। मैंने बार-बार कहा है आप मेहरबानी कर उन विद्यार्थियों को लें जो मेरिट्स पर हों, उनकी कुछ क्वालिफिकेशन्स हों। आखिर जयपुर की चौपड़ पर भाषण देने वालों को आप न ले लें ? जुलाई के महीने से जब से आपने चार्ज लिया है तब यूनिवर्सिटीज में अशांति हुई है··

श्री रतनलाल वर्मा : आपकी कार्यवाही है ।

श्री मूलचन्द डागा : जयपुर यूनिवर्सिटी की बात करूंगा तब एक बात बताऊंगा। उदयपुर में वाइस चांसलर के साथ जो बात हुई उससे हमारी गर्दन नीची हो गई। मैं राजस्थान का हूं राजस्थान का शिक्षा मंत्री जो खुद शिक्षक रहा हो, कभी इस प्रकार की हरकतें बरदाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ करना कठिन होता है। कौन सा स्टूडेंट उस कमेटी में आयेगा, यह बताइये। इसमें आप क्या कहते हैं वह देखिये :

'The student member elected under clause (xii) shall not be associated with the appointment of examiners, finance, selection of the employees of the University.'

एक्जीक्यूटिव कमेटी का प्रोग्राम निकालते हैं। उस प्रोग्राम में जिस दिन स्टूडेंट्स को बुलायें, फाइनेंस का आइटम नहीं होना चाहिये। एक तरफ तो आप कहते हैं कि विद्यार्थी अपना रोल अदा करें, दूसरे तरफ कहते हैं, बाहर खड़े रहो दरवाजे पर। जब फाइनेन्स का सवाल होगा तो बाहर खड़ा रखेंगे। क्या कानून ला रहे हैं ? विद्यार्थियों के प्रति आप यह भावना रखते हैं। मीटिंग होगी एक्जीक्यूटिव की। उस दिन अगला आइटम हो गया फाइनेंस का तो विद्यार्थियों को कहा जायेगा, बाहर जाओ, अभी फाइनेन्स पर बात चल रही है। यह कैसी एक्जीक्यूटिव है ? जिस एक्जीक्यूटिव का मैम्बर बनने के बाद कुछ आइटम्स पर विचार कर सकेंगे और कुछ आइटम्स पर बाहर जायेंगे। सलेक्शन आफ एम्पलाइज आफ दी यूनिवर्सिटी के समय बाहर जायेंगे। इस प्रकार के अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट ला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन का काम चलाने के लिये आप रक्षा करते हैं। आप जानते हैं कि नई नई सरकार है इसलिये आपकी ठंडी नजर है, आपकी कृपा है। इसमें आगे देखिये :

"Two persons elected by the Board from amongst the persons."

क्या क्वालिफिकेशन्स होनी चाहिये। बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। अब यह दो पर्सन्स की क्या क्वालिफिकेशन है ? आप किसी मेम्बर की क्वालिफिकेशन नहीं बताते। उदयपुर के अन्दर घटना जो घटी है। 24 मार्च के रोज आपके नेताओं ने गांधीजी की समाधि पर जाकर शपथ ली और आपके गांधीजी ने कहा है in his Book—To the Students.—'Students must not take part in party politics they are students, researchers, not politicians.'

वे कहते हैं उनका काम क्या है। उनका काम है, जीवन का निर्माण करना। उनका काम यह नहीं, श्रीमान कि यहां आ जायें।

"Power politics should be unknown to the student world. Immediately they double in that class of work they cease to be students and will therefore fail to serve the country in its crisis."

मैं गांधीजी के कोटेशन्स् सारे बताना चाहता था। जयपुर में जनता पार्टी के विधायकों ने शपथ नहीं ली। शपथ लेने के बाद आप विद्यार्थियों को पोलिटिक्स में

(श्री मूलचन्द डागा)

लाना चाहते हैं। टीचर्स को राजनीति में लाना चाहते हैं, वोट लेने के लिये। मैं कहता हूं शिक्षा शास्त्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, उन्हें नई नई किताबों के साथ बैठने का मौका कब मिलेगा, वे कब पढ़ाई करेंगे ? चुनाव एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में घुसने के बाद हम लोग वक्त नहीं निकाल पाते। आपके माण्डलगढ़ से आये हुए सदस्य हैं उन्होंने बार बार कहा है कि मैं इसे पसन्द नहीं करता। सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र जैसे हैं। हमारे ढ़ाबरिया साहब तो वाक आउट कर गये। उन्होंने परम्परा डाली है। मैं कहना चाहता था कि स्टूडेंट्स और टीचर्स को पालिटिक्स में आप न लायें। अच्छे विद्यार्थियों को लीजिये, स्पोर्ट्समैन लीजिये। श्रीमान, आप बातें तो सारी मानते हैं लेकिन जब प्रवर समिति की बात कहता हूं तो ऊपर से हुकम आ जाता है आपके मुख्य मंत्री का। सारा काम केन्द्रीकरण कर रखा है, विकेन्द्रीकरण हुआ ही नहीं। यहां विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं आप। सदन की भावना नहीं मानते, ऊपर से इशारा आता है सिविल लाइन्स का···

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : आप भी माथुर साहब के इशारे से बोलते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : हमारे में अनुशासन है। आप क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, शिक्षा शास्त्री जी ? जो आपने भाषण दिया है फिर आपको क्या जल्दी थी लाने की···

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

आप खुद कह रहे थे। हमने, श्रीमान, सलेक्ट कमेटी में भेजने की प्रार्थना की···

श्री अध्यक्ष : कृपया !

श्री मूलचन्द डागा : आपकी कृपा के कारण मैं बोल रहा हूं। दो मिनट।

अब इन्होंने जो कहा है वह कह रहा हूं। अब, श्रीमान्, इसके अन्दर जो कोरम रखा है, वह कितना बढ़ाया है ? हमारे माननीय माथुर साहब कहते थे कानून कुछ और हैं और बातें कुछ और हैं। आपके जब सलेक्टेड आदमी आ जायेंगे तो क्या कोरम रखा है ?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय उदयपुर यूनिवर्सिटी के संशोधन विधेयक के पारण होने तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि माननीय मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव किया है कि सदन का समय उदयपुर यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक पारित होने तक बढ़ा दिया जाय उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी हैल्प है। 8–8 घण्टे बिठाने में तो ये हां में हां मिलाते हैं।

उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977

इसमें आगे हैं : 'The term of the nominated & elected members of the Executive Committee shall be three years.'

(श्री मूलचन्द डागा)

फिर उसमें आपने कर दिया है 13 के अन्दर वन थर्ड आफ दी टोटल नम्बर तो कितना हो गया, 6 मेम्बर, पहले कितना कोरम था ?

'Any five members present at the meeting.'

पहले पांच था और अब 6 कर दिया। एक मेम्बर बढ़ाने से क्या हो गया ? क्या कानून है ? क्या लॉ डिपार्टमेंट आपको राय देता है। शिक्षा मंत्री जी, कानून को जानने में समय लगेगा। यह लिखा है...

"Any five members present at the committee shall constitute the quorum....."

अब आपने क्या कर दिया वन-थर्ड। पहले था "Any five members present at the meeting, अब, श्रीमान्, कर दिया वन-थर्ड। वही की वही बात है और मेम्बर बढ कर हो गये 17। एक एक कमेटी का खर्चा हजारों रुपये बढ़ा दिया। कोई अजमेर से आयेगा, कोई अलवर से आयेगा, कोई कहां से आयेगा और कोई कहां से आयेगा और आयेगा फर्स्ट क्लास में। टी.ए., डी.ए. में खर्च होगा। क्या तो करेगा, कितनी मीटिंगें अटेण्ड करेगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, त्रिलोक चन्द जी, आप तो सर्वोदयी हैं इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं आप तो विनोबा जी के पास वापस चले जाओ।

श्री रतनलाल वर्मा : वह तो इन्दिरा गांधी गई थी, विनोबा जी के पास तो।

श्री मूलचन्द डागा : यह जो विधेयक लाया जा रहा है आप मानते हैं कि वह अधूरा है। इसका पर्पज एक ही है कि किसी प्रकार हमारी जनता पार्टी के लड़के लोग और विद्यार्थी वहां जाकर अपनी हुकूमत करें, डोमीनेट करें, इसलिए एकेडेमिक कौन्सिल में रख दिये। मैं आपको सही कह रहा हूं और सही दोष दे रहा हूं। इसको जल्दी लाने का पर्पज यही है कि किसी प्रकार विद्यार्थी जाकर राजनीति में हस्तक्षेप करके विश्वविद्यालय पर कब्जा करें। यह गन्दी प्रक्रिया है, इसके कारण सबका सिर नीचा हो गया है। जो धर्मदार हैं वे बेशर्म नहीं बनें। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस कानून को मत लाइये और सलेक्ट कमेटी में भेजिये। इस सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है—"उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन 15 सितम्बर, 1977 तक प्रस्तुत करे।"

हम मुख्य मुद्दों पर आपसे सहयोग की अपेक्षा करेंगे। हम सहयोग देने को तैयार हैं, हम आपको सहयोग देने के लिये तैयार हैं। चतुर्वेदीजी, जब सहयोग लें तब तैयार हैं। लेकिन, श्रीमान, ये हमसे सहयोग नहीं लेते हैं...

(व्यवधान)

हम तो आपको अपनी बात बताते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या वृद्धिचन्द जी आप बोलना चाहेंगे ?

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

श्री शंकरलाल !

(विराम)

श्रीमती सुमित्रा सिंह !

(विराम)

श्री रघुनाथ विश्नोई, आप बोलना चाहेंगे ?

(विराम)

बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिये।

श्री खेतसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं है, श्रीमान्।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, कल जिस विधेयक पर हमने चर्चा की थी वह था जोधपुर यूनिवर्सिटी बिल। आज हम दूसरी युनिवर्सिटी पर चर्चा करने के लिये खड़े हुये हैं, वह है उदयपुर यूनिवर्सिटी बिल। एक और यूनिवर्सिटी का बिल हमारे सामने पेन्डिंग है और वह है राजस्थान यूनिवर्सिटी बिल। श्रीमान्, शिक्षा मंत्री जी इस बात को मानेंगे कि यह उदयपुर यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी से बिलकुल भिन्न है। मैं इस यूनिवर्सिटी का पुराना इतिहास आपको बताना चाहता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (शिक्षा मंत्री) : मैं भी इसी यूनिवर्सिटी में रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : यह यूनिवर्सिटी जोधपुर और राजस्थान यूनिवर्सिटी से भिन्न है। यह एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसका बेसिक कन्सेप्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रहा है इसलिये इसका कानस्टीट्यूशन, इसका विधान भी जोधपुर और राजस्थान यूनिवर्सिटी से भिन्न है। यहां सीनेट और सिन्डीकेट नहीं हैं। यहां बोर्ड है। अमेरिका के अन्दर लीज लैन्ड ग्रान्ट यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा यूनिवर्सिटी आफ कोलम्बस, उस यूनिवर्सिटी से हमारी इस यूनीवर्सिटी का सम्बन्ध है यह यूनिवर्सिटी उसकी प्रोटोटाइप है और उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स लेक्चरार्स और रिसर्च स्कालर यहां पर आते थे और हमारे रिसर्च स्कालर वहां पर जाते थे। इसलिये इस यूनिवर्सिटी का अपना एक महत्व है। कोलम्बो जाकर अध्ययन करने का मुझे मौका मिला है इसलिये जो यू. एस. ए. की लीज लैन्ड ग्रान्ट यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी की बेसिक फिलोसोफी में न जाते हुये कहूंगा कि उसे ही यहां अडाप्ट किया है वह है एक रिसर्च एजूकेशन एन्ड एक्स टेन्शन। राजस्थान और जोधपुर की यूनिवर्सिटी में एक्सटेंशन का काम नहीं होता है यह यूनिवर्सिटी अपने आप में डिफरेन्ट है। इसके रिसर्च, एज्जूकेशन और एक्सटेन्शन ये तीन कन्सेप्ट है, जिसको हम उदयपुर यूनिवर्सिटी कहने लगे हैं। लीज लैन्ड ग्रान्ट यूनीवर्सिटी, जो अमेरिका में थी, उनके पास पैसा नहीं था। रिसर्च, एजूकेशन और एक्सटेन्शन के लिये उन्हें जमीनें दे दी, जमीनों पर काश्त की

(श्री मथुरादास माथुर)

गई, जमीनें बेची गईं और वह यूनीवर्सिटी डवलप हुई। हमारे यहां भी इसी तरह से किया गया। मगर होते होते हुआ क्या जो यूनिवर्सिटी का बेसिक करेक्टर था वह रहा कि नहीं रहा ? दूसरी जनरल यूनिवर्सिटी का करेक्टर डवलप हो गया। पहले इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च नहीं होता था और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट किया करते थे। अब एक साल हुआ वह उदयपुर यूनिवर्सिटी में चला गया है। अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इस समय होने लगा है, दूसरी एक्सटेंशन की एक्टीविटी वहां पर चलती थी, अब भी चलती होगी वहां पर। उनके साथ साथ में एजूकेशन का सवाल है। इसलिए मेरा इतना ही कहने का अभिप्राय है, शिक्षा मंत्री जी, बेसिकल उदयपुर यूनिवर्सिटी वैसी है जैसे लैंड लीज ग्राण्ट यूनिवर्सिटी विथ दी फिलोसोफी आफ रिसर्च एण्ड एक्सटेंशन है, अब दूसरी आर्ट, साईंस, कौमर्स की फेकल्टी इसके साथ जोड़ दी गई हैं, अब यह एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी हो गई है। मेरा निवेदन है कि आप यूनिवर्सिटीज के बारे में जब चिंतन करने बैठे हैं तो उस वक्त इस यूनिवर्सिटी के बेसिक करेक्टर को मैंटेन करिये। यूनिवर्सिटी में रिसर्च डिपार्टमेंट राज्य सरकार का है। जो रिसर्च डिपार्टमेंट पहले राज्य सरकार के पास में था वह यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं यूनिवर्सिटी के जनरल हव्वे में रिसर्च वर्क हुआ नहीं हो जाय, इसका बड़ा भारी खतरा मुझे है। जब राज्य सरकार के पास में रिसर्च वर्क था तो इसकी काफी उपलब्धियां थीं, काफी रिपोर्ट आईं मगर यह यूनिवर्सिटी में जाने के बाद यूनिवर्सिटी के पूरे हंगामे में फंस गया। मुझे डर है, मुझे खतरा है कि यह रिसर्च वर्क सफर कर जाएगा, एक्सटेंशन वर्क जो हो रहा है वह भी सफर करेगा। जब तक रिसर्च वर्क कामयाब नहीं होगा तब तक एक्सटेंशन वर्क भी ज्यादा कामयाब नहीं हो सकता। एक्सटेंशन वर्क फील्ड वर्क है और फील्ड वर्क में एग्रीकल्चरिस्ट्स से, कामन मैन से इसका सम्बन्ध है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो इस बिल के अन्दर इसको एक्जीक्यूटिव बोडी को री-कांस्टीट्यूट करना चाहते हैं और री-कांस्टीट्यूट करके इसका एक्सटेंशन कर दिया लेकिन जो इसका एक्सटेंशन वर्क है उसका सीधा सम्बन्ध फील्ड वर्क से होता है और फील्ड वर्क में एग्रीकल्चरिस्ट से सीधा सम्बन्ध होता है इसलिये एग्रीकल्चरिस्ट का सम्बन्ध होने से एक्सटेंशन वर्क में काम करने से उनका भी रिप्रेजेन्टेशन इसमें होना चाहिए। उनका रिप्रेजेन्टेशन बोर्ड में होना चाहिए। सिर्फ आप यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज की तरह से स्टूडेंट्स का रिप्रेजेन्टेशन कर दें, टीचर्स का रिप्रेजेन्टेशन कर दें और एकेडेमिशियन का रिप्रेजेन्टेशन कर दें, और सिण्डीकेट को इस तरह से री-कांस्टीट्यूट करने की सोच रहे हैं मगर इस यूनिवर्सिटी में एक्स्टेंशन से सम्बन्धित एग्रीकल्चरिस्ट का रिप्रजेन्टेशन भी होना जरूरी है। चाहे बोर्ड में करिये। बोर्ड में पढे लिखे लोग हों, प्रोफेसर, एग्रीकल्चरिस्ट और उस एरिया के लोग जहां यह फक्शन करती है। इससे सम्बन्धित लोग इसमें आवें तभी जाकर इसका एक्सटेंशन कम्पलीट हो सकेगा और रिसर्च और एक्सटेन्शन एक्टीविटी का

(श्री मथुरादास माथुर)

कोआर्डिनेशन हो सकेगा, यूनिवर्सिटी अपना वह फर्ज अदा कर सकेगी जिस के लिए यूनिवर्सिटी कायम की गई। इसलिए यह केवल एजूकेशन डिपार्टमेंट से ही पूरा सम्बन्ध नहीं रखती बल्कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी सम्बन्ध रखती है। इसका बजट एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्लानिंग में से शिफ्ट होकर इसके नीचे आता है। आप पर इसका वित्तीय भार उतना नहीं है जितना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर है। इसके पास में पहले से कई इम्प्लीमेंट्स, कई इंस्ट्रूमेंट्स, अमेरिका और कोलम्बस से भेजे गये हैं। वह सब तस्वीर अपने सामने रख कर फिर आप बोर्ड का कांस्टीट्यूशन करें और फिर इसकी एक्जीक्यूटिव का कांस्टीट्यूशन करें। यहां सिण्डीकेट और नोर्मल सीनेट वैसा नहीं है, जैसा कि दूसरी यूनिवर्सिटीज में होता है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि वहां का जो मुद्दा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का, जोधपुर यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है उससे डिफरेंट है। इसमें एग्रीकल्चरिस्ट्स का, कामन एग्रीकल्चरिस्ट्स का, जो एक्सटेंशन वर्क से आगे बढ़े हैं, जिन्होंने हिन्दुस्तान और राजस्थान के अन्दर बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम किया है एक्सटेंशन वर्क की कामयाबी से, कोई रिप्रेजेण्टेशन नहीं रखा गया है। केवल स्टूडेंट्स को लेकर ही—कांस्टीट्यूट करें, आज के कालेज स्टूडेंट्स को रिप्रेजेन्टेशन देना चाहें तो दीजिए, एम. एस.ए. का रिप्रेजेन्टेशन जो एक का रखा है, कल इसी तरह से दो का मंजूर कर लिया था तो इसमें भी मंजूर कर लेंगे, जो दूसरी यूनिवर्सिटी में किया है वह इसमें भी कर लेंगे, यह नोर्मल एण्ड लोजिकल कोरोलरी है, मैं इस पर जोर नहीं देता। मेरा निवेदन है कि इस यूनिवर्सिटी का प्रपोजीशन एग्रीकल्चर का है इसको अपार्ट फ्राम अदर एक्सटेंशन प्रोग्राम करें, जिस जगह पर है वहां के लोगों को शामिल करें इस यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट में ताकि वे अच्छी तरह से देख सकें कि इस यूनिवर्सिटी को किस तरह से चलाया जाय। तभी यह कांस्टीट्यूशन कम्पलीट होगा वरना यह एक्जीक्यूटिव लंगड़ी रह जाएगी, इसका कान्स्टीट्यूशन पूरा नहीं होगा। इसका पर्पज जो है, इसकी जो फिलोसोफी है, इसका जो ओब्जेक्टिव है वह पूरा नहीं कर पायेंगे। इसका फण्डामेंटल कंसेप्ट आपके सामने होना चाहिए। जो नोर्मल यूनीवर्सिटीज हैं, जनरल यूनिवर्सिटीज हैं चाहे वह रेजिडेंशियल हो और चाहे एग्जामिनिंग हो, उससे इसका कंसेप्ट भिन्न है। उसी को देख कर अगर आप एक्जीक्यूटिव का कांस्टीट्यूशन करने पर पुनः विचार करें तो अच्छी तरह से कम्पलीट कांस्टीट्यूशन हो सकता है। हम लोग बार बार सदन के सामने इसलिए सलेक्ट कमेटी को भेजने की बात कहते हैं कि आमने-सामने, राउण्ड दी टेबल बैठ कर विचार कर सकते हैं, आपस में बातचीत हो सकती है। यहां पर अगर कोई बात कहते हैं तो आपके सामने भी समस्या रहती है कि विरोधी दल की ओर से सुझाव आया है अब इसको मंजूर करें या नहीं करें। अफसरान आपसे दूर रहते हैं, वह पास नहीं आ सकते, उनको आप कंसल्ट नहीं कर सकते, किसी को भेज कर पुछवाते हैं तो वह पर्चा भिला देते हैं। अब पर्चे में न वह समझ सकें और न आपको समझा सकें, इसलिये आप भी कुछ नहीं कह सकते। ऐसी स्थिति में जो काम होता है वह अधूरा होता है। मुझे भी ऐसे बिलों को

(श्री मथुरादास माथुर)

कई दफा पायलेट करने का मौका मिला है और काफी बिलों को पायलेट किया है जिसमें ऐसी समस्यायें आती हैं। सलेक्ट कमेटी के अन्दर बैठ कर हम खुल कर बात कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। पोस्ट-पोन भी करें तो कोई ज्यादा नहीं, 24 घण्टे के लिए, 36 घण्टे के लिए कर दें, दो सीटिंग हो जायं, हम अपनी बात आपके सामने रख दें, आप कुछ सीखना चाहें तो आपको मुबारक, रिजेक्ट कर देना चाहें तो यह आपकी मर्जी। लेकिन कम से कम हम आपस में बैठ कर बात तो कर सकें। जब नई सरकार आई है, नए अन्दाज लेकर आई है, नए इरादे लेकर आये है, आपके इरादे अच्छे ही होंगे, ऊंचे होंगे, हम यह मान कर चलते हैं। उन इरादों को पूरा करने में आप तीनों यूनिवर्सिटीज में और शिक्षा पद्धति में क्रांति लायेंगे यह आपका इलेक्शन मेनीफेस्टो कहता है और इलेक्शन मेनीफेस्टो को लेकर एक्जीक्यूटिव के स्केलटन को कांस्टीट्यूट कर रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के स्केलटन को कांस्टीट्यूट करने से ही कामयाबी नहीं होगी उसमें शोरवा भी डालना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी का शोरवा रिसर्च–एक्सटेंशन है। रिसर्च कामयाब नहीं होता है तो एक्सटेंशन कामयाब नहीं हो सकता और इस तरह से एक्सटेंशन और रिसर्च फेल हो जाता है। जनरल एजूकेशन की तो बहुत यूनीवर्सिटी हैं, जो लड़कों को पास करके समय बिताती हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जिस भावना से, जिस नेक इरादे से आप यह करना चाहते हैं उसमें इस बात को ध्यान में रखिये कि जनरल यूनिवर्सिटीज से इस यूनिवर्सिटी की बेसिक फिलोसोफी भिन्न है और इस बेसिक फिलोसोफी को ध्यान में रख कर आप काम करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा काम होगा। हमने रिसर्च को उनको काफी दिनों तक नहीं दिया। हमारा रिसर्च काफी अच्छा था, उसकी उपलब्धियां थीं लेकिन आखिर में जाकर देना पड़ा। इसलिए मैं कह रहा था कि रिसर्च के क्षेत्र में कहीं ऐसा न हो जाय कि और यूनिवर्सिटीज की तरह इसमें भी पोलिटिक्स शुरू हो जाय और इसका सारा कार्यक्रम, रिसर्च, एक्सटेंशन और एजूकेशन वर्क सफर हो जाय। रिसर्च की जो उपलब्धियां हैं वह अगर खेत के मैदानों में नहीं पहुंचती हैं तो एक्सटेंशन का कार्य बेकार हो जाएगा। आप मुल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए यह यूनिवर्सिटी जवाबदार हो सकती है। किसान को अच्छे बीज, हाईब्रीड बीज, अच्छा रिसर्च करके यह यूनिवर्सिटी देती है वह एक्सटेंशन के जरिये एग्रीकल्चरिस्ट के पास पहुंचता है।

एक्सटेंशन के जरिये राजस्थान का प्रोडक्शन बढ़ाने में और हिन्दुस्तान का प्रोडक्शन बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर टार्च बियरर का काम कर सकती है क्रोप इंक्रीज में। इसलिये मैं इस इरादे के साथ आपके सामने रख रहा हूं कि इस यूनिवर्सिटी का कांस्टीट्यूशन करने से पहले, एक्जीक्यूटिव कमेटी का रीकांस्टीट्यूशन करने से पहले आपको इसके बोर्ड का भी री-कांस्टीट्यूशन करना पड़ेगा। होता क्या है कि इन यूनिवर्सिटीज में दो तीन एजूकेशनिस्ट हो गये, एकेडेमिशियन्स हो गये उनके द्वारा एक कन्वेंशन्स के तौर पर यूनिवर्सिटी को चलाया जाता है। अब जो आप नए इरादे से, नए विचारों से, नई फिलोसोफी के साथ कुछ करना चाहते हैं तो इतने से

(श्री मथुरादास माथुर)

ही काम नहीं चलेगा कि नीचे से बन कर प्रपोजल आ गये और आपने एक को निकाल दिया और एक को जोड़ दिया। दो विद्यार्थी हो गये, शिक्षा मंत्राजी ने मान लिया कि दो विद्यार्थी हो जायं, दो एम. एल.एज. हो जाय, पांच टीचर्स हो जायं चार टीचर्स हो जायं। हम जानते हैं इन टीचर्स को काफी अच्छी तरह से। बहुत देखा है हमने इन टीचर्स को भी। मैं कहना चाहता हूं कि इन टीचर्स का योगदान भी इन यूनिवर्सिटीज को खराब करने में कम नहीं रहा है। हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज में टीचर और टाट के अन्दर बहुत कम फर्क होता है। आज जो एम.एस.सी. फर्स्ट क्लास पास हो जाता है, जून में स्टूडेंट था, जुलाई से पास हो गया और अगस्त में लेक्चरार बन जाता है। कल जो टाट था वही आज टीचर हो गया। इसलिये मैं बहुत ज्यादा इनमें फर्क नहीं मानता। टीचर को पोलिटिक्स में भाग लेने की छूट, झंडा लेकर नारे लगाने की छूट हो। आज मैं कह सकता हूं इस यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने यूनिवर्सिटी के सिर को नीचा करने का काम किया है वाइस चांसलर को पीटा जाय, कभी नहीं हो सकता कि टीचर्स और स्टाफ के मैम्बर्स यूनिवर्सिटी के आफिस के बाहर धरना धरें। अगर आज मिनिस्टर्स राजस्थान सेक्रेटेरियट के बाहर धरना दे दें तो डेमोक्रेसी खत्म हो जायेगी। मगर टीचर्स, प्रोफेसर धरना देना शुरू कर दें तो वहां पर क्या एजूकेशन हो सकती है। वे क्या विद्यार्थियों को सबक सिखा सकते हैं। जनता का पैसा, लाखों करोड़ों रुपया आप वहां पर खर्च कर रहे हैं। खुदा के वास्ते इसका सही उपयोग हो, यह आप देखिये। इसके कान्स्टीट्यूशन पर आप सोचिये। हमें अनटचेबल नहीं रहना चाहिये। क्यों नहीं मिनिस्टर वहां जाकर बैठता है? आप क्यों अपनी बात एक्स वाय जेड से कहलाना चाहते हैं। इसमें शर्म की क्या बात है। यह कोई पब्लिक सर्विस कमीशन तो नहीं है। एक्जीक्यूटिव के अन्दर आप होंगे, अगर आपके टीचर, डाइरेक्टर वहां पर बैठ सकते हैं, तो फिर कोई कारण नहीं कि आप वहां जाकर नहीं बैठ सकते। आप एक्जीक्यूटिव बोर्ड में बैठ कर इसको मैनेज करिये। यह यूनिवर्सिटी मोहर हो गई है। इसलिए मेरा निवेदन है, इस मामले में चाहे आप मुझे कन्जर्वेटिव समझिये, मगर मैं इस मामले में यह चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी की सेंक्टिटी रिसर्च की होनी चाहिये, पढ़ाने की होनी चाहिये। परन्तु यह न होकर पोस्टर वहां पर चिपकाये जाते हैं, 'वोट फार' कहा जाता है। दीवालें रंगी जाती हैं। यह क्या मामला है। आप बेशक रिकान्स्टीट्यूट करने की सोचें। इस बोर्ड को बना रहे हैं, इस एक्जीक्यूटिव को ला रहे हैं, इसको रि-ओरियेन्ट करने को सोचिये। यह तभी हो सकेगा जब यूनिवर्सिटी को दूसरे नजरिये से देख कर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

बहुत-सी बातें मैंने यहां पर कहीं। बहुत सी बातें हैं जो मैं यहां पर नहीं कहना चाहता। इसलिये सलेक्ट कमेटी की बात कही। वहां पर इस पर विचार करें। मगर आपको सलेक्ट कमेटी में बैठने से भय है तो हमारा इसको पोस्टपोन कराने का इरादा नहीं है यह होना चाहिये परन्तु आप 24 घन्टे की सलेक्ट कमेटी बना कर, राउन्ड टेबल बैठ कर, इस पर डिस्कशन कर सोजिये और फिर फैसला कर लें we wish them all success.

(श्री मथुरादास माथुर)

इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस बिल को सलेक्ट कमेटी के सामने रखें तो बहुत अच्छा होगा। मेरा प्रस्ताव है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया!

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आप बोल सकते हैं, केवल दो मिनट।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह जो उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 प्रस्तुत किया गया है, इसके बारे में डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि यह यूनिवर्सिटी जिस पृष्ठभूमि में बनायी गयी थी, उसके बाद में साइन्स, आर्ट्स लगा कर दूसरी यूनिवर्सिटी की तरह इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कर दिया गया है। एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी गंगानगर में खुलनी चाहिये थी। एग्रीकल्चर का स्कोप गंगानगर में ज्यादा है। वहां पर यह हो, यह बात तो समझ में आ सकती है। उस समय गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण सुझाव रखे थे। उदयपुर में कौनसा एग्रीकल्चर का स्कोप है। वहां पर पहाड़ियां हैं, झीलें हैं, यह ठीक है। किसी तरह अमेरिका से ऐड लेकर यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी परन्तु इतने वर्षों के बाद यह आपका और हमारा अनुभव है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुलने के बाद उसका करेक्टर क्या हो पाया है। जो उसको मेन फंकशन दिया गया था, रिसर्च एक्सटेन्शन वर्क एग्रीकल्चर का वह आज नहीं हो रहा है। इसके अन्दर पोलिटिक्स घुस कर टीचर्स, प्रोफेसर, चांसलर में झगड़ा पैदा हो गया है। हिन्दुस्तान में यह राजस्थान का उदयपुर विश्वविद्यालय ही एक ऐसा है जिसमें कि वहां के वाइस चांसलर को लड़कों ने उनके कमरे में जाकर, जहां वे बैठे थे, पीटा, उनके हाथ पांव तोड़ दिये। यह एक ऐसा उदाहरण है जिसके पीछे पोलिटिक्स न हो, यह नहीं कहा जा सकता। लड़को में फ्रस्ट्रेशन है। टीचर्स, प्रोफेसर, वाइस चांसलर का आपस में झगड़ा है और इस झगड़े की वजह से वहां पर पालिटिक्स घुस गई है। आप इसका इलाज करने की कोशिश करें। मंत्री महोदय ने कल भी सदन में कहा था मैं हर्गिज पोलिटिक्स को यूनिवर्सिटी में नहीं घुसने दूंगा। इसकी घोषणा आप कर रहे हैं। वास्तव में आप ऐसा कर पायें तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। परन्तु साल भर बाद ही मालूम हो पायेगा कि इस यूनीवर्सिटी का किस तरह का करेक्टर बनता है।

पहले रिसर्च एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट करता था परन्तु अब वह रिसर्च वर्क भी इस यूनिवर्सिटी को सौंप दिया गया है। आये दिन हजारों की संख्या में हाई ब्रीड फसल में रोग पैदा हो रहा है। रिसर्च के बाद हाई ब्रीड बीज की सप्लाई की जाती

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

है । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ पचास तरह की बीमारियां भी लग रही हैं और उसमे काश्तकारों की सारी की सारी फसलें बरबाद हो जाती हैं । पिछले साल जीरा, राई, सरसों की फसलें बरबाद हो गईं । इन फसलों में अनेक प्रकार के कीड़े पैदा होने लगे और उससे फसलें नष्ट हो गईं । अध्यक्षजी, यह कहते हुए मुझे दुःख होता है कि उदयपुर यूनिवर्सिटी ने क्या किया है ? कौनसी बीमारी के लिए क्या उपाय सुझाये हैं, किस तरह का उपचार सुझाया है ? क्या साधन गवर्नमेन्ट को दिये हैं, यह मैं जानना चाहूंगा । यह रिसर्च वर्क जो पहले डिपार्टमेन्ट कर रहा था वह भी उसको दे दिया गया है । पहले डिपार्टमेन्ट ज्यादा रिसर्च करता था । जब यह यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा था, डिपार्टमेन्ट ने इसका विरोध किया था । परन्तु यह सारा का सारा रिसर्च वर्क देने के बाद, वहां पर यूनिवर्सिटी में झगड़े हो रहे हैं । कुछ भी काम नहीं हो रहा है रिसर्च का । नये प्रकार के बीज निकालने के बाद जो बीमारियां उनके साथ आ गई हैं, उसके बारे में उदयपुर यूनिवर्सिटी ने क्यों नहीं सोचा ? उनका यह रिसर्च क्यों ठंडा है । कई जिलों में, नागौर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, सीकर और झुंझुनूं जिलों में बाजरे की हजारों मन की फसलें नष्ट हो गई हैं और उनके चारे को जानवर खा लें तो जानवर मर जायें । बाजरे को अगर खा लें तो आदमी मर जाये । यह जहर इनके साथ पैदा हो गया है । यह जो स्थिति पैदा हुई है इसके बारे में माननीय मंत्रीजी इस तरह जो एक्जीक्यूटिव बोडी में आप सुधार कर रहे हैं, उससे कोई खास सुधार नहीं होगा । जैसा आपने कहा, हमारी मजबूरी है । इमर्जेन्सी की जो कुछ एक्जीक्यूटिव कमेटी थी, वह छोटी थी, उसको आप बड़ी बनाना चाहते हैं । इसके साथ जो कन्ट्रोल बोर्ड है, उसमें भी आपको सुधार करना चाहिये । यह मेन बोडी है । इसमें भी सुधार होना चाहिये । एक्जीक्यूटिव बोडी के बारे में कानून पास करने से आपकी मंशा की पूर्ति हो जायेगी, इसमें मुझे सन्देह लगता है । मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप इस बिल को सलेक्ट कमेटी में रखें । यह आप मन्जूर कर लें तो यह आपके लिये अच्छा होगा । अच्छे संशोधन आप ला सकेंगे । आपको हम सुझा सकते हैं । आपने भी मन्जूर किया है कि और संशोधन कर सकते हैं । इस स्टेज के ऊपर, इस वक्त पर कोई संशोधन मन्जूर करना चाहेंगे तो भी आप नहीं कर सकेंगे और यह कानून वैसा का वैसा ही पास हो जायेगा । आपको बार बार संशोधन करने पड़ेंगे । पहली सरकार का दोष रहा है तो आप क्यों रिपीटिशन कर रहे हैं । आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा । इसलिए, अध्यक्षजी, आपकी मार्फत मंत्री महोदय को सलाह दूंगा कि आप इस पर विचार करें मुख्य मंत्रीजी से सलाह कर लें और इसको सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दें । मेरे ख्याल से पहाड़ नहीं गिर जायेगा । आपकी जिद है तो वहीं कह सकता । सलेक्ट कमेटी से इसमें सुधार होगा इसलिए इस उदयपुर विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 1977 को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उदयपुर यूनिवर्सिटी (अमेण्डमेण्ट) बिल, 1977 को विचारार्थ इस सदन में रखा। इसके बारे में विरोधी पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने कुछ आपत्तियां रखी हैं। जिन्होंने आपत्तियां रखीं, उनमें से कुछ एक माननीय सदस्य बैठे हैं और भी होते तो बड़ा अच्छा होता, अपनी बात कहने के बाद मेरी बात सुनने का मौका मिलता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक सीमित कार्य के लिए यह संशोधन इस सदन में रखा गया है। शायद विपक्षी दल के माननीय सदस्यों ने इस बात को मान लिया कि इसकी अविलम्ब आवश्यकता है, एकदम आवश्यकता है। इसी कारण से कल जो उन्होंने तर्क प्रस्तुत किये थे और जिनका मैंने जवाब देने की कोशिश की थी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि सीमित कार्य के लिए इस संशोधन की अविलम्ब आवश्यकता स्वीकार की है। जब इस बात को स्वीकार कर लिया तो जैसी कि हर दिन आवश्यकता होती है, विश्वविद्यालय के कार्यकलाप चलाने के लिये, उसमें इस संशोधन को स्वीकार करें तो कितनी बड़ी बाधाएं पैदा करेंगे। उनके तर्कों में इसकी काफी झलक आती थी। अब प्रत्यक्ष रूप से मानते हैं कि अविलम्ब आवश्यकता है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पाली से आने वाले माननीय सदस्य श्री मूलचन्द डागा ने यह तर्क दिया कि संख्या 11 से 17 कर दी गई। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह 17 से 11 कब हुई ? आज 11 से 17 होने की चर्चा की जा रही है। यह 17 से 11 कब किस परिस्थिति में हुई ? क्या इसको आपने अपने अन्दर ढूंढने की कोशिश की ? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं विश्वविद्यालय में जहां–जहां शिक्षक रहते हैं, प्रोफेसर रहते हैं, पुराने विद्यार्थी भी रहते हैं रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के नाम से, जो कि चुनाव में पहले से भी आते थे, विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए उनका भी पार्टीसिपेशन होता था। क्या विश्वविद्यालय विद्यार्थी लोगों के लिए बना हुआ है, विद्यार्थी लोगों के लिए, शिक्षकों के लिए है ? जनता के नुमाइन्दे एम.एल.एज. भी हैं। इनमें इनका समावेश करने में आपको क्या तकलीफ है ? अगर समावेश करना पड़ेगा तो संख्या तो बढ़ जायेगी। 11 से 17 करने पर बढ़ जाएगी। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि कितनी फिजूल खर्ची होती थी। क्या जल्दी थी। मैं उसकी चर्चा सदन में नहीं करना चाहता हूं। इसलिए इनका पार्टीसिपेशन करना आवश्यक है तो 11 से 17 करने के प्रश्न पर किसी भी दृष्टि से विचार की आवश्यकता नहीं है और न इसका औचित्य है। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि नामजद व्यक्तियों का बहुमत है। मैं पूछना चाहता हूं, आपातकालीन स्थिति में वह कहां थे ? चुनाव में आया कोई भी वहां नहीं था। मैं भी शिक्षक रहा हूं। मैं जानता हूं कि विश्वविद्यालयों का सारा वातावरण एकेडेमिक होना चाहिए। सारे विभाग उसके अविभाज्य अंग होने चाहिए ताकि वह

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

अपनी-अपनी बात हल कर सकें। इसी कारण से उसमें उतने ही लोगों का समावेश करने का प्रयत्न किया गया है। अब रोटेशन से सब हो रहा है। अकाचक्रित पद से आने वाले लोग हैं। वह भी इस पद्धति का एक तरीका है। मैं जानता हूं, कई संस्था हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए नहीं आयें। इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि नामजद लोगों का बहुमत है। बड़ा अच्छा होगा यदि इस बात पर पुनः विचार करें। सारे कान्स्टीटुएण्ट को बनाने का विचार रखा गया है। इस का निश्चित रूप से स्वागत करेंगे।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि विश्वविद्यालय को चुनाव का अखाड़ा बनाया जा रहा है। शायद उन्होंने पूरी जानकारी नहीं ली है। विद्यार्थी का चुन कर आना या चुने हुए लोगों में से नहीं आने का प्रश्न है। विद्यार्थियों का चुनाव बोर्ड आफ कण्ट्रोल से होता है, बोर्ड आफ कण्ट्रोल से पहले 11 विद्यार्थी चुन कर आते हैं। जिन में से 7 विद्यार्थी चुनाव लड़ कर आते हैं, स्टूडेण्ट्स रिप्रेजेण्टेशन में 4 रहते है। जिन्होंने मेरिट प्राप्त की है, फर्स्ट पोजीशन भी है ऐसे चार मेरिटोरियस हैं। 7 इलेक्टेड विद्यार्थी हैं। इस प्रकार से 11 विद्यार्थी मिल कर बोर्ड आफ कण्ट्रोल में आते हैं। फिर इन 11 में से चुनाव होता है। इस प्रकार सिण्डी-केट में एक विद्यार्थी होता है। मैं पाली से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा वह बोर्ड आफ कण्ट्रोल के बारे में पढ़ें। मेरिटोरियस विद्यार्थियों का विचार किया जाता है। जो जितने अधिक लोगों का विश्वास प्राप्त करेगा वह आ सकेगा। विद्यार्थियों का चयन बोर्ड आफ कण्ट्रोल के लोग करते हैं। 11 विद्यार्थियों में से मेरिटोरियस भी हो सकता है। वही सिण्डीकेट का सदस्य चुन कर आयेगा। इसीलिए यह तरीका दिया है, इन्होंने शायद ज्यादा बोर्ड आफ कण्ट्रोल को समझने का प्रयत्न नहीं किया है। इसलिये चर्चा की गई है इस प्रकार की कि उदयपुर विश्वविद्यालय के डा. पृथ्वीसिंह लाम्बा को बिना नोटिस दिये निकाल दिया गया है। शायद उन्होंने सोचा, अपनी बात कह जायें और चले जायें। किन्तु निश्चित रूप से यह बात उन तक पहुंच जायगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : चाय पीने गये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : But we are listening to every word of yours.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बहुत बहुत धन्यवाद !

पिछले कुछ वर्षों से और उसके पहले से विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इन सब बातों को कह कर तो सदन का समय बेकार नहीं करना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में पिछले दो-ढाई सालों के अखबार रंगे हुए हैं, क्या व्यवस्था रही है, कैसी व्यवस्था रही है, कौन जिम्मेदार थे उनके लिए, किसकी सरकार थी, कौन सहन करते रहे इन सभी बातों को, क्या कभी इस पर भी विचार किया है ? काफी शिकायतों के पुलिन्दे हमारे पास आये है, जनता की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से, शिक्षकों की ओर से। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, काफी बड़ी संख्या में वहां के प्रोफेसर और

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

लेक्चरार स्टोप गैप अरेन्जमेण्ट के रूप में रखे गये थे, कई को बिलकुल एबसेन्स के रूप में लिया गया उस विश्वविद्यालय से पच्चीसों प्रोफेसर को निष्कासित कर दिया गया था। मैं यह कहना चाहता हूं, बड़े दुःख से, अवस्था यहां तक हो गई कि डाक्टर श्रीवास्तव निकाले गये, उनके मन पर काफी सदमा पहुंचा। उनकी बिलकुल एबसेन्स कही गयी, उनको निकालने की बात की गई। इतने बड़े आदमी को इससे इतना बड़ा सदमा पहुंचा कि वह इस असार संसार को छोड़ कर चले गये। सरकार देखती रही और किसी ने चिन्ता नहीं की। आज तक, अभी तक डाक्टर पृथ्वीसिंह लाम्बा थे, अब चले गये, उनकी पत्नी को ग्रेच्युटी नहीं मिल पायी, प्रोविडेन्ट फण्ड नहीं मिल पाया। वह नहीं मिल सका क्योंकि वह तानाशाह थे। वह तानाशाह वाइस चांसलर बिठाये गये थे। वहां जो स्थिति थी उसको सरकार देखती रही और सहन करती रही। उस विश्वविद्यालय की ऐसी स्थिति हो गई थी। आज तो हमारे जालौर के माननीय सदस्य श्रीमान विश्नोईजी ने कहा कि कठिनाइयां हो रही हैं, फैसलों में कड़ाई हो जाती है, किन्तु उस समय कौन थे जो देखते रहे, कौन सरकार थी जो देखती रही? इतने वर्षों तक क्या हुआ? एक महीना हुआ है, जनता पार्टी ने कहा कि जो भी शिकायतें आई हैं उनकी जांच होगी। डाक्टर लांबा बोरी बिस्तर गोल करके चले गये। इसके लिए कदम उठाना पड़ा। कदम उठना हम जानते हैं, मैंने उस दिन भी कहा कि हम नये हैं, गलतियां हो सकती हैं लेकिन काम को टालना नहीं चाहते, काम करने की क्षमता रखते हैं। वहां पर किस तरह से जश्न मनाया गया उदयपुर विश्वविद्यालय में, राजस्थान विश्वविद्यालय में जश्न मनाया गया, डाक्टर पाण्डे के बारे में कल······

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़): कल टाइम है, आज क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? कल मिल जायेगा समय। आज इस बिल पर आपकी तैयारी है तो समय का सदुपयोग कीजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी: तो मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद उस स्थिति को बदलने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाये हैं, उसके परिणाम भी निकले हैं। इतना ही नहीं उसमें हमने इन्क्वायरी कराने का भी तय किया है, यूनिवर्सिटी अफेयर्स की इन्क्वायरी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह तय किया है–

"Shri S. K. Singh, Retired Judge of the Allahabad High Court to hold an enquiry in the following matters connected with the administration and finances of the Udaipur University during the last five years—"

यह हमने तय किया है कि:—

—Appointments and selections made.

—Victimisation and harassment of teachers.

—Financial management of the University in general.

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

—Grave financial irregularities in finalising the contracts for construction works in the University.

—Mis-use af University funds and resources in particular.

—Group politics and favouritism in the University.

—Arbitrary actions in academic and administrative matters.

—Ignoring the provisions of the Act and Statutes.

—Mis-use of powers during the period of emergency by any officer, authority or employee of the University.

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : यह टर्म्स आफ रेफरेन्स है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जी हां।

'Any other matter of importance which may come to or is brought to the notice of the enquiring authority.'

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह भी निश्चित किया गया है कि 31 अक्टूबर, 1977 तक सारी इन्क्वायरी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो जाय। मैं समझता हूं, इस प्रकार की कठिनाई की ओर इस कठिनाई के कारण कड़ाई से कदम उठाने का विचार किया है और इस कारण से विरोधी दल के माननीय सदस्य भी मुझसे इस बात के लिए सहमति व्यक्त करेंगे कि यूनिवर्सिटीज अफेयर्स में जो इस प्रकार की बातें हुई हैं, वहां वाइस चांसलर के साथ सीनेट भी है, सिण्डीकेट भी है वह ऐसे व्यक्तियों की बनी हुई है जो वाइस चांसलर के नोमीनेटेड हैं उसको नई बनाने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि विरोधी दल के सदस्य, जिन्होंने इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया है, मेरी भावना के साथ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : सिण्डीकेट नहीं, एग्जीक्यूटिव बॉडी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : Sorry।

सहमति व्यक्त करेंगे और संशोधन को वापिस ले लेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जाइये पूछ लीजिये इशारे से, ऊपर चले जाइये मुख्य मंत्रीजी से पूछ लीजिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इशारों पर नाचने वाले कोई और होते हैं। सात दो साल से कठपुतली की तरह कौन नाचते रहे। अध्यक्ष महोदय, सारी बातों को तय किया जा रहा है।

डीडवाना से आये हुए माननीय सदस्य श्री मथुरादासजी माथुर ने भी कुछ बात रखीं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक सदन में पांच साल 1957 से 1962 रहे, कुछ ऐसी कृपा हुई उनकी और भूतपूर्व मुख्य मन्त्री महोदय श्री मोहनलाल जी की, जिस दिन विश्वविद्यालय बनने वाला था, क्योंकि ललित चतुर्वेदी वहां न रह जाये वरना यूनिवर्सिटी बनने के बाद उसका

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
हटाना मुश्किल होगा, इस कारण से बड़ी कृपा की उन्होंने कि एग्रीकल्चर कालेज जो है, वहां से पांच साल तक मुझको सीधा वहां भेज दिया जहां से माननीय सदस्य श्री मथुरादासजी माथुर आते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अभी तो यहां बैठ गये हो, भाई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लीज लैण्ड ग्राण्ट्स कालेज के पेटर्न पर वह एग्रीकल्चर कालेज चलता है जिस प्रकार से, युनाईटेड स्टेट की ग्रान्ट ली जाती है, वहां से चल कर आती है।

माननीय सदस्यों ने जिक्र किया इस बोर्ड आफ कन्ट्रोल में एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहिये। बात सच है और इसलिए आप देख लीजिये नम्बर 2 पर Sorry नम्बर 3 पर डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर, नम्बर 4 पर डाइरेक्टर आफ एनीमल हस्बेन्डरी और नम्बर 5 पर नामिनी आफ आई.सी.ए.आर. इण्डियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च···

श्री श्योपत सिंह मकासर : कोई काश्तकार हैं या नहीं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं बता रहा हूं। जो जनरल बॉडी है, जिसमें से चुनकर बोर्ड आफ कण्ट्रोल आता है, उसमें two persons are progressive farmers.

श्री श्योपतसिंह मकासर : What do you mean by progressive farmers ?

श्री मथुरादास माथुर : एग्जीक्यूटिव की बात करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बता रहा हूं। इसी बोर्ड आफ कण्ट्रोल में से चुन कर एग्जीक्यूटिव बाडी में लोग आते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बोर्ड आफ कण्ट्रोल में से चुन कर भेजेंगे ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सुनो तो सही। Two persons are progressive farmers. जो उसमें आते हैं चुनाव लड़ सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : दो ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जी हां।

श्री परसराम मदेरणा : बोर्ड की स्ट्रेंग्थ क्या है ? It is just like Senate.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जो खड़े होने वाले हैं उनमें से दो विद्यार्थी हैं, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स हैं और केवल मात्र दो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं।

श्री मथुरादास माथुर : कहां रह गये उनके सामने ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कमाल करते हैं आप। इन आल छः हैं। ये सदस्य रहे हैं हमारे राज्य मन्त्री आये, चुनाव लड़े। 6 में से 2 वे लोग हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : किसान चुन कर आ सकता है क्या ? किसान को नोमीनेट क्यों नहीं करते ? जो कि राज-

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
स्थान में हाइएस्ट उत्पादन करने वाला हो। दो फील्ड्स में से लीजिये–एक गेहूँ से एक गन्ने में से।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या दिक्कत है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्रोग्रेसिव फार्मर जो अच्छा किसान होगा चाहे गेहूं का, चाहे चावल का हो किन्तु शिक्षा की दृष्टि से एक विश्वविद्यालय को चलाने के लिए पोस्ट–ग्रेजुएट होगा तो वह चुनाव लड़ेगा और जीत कर आयेगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कई बार अनपढ़ आते हैं, प्रोग्रेसिव किसान हैं इसलिए हमारा निवेदन है कि एग्जीक्यूटिव में सीधा किसान रखो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक तरफ पाली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि लम्बी चौड़ी हो रही है, दूसरी तरफ रिप्रेजेन्टेशन करते समय आप चाहते हैं कि रिप्रेजेन्टेशन सब का हो। हमने सब का सामन्जस्य रखा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बिना सामन्जस्य कैसे होगा ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मुझे अपनी बात कहने दीजिये।

इस कारण से जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा, एक सीमित उद्देश्य के लिए किन्तु अविलम्बनीय आवश्यकता को समझ कर सब बातों की पूर्ति करते हुए एक संशोधन विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। मैं चाहूँगा, जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि अविलम्बनीय आवश्यकताओं को समझ कर, इसकी भावना का आदर करके विरोधी दल के माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लेंगे और इस संशोधन विधेयक के पारित होने में सहयोग देंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने इसमें जो सुझाव रखा है उसमें डाइरेक्ट किसान को रखें, जो प्रोग्रेसिव किसान हो उसको रखें। प्रोग्रेसिव किसान फर्स्ट चुनाव में तो नहीं आयेगा। पार्टी पोलिटिक्स की बात भी नहीं है। कन्सीडर करें कम से कम क्या प्रेक्टीकल अनुभव होना चाहिए किसान का, आप सब पढ़े-लिखे लोगों को भेजेंगे।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : आप व्यवहारिक बात बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृति)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री श्योपत सिंह (मकासर) : हमारा सुझाव तो आपको मानना ही पड़ेगा, आपके सारे सदस्य आप पर दबाव डालेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्लाज 2। मैं दो संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं:

Replace clause (x) of sub-section (11) of Section 19, sought to be substituted by the following:—

"(x) Two teachers, who have put in not less than seven years teaching experience in the institutions of higher education in Rajasthan on 1st January immediately preceding the year in which elections are held, other than University Professors, Principals/Directors/ Deans of constituent/associated/affiliated colleges to be elected by the teachers separately from amongst themselves as below:—

(a) One teacher to be elected from amongst themselves by the teachers of the University teaching departments and constituent colleges.

(b) One teacher to be elected from amongst themselves by the teachers of affiliated colleges."

अध्यक्ष महोदय, कल मैंने इस सम्बन्ध में चर्चा आपके सामने रखी थी। स्पेसिफिक रूप से दो टीचर्स अलग अलग कान्सीट्यूएंट्स के हों जिसमें से एक यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट कान्सटीट्यूएन्ट कालेज का हो और एक एफिलिएटेड कालेज का···

श्री परसराम मदेरणा : आपने सबक्लाज को सब्स्टीट्यूट किया है वह तो पहले ही था। ड्राफ्टिंग में गलती थी वह ठीक हो गई। ज्यादा विवरण क्या दे रहे हैं ot less than seven years. डीन एक्सक्लूड किया हुआ था। आपने बहुत स्पेसिफाई किया है कहीं लेकूना नहीं है, आपका इरादा ठीक है। आप दूसरा क्लाज मूव करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :

Replace clause (xii) of sub-section (11) of section 19 sought to be substituted by the following:—

"(xii) Two persons to be elected by the Board from amongst its non-teacher and non-student members who are not the employees of the University or any of the colleges associated with it."

इसमें दो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट होंगे, दो प्रोग्रेसिव फार्मर्स होंगे। इस तरह कोई कमी नहीं है जो मैंने संशोधन रखा है····

श्री श्योपतसिंह मकासर : What is the definition of progressive farmers. यह प्रोग्रेसिव फार्मर्स की डेफीनेशन क्या है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य, ध्यान ग्रहण करें। वह तो इसमें आ जाएगी। इसमें दो नोन-टीचर्स रखे, दो स्टूडेन्ट रखे हैं। इसमें आ जायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : किसान आ जायेगा ?

श्री मूलचन्द डागा : कैसे आ जायेगा किसान इसमें ?

श्री मथुरादास माथुर : किसान के नाम पर कोई किसान आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी अमेन्डमेन्ट उदयपुर विश्वविद्यालय के बारे में दिया है यह सब-सेक्शन (13) में है :

In sub-section (13) of section 19, sought to be substituted, after the words "of its business, the following words shall be added:—

"and all resolutions shall be approved by two-third majority of the members of the Executive Committee."

अध्यक्ष महोदय, अभी अभी हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने सदन में यह कहा था कि फिजूल खर्ची कम करने के लिये यह किया जा रहा है। मैंने भी मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि इससे तो यूनिवर्सिटी में फिजूल खर्ची हो सकती है। इस तरह से तो गवर्नमेंट का जो लाखों रुपये का अनुदान दिया जाता है वह गलत तरीके से इस्तेमाल होने का हमेशा खतरा बना रहेगा। यह बात मैंने वजीरे तालीम को अर्ज की है। एग्जीक्यूटिव कमेटी में 17 मेम्बर्स होते हैं उसमें से एक तो वाइस चान्सलर खुद और दूसरे पांच और नोमीनेट किये हुए हैं इस प्रकार 6 आदमियों का कोरम होता है यानि 17 का एक तिहाई का ज्यों ही कोरम किसी रिजोल्यूशन की तस्दीक करता है उस पर फैसला हो जायेगा। इस प्रकार मैं समझता हूं इसमें एक शंका बनी रहेगी। सरकारी अनुदान का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा कोई भी पांच ताईद कर देंगे रिजोल्यूशन की। तो मेरी गुजारिश है कि आप इस फिजूल खर्ची को रोकें। इसके अलावा आप आज यह बात कह रहे हैं कि इससे यूनिवर्सिटी के अन्दर डेमोक्रेसी के बजाय उसमें ज्यादा हस्तक्षेप होगा वह मैं नहीं कहता। मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी की आटोनोमी बनी रहे। इस ख्याल से सिर्फ इतनी ही गुजारिश करना चाहता हूं कि चाहे इस खर्च में कोई बिल्डिंग बनाने का सवाल हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कोई रिसर्च का काम हो, गोया कोई बात हो, इसके लिये मैंने यह सुझाव दिया है कि टू थर्ड मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास होने चाहिये। मैं वजीरे तालीम से यह गुजारिश करना चाहता हूं, यहां पर कोई बात का ध्यान नहीं रखा जाता है सिर्फ हां या ना में जवाब पूरा हो जाता है। वैसे, अध्यक्ष महोदय, मैंने हाउस के बाहर एक मुहावरा सुना है, 'बाल हठ' तो सुना है और देखा भी है लेकिन सदन के अन्दर आकर मैंने एक हठ और देखा वह है 'राजहठ'। यह वह हठ है कि हम समझायें तो भी वह समझें नहीं। कोई अच्छी बात गुजारिश करते हैं तो वह भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। कोई ऐसी बात जो कि हम देश के भविष्य में आने वाले लोगों के लिये तय करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में हमारे देश की बागडोर सम्भालेंगे उनके लिये कुछ अच्छी बात कहें तो मेरी समझ में नहीं आता कि उस अच्छी बात को नहीं मानने का क्या तरीका है ? यह एक बिलकुल राजहठ का उदाहरण है। आप अपने आप को सुधारने को तैयार ही नहीं होते। आप

(श्री अब्दुल अजीज)
अपने दिल से सोचें और अपने जमीर से कहें कि क्या इस हाउस के थ्री–फोर्थ आदमी भी ऐसे हैं जो कि इस बिल के बारे में कुछ भी समझते हैं। मैं समझता हूं बिलकुल नहीं समझते। सिर्फ एक बात है, हां कहना है तो हां कह देते हैं, ना कहना है तो ना कह देते हैं।

श्री पदम सिंह (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल गलत है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैंने गुजारिश की कि थ्री–फोर्थ लोग नहीं समझते हैं इसको मैं चेलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि नहीं समझते हैं। हों तो जवाब दे दें। मैं जानता हूं हमारी कमजोरी। हम जानते हैं, हमारे में क्या खामियां हैं। मैं खुद कानून का स्टूडेन्ट हूं मुझे पता है ..

श्री पदम सिंह : अध्यक्ष महोदय, ओन ए पाइन्ट आफ आर्डर। एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री पदम सिंह: यह कह रहे हैं कि हम में ज्ञान नहीं है।

श्री अब्दुल अजीज : मैं चेलेन्ज कर सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अच्छी राय दे रहा हूं। कोई अच्छी बात कहें तो मानने को तैयार नहीं। मेरी गुजारिश थी इसके बारे में थोड़ा मानस बनाया जाय। फिजूलखर्ची को रोकने के बारे में वजीरे तालीम से कहा कि इसके अन्दर आप थ्री–फोर्थ का रखें, न ही सारी टू–थर्ड की मेजोरिटी होनी चाहिये एक्जीक्यूटिव द्वारा रिजोल्यूशन पास होने के लिये। सिर्फ इसलिए कि विपक्ष के सदस्यों ने कोई संशोधन किया है चाहे कितना ही वाजिब क्यों नहीं हो, उसे नहीं मानना है तो राजहठ ही है। इसको आप अच्छे नजरिये से देखिये, जरा बारीकी से सोचें। इसलिये कि वाइस चान्सलर फिजूल खर्ची नहीं करें इसके लिये टू–थर्ड मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास होना चाहिये इसके रिजल्ट्स अच्छे आयेंगे। यह राय खराब नहीं है। आप डेमोक्रेटिक सेट अप यूनिवर्सिटीज में करना चाहते हैं, it is in the interest of the University.

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, फिजूल खर्ची की तरफ ध्यान रखना। मितव्ययता होनी चाहिए उसमें फिजूल खर्च नहीं होना चाहिये।

श्री अब्दुल अजीज : इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इसे समझें, इस पर गौर करें और मेरे संशोधनों को मान लें।

श्री अध्यक्ष : मितव्ययता बहुत अच्छी चीज है।

श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मेरी तो दो ही तरमीम हैं कल वाली जो एक तो आपने कल मान ली थी, एक की जगह दो एम.एल.ए. रखने की, दूसरा मेरा अमेंडमेन्ट यह है कि आप उसमें फाइनेन्शियल कमिश्नर को सदस्य रखें या डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेन्स को उसमें मेम्बर रखें ताकि पैसों के खर्च में कोई गड़बड़ी नहीं

(श्री मथुरादास माथुर)

हो। नहीं तो ऐसा होता है कि इधर के पैसे उधर और उधर के पैसे इधर खर्च कर देते हैं। यह कोई बात खराब नहीं है प्रेक्टिकेबल भी है। एक्जीक्यूटिव कमेटी में फाइनेन्शियल कमिश्नर मेम्बर हो जायें तो अच्छा है। इससे फायदा होगा और कोई खराब काम नहीं होगा। गवर्नमेन्ट को फायदा होगा मेरे तजुर्बे का फायदा उठाना चाहें तो उठा लें। वैसे आप देख लें। अगर अपोजीशन का अमेन्डमेन्ट समझ कर नहीं मानें तो आप देख लें मुझे कोई एतराज नहीं है। आगे आप देख लें, मुझे इससे ज्यादा कहना नहीं है। बस यह कह कर मैंने अपने जो अमेन्डमेन्ट दिये हैं उन्हें मूव करता हूं। अमेंडमेंट इस प्रकार है—

In sub-section (11) of section 19 sought to be substituted:—

"(i) Insert a new clause (v-a) after clause (v) as follows:—

(v-a) Financial Commissioner to the Government of Rajasthan or any other person to be nominated by him, not below the rank of the Deputy Secretary to the Government; and

(xi), replace the word "one" by the word "Two".

श्री परसराम मदेरणा : एक अमेन्डमेंट श्री दाऊदयालजी का और है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अमेन्डमेन्ट दिया है उसको वापस लेने के लिये व्यवस्था चाहूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : मूव नहीं करना चाहते ?

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं मूव नहीं करना चाहता। मेरी मंत्री महोदय से बातचीत हो गयी है। मैं इसे वापस ले रहा हूं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मैं सोच रहा था कि विरोधी पार्टी के और दूसरे सदस्यों के सुझाव होंगे उन्हें शिक्षा मंत्रीजी मंजूर करेंगे। परन्तु ऐसा महसूस होता है कि अभी सोच ही रहे हैं। प्रोग्रेसिव किसान की डेफीनेशन क्या हो, इसके बारे में आपने सोचा ही नहीं। क्या होनी चाहिये इसकी डेफीनेशन यह आपने नहीं बतायी। मान लीजिये कि पांच किसान हैं, कोई गन्ना बोता है, कोई गेहूं, कोई बाजरा, कोई ज्वार बोता है, कोई मक्का बोता है और दूसरी जिन्स बोता है। इसलिये प्रोग्रेसिव किसान की डेफीनेशन आनी चाहिये। दूसरे किसान को मत लेजाइये··

श्री अध्यक्ष : आपका कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैं समर्थन में बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट के लिये बोल लीजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी इस पर सोचें। किसान अपनी बात कह सके। मेरी और कोई दिलचस्पी नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री अब्दुल अजीज जी का जो संशोधन है मैं उसे मानने की स्थिति में नहीं हूं। मुझे तो ऐसा लगता है, उन्होंने भाषण शुरू किया और एक तरह से हम सब को गंवारों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। टू-थर्ड से शुरू हुए, थ्री-फोर्थ पर पर आ गये। थ्री-फोर्थ से फिर टू-थर्ड गये और फिर थ्री-फोर्थ आ गये। यह विधान सभा भी एक सर्वोच्च बोडी है यहां पर भी सिम्पल मैजोरिटी से निर्णय लेते हैं। इसलिये उनका सुझाव है वह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

माननीय सदस्य जो डीडवाना से पधारे हैं श्री मथुरादासजी माथुर उनका जो दूसरा संशोधन है उसको मैं मानने के लिये तैयार हूं और पहला मानने के लिये तैयार नहीं हूं जिसका कारण मैं कल बहस में निवेदन कर चुका था।

श्री मूलचन्द डागा : वहां से आगया उसको देख कर बोल रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जैसा मैंने निवेदन किया, माननीय श्री मथुरादासजी माथुर के दूसरे संशोधन प्रस्ताव को मैं स्वीकार करता हूं और पहले को नहीं। मेरे संशोधन प्रस्ताव आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो अपने प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं वे खड़े होकर इंगित करें कृपया।

संशोधन प्रस्ताव। श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज : मैं वापस नहीं लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव माननीय श्री अब्दुल अजीज ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री मथुरादासजी माथुर, आपके दो प्रस्ताव हैं। एक तो मंत्री महोदय ने मंजूर कर लिया है। दो दफा रखूं?

श्री मथुरादास माथुर : एक तो मंत्री महोदय ने मंजूर कर लिया है और दूसरे के लिये जो भी निर्णय हो वह हो जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन मंत्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री परसराम मदेरणा : एक संशोधन मथुरादासजी माथुर का स्वीकार हुआ है दूसरे को वोट पर रखिये।

(विराम)

मथुरादासजी का एक तो स्वीकार कर लिया वही संशोधित रूप से स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को माननीय मथुरादासजी के संशोधन सहित स्वीकार किया जाय?

Page No 120

120

श्री परसराम मदेरणा : उनका भी है।

श्री अध्यक्ष : फिर वोट लेता हूं। संतुष्ट है या नहीं विरोधी दल।

श्री परसराम मदेरणा : नम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि चूंकि यह रिकार्ड में रहेगा इसलिये·····

श्री अध्यक्ष : रिकार्ड पर एरर नहीं आयी है। रिकार्ड पर ध्यान दिलाया वैसा ही निवेदन कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में माननीय मथुरादास माथुर का संशोधन (i) स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में माननीय मथुरादास जी माथुर का संशोधन (ii) स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 माननीय मंत्री के संशोधन व माननीय मथुरादासजी माथुर के संशोधन सहित स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2, संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 पर कोई संशोधन नहीं है।

खण्ड 3

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम इत्यादि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम, इत्यादि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उदयपुर यूनिवर्सिटी बिल, 1977 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को संशोधित रूप में पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल शनिवार, दिनांक 30 जुलाई, 1977 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 6.11 सायं शनिवार, दिनांक 30 जुलाई, 1977 के मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)।

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 121 की सूची)

क्र.सं.	नाम ग्राम	चरागाह ख. नं. जो बदला गया	रकबा जो बंजड में बदला गया	किसके द्वारा बदला गया	नाम आवंटी जिनको भूमि आवंटित की गई	रकबा
1.	सागोरा	68	29 बीघा 14 बिस्वा	आदेश जिलाधीश कोटा क्रमांक एफ. 15(14) 3924-27 दि. 12-7-74	श्री मथुरा बैरवा सागोड़ा	3)
					श्री रामपाल चमार सागोड़ा	3)
					श्री देवीलाल बैरवा सागोड़ा	6) 14
					श्री हीरालाल बैरवा सागोड़ा	3)
					श्री रामदयाल श्रीवास्तव छबड़ा	3)
					श्री चतुर्भुज चमार सागोड़ा	
					श्री किशोर चमार सागोड़ा	3)
					श्री रामचन्द्र चमार बोलखेड़ा	3)
					श्री मोती लाल चमार सागोड़ा	3)
					योग	29) 14
2.	कईथावम	863	3 बीघा	राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 2(244) राज/3/75 दि. 2-9-75	इस भूमि का आवंटन नहीं किया गया।	
		867	44 बीघा 12 बिस्वा			
			47) 12 कुल			

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 124 की सूची)

ANNEXURE 'A'

Statement showing the net rate for supply of electricity for all categories of consumers existing in R.S.E.B.

1. Domestic
   (i) (Light & Fan) : 38 paise/unit
   (ii) (Heat & Power) : 25 paise/unit
2. Commercial First 500 Kwh/month @ 50 paise unit
   Next 500 Kwh/month @ 45 paise unit
   Next 500 Kwh/month @ 40 paise unit
   All in excess of 1500 Kwh month; 35 paise/unit
3. Agricultural : 21 paise/unit
4. Small Industries : 23 paise/unit
5. Medium Industries: 23 paise/unit
6. Mixed load: First 10,000 Kwh/month @ 35 paise/unit
   Next 15,000 Kwh/month @ 31 paise/unit
   All in excess of 25,000 Kwh/month; @ 27 paise unit
7. Public Street lighting: 33 paise/unit

Large Industries.

Single Part Tariff (Alternative-1)

First 5,00,000 Kwh per month @ 20 paise/unit
Next 10,00,000 Kwh per month @ 18 paise/unit
Next 15,00,000 Kwh per month @ 16 paise/unit
All above 30,00,000 ,, ,, ,, @ 14 paise/unit

Two part Tariff (Alternative-II)

Demand charges— Rs. 18/- per KV A per month of the billing demand

PLUS

Energy charges
First 3,00,000 Kwh per month @ 16 paise per Kwh
Next 5,00,000 ,, ,, @ 15 paise per Kwh
Next 7,00,000 ,, ,, @ 14 paise per Kwh
Next 10,00,000 ,, ,, @ 12 paise per Kwh
All in excess of 25,00,000 ,, @ 11 paise per Kwh

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 128 की सूची)

जिला सवाई माधोपुर में सर्वेक्षण की गयी योजनायें

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना में सम्मिलित गांवों के नाम	तहसील	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	पीपलखेरा–कोचपुरी	1. दांतरी	महुआ	
		2. सामलेटी		
		3. गुंवारकी		
		4. मिरजापुर गगवाना		
		5. गजपुर		
		6. पीपलखेरा		
		7. खरी नन्दसिंह		
		8. मंसापुर पट्टी		
		9. खोरी		
		10. कोचपुरी		
		11. अमरपुर		
2.	केसरी उकरौद	1. केसरी	महुआ	
		2. सींट		
		3. रसीदपुर		
		4. राजगढ़		
		5. पालोदा		
		6. पीसवा		
		7. बिरासना		
		8. वलसेरा		
		9. मान्यापुरा		
		10. वदनपुरा		
		11. पारसा		

Page No 124

(124)

1	2	3	4	5
		12. बीरगांव		
		13. उकरोद		
		14. गोपालगढ़		
	3. बरली–भोरड़ा	1. बरडी	टोडाभीम	
		2. कतरा शक्करपुरा		
		3. पवाला		
		4. मोगल शेरपुर		
		5. भोरड़ा		
	4. रातोड हिन्दुपुरा	1. रातोड़	मलारनाचौर	
		2. निमोद		
		3. बगरोली		
		4. पारवाला		
		5. कोली		
		6. रसूलपुर		
		7. माधवटी		
		8. हिन्दपुरा		
		9. बसरानाली		
	5. धीबोरा–महूयार	1. धीवोरा	हिण्डौन	
		2. वीरला		
		3. खेरली गुजर		
		4. बटकोली		
		5. चोरली		
		6. गुरापील		
		7. महु इब्राहिमपुरा		
		8. कराई		
		9. महु सांस		
		10. महुदलालपुर		
		11. श्यामपुर मुंडनो		
		12. रेवाई		
		13. बजना-खुर्द		

1	2	3	4	5
6.	नन्द-गोरड़ा	1. नन्द	टोडा भीम	
		2. गोरड़ा		
		3. धावन		
		4. राजोली		
		5. पदमपुरा		
		6. गोरड़ा		
7.	पीलवा–दलान	1. पीलवा	टोडाभीम	
		2. मन्दीया		
		3. मोजीपुर		
		4. सलीमपुर		
		5. मजीदपुर		
		6. पटकोटड़ा		
		7. जगदीशपुरा		
		8. जयसिंहपुरा		
		9. करनपुरा		
		10. मोहम्मदपुरा		
		11. दलान		
		12. नया गांव		
8.	कमालपुरा पिपलखेरा	1. कमालपुरा		
		2. अकबरपुरा		
		3. डुडला		
		4. गुवारजी		
		5. मिर्जापुर		
		6. पीपलवाड़ा		
		7. ठीकरा		
		[illegible]		

1	2	3	4	5
		14. पारली		
		15. घोरा		
		16. कोरली मांगल		
		17. गहरी पट्टी		
		18. बीरुदा		
		19. पीपलखेरा		
	9. गुजरी-भूखा-खानपुर	1. गुजरी	मलारना चोर	
		2. खुडली नदी		
		3. दोबारा		
		4. सेला		
		5. बालोजी		
		6. सगरवारा		
		7. भूखा		
		8. मानोली		
		9. बीघरा		
		10. तरानपुर		
		11. मोहम्मदपुरा		
		12. खोरी		
		13. रामेरी		
	द	1. जीतकीपुर	नावोतो	
		2. भीकरिया		
		3. जोरना		
		4. ग्रालोदा		
		5. सलामद		
		6. ग्रागोर		
		7 [illegible]		

पम्प एवं टैंक एवं पाईप्ड जल प्रदाय योजनायें

क्र. सं.	योजना का नाम	तहसील	विवरण
1	2	3	4
1.	कांटा	महुवा	
2.	मण्डावर	,,	
3.	गढ़ हिम्मतसिंह	,,	
4.	पावटा गुजर	,,	
5.	सान्टा	,,	
6.	खरला बुर्जग	,,	
7.	बोल	टोडा भीम	
8.	पदमपुरा	,,	
9.	मोरडा	,,	
10.	नांगल शेरपुर	,,	
11.	गण्डिया	,,	
12.	तिगरियान	,,	
13.	मेसया	,,	
14.	निसोरा	,,	
15.	घिनोरा	हिण्डौन	
16.	सुरोठ	,,	
17.	बगर	,,	
18.	भारडा	,,	
19.	कटकर	,,	
20.	कांवरोली	,,	
21.	गुडाचन्द्रजी	मारोती	
22.	केमरी कुजंग	,,	
23.	केमला	,,	
24.	बरदाला	,,	
25.	गडमोरा	,,	
26.	खंडीप	गंगापुर	
27.	खरोली	,,	
28.	महूकला	,,	
29.	मिर्जापुर	,,	

1	2	3	4
30.	नारायनपुर टटवाड़ा	गंगापुर	
31.	गुडला	करोली	
32.	फतेहपुर/रामपुरा	,,	
33.	ग्रासलपुर	,,	
34.	कोट	,,	
35.	लोहारना	,,	
36.	माहोली	,,	
37.	बांकी	,,	
38.	ग्रमराबा-डूंगरपटी	बामनवास	
39.	रिवाली	,,	
40.	लावली	,,	
41.	पिपलाय	,,	
42.	नारौली	सपोटरा	
43.	जारौली	,,	
44.	हाडोती	,,	
45.	गोदरा	,,	
46.	सपोटरा	,,	
47.	मिलपुरा	मलारनाचोर	
48.	पिपलोदा	,,	
49.	मलारनाचोर	,,	
50.	मलारनाडूंगर	,,	
51.	गंजीश्यामपुर	सवाई माधोपुर	
52.	सूरवाल	,,	
53.	सिलचीपुर	,,	
54.	कुस्तला	,,	
55.	पलौदी	,,	
56.	टोरडा	,,	
57.	बालेड़	,,	
58.	घाण	,,	
59.	खेराबरमा दुर्ग	,,	
60.	कैलादेवी	करोली	